

दूसरी SECOND

अनुदानों के लिए पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए

FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2022-2023

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)

(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च, March, 2023

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुपूरक अनुदान मांगों 2022-2023 का दूसरा बैच, 2022-2023

वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में 73 अनुदान और 3 विनियोग शामिल हैं। 2,70,508.89 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत्त करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकदी व्यय से संबंधित प्रस्ताव कुल 1,48,133.23 करोड़ रुपए और सकल अतिरिक्त व्यय, मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से मेल खाते हैं या संवर्धित प्राप्तियां/वसूली क्ल मिलाकर 1,22,374.37 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, नई सेवा या सेवा के नए साधन से जुड़े मामलों में बचत के पुन विनियोजन को सक्षम बनाने के लिए व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपये के साथ 129 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की जा रही है।

निवल नकदी व्यय से संबंधित अतिरिक्त व्यय की मदें इस प्रकार हैं: 2.

INTRODUCTORY NOTE

Subject: Second Batch of Supplementary Demands for Grants, 2022-2023.

The second batch of Supplementary Demands for Grants for 2022-23 includes 73 Grants and 3 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹2,70,508.89 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹1,48,133.23 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹1,22,374.37 crore. Besides, token provision of ₹129 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

जोड़

Total

पूंजी

Capital

		राजस्व
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue
नकद व्यय	Cash Outgo	
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND	

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. सामान्य सहायता अनुदान (i) कृषि में सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय सहित आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन के लिए (₹145.27 करोड़) (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की वसूली के लिए ₹7 करोड़) (ii) कृषि में सूचना और प्रकाशन निदेशालय सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन के लिए (₹11.78 करोड़) (iii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड (₹3 करोड़) (iv) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार (0.67 करोड़ रुपए) 2. अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह के लिए भारत की सदस्यता में योगदान (₹ 0.40 करोड़) 3. पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार (₹2.90 करोड़) और (ii) कृषि बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन में सूचना और प्रकाशन निदेशालय सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़) 4. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को सहायता अनुदान वेतन (₹ 6 करोड़)।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

(क) भुगतान के लिए (i) स्वदेशी पी एंड के सब्सिडी (10,000 करोड़ रुपये) और (ii) आयातित

FARMERS WELFARE

Department of Agricultural Research and Education

For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General to (i) I.C.A.R. Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management (₹145.27 crore) (₹7 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India) (ii) I.C.A.R. Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management (₹11.78 crore) (iii) Central Agricultural University, Bundelkhand (₹3 crore) (iv) Central Agricultural University, Bihar (₹0.67 crore) 2. Contribution to India's Membership Contribution to Consultative Group on International Agricultural Research (₹0.40 crore) 3. Grants for creation of Capital Assets to (i) Central Agricultural University, Bihar (₹2.90 crore) and (ii) I.C.A.R. Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture Intellectual Property Rights Management (₹10 crore) 4. Grants-in-aid Salaries to Central Agricultural University, Bihar (₹6 crore).

MINISTRY OF CHEMICALS AND

Department of Fertilizers

FERTILIZERS

(a) For payment towards (i) Indigenous P&K subsidy (₹10,000 crore) and

145.27 145.27

			ड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पी एंड के सब्सिडी (11,000 करोड़ रुपये) के भुगतान के लिए (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की वसूली के लिए 6,000 करोड़ रुपये शामिल है)।	(ii) imported P&K subsidy (₹11,000 crores) (This includes ₹6,000 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	21,000.00	- 2	1,000.00
(ख) (i) स्वदेशी यूरिया सब्सिडी (8,853.91 करोड़ रुपये) और (ii) आयातित यूरिया सब्सिडी (6,471.45 करोड़ रुपये) के लिए भुगतान (इसमें 4,000 करोड़ रुपये या भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की वसूली शामिल है)।	(b) For payment towards (i) Indigenous Urea subsidy (₹8,853.91 crore) and (ii) imported Urea subsidy (₹6,471.45 crore) (this includes ₹4,000 crore or recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	15,325.36	- 1:	5,325.36
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND			
10 वाणिज्य विभाग अतिरिक्त व्यय के लिए (i) 'भारतीय विदेश व्यापार संस्थान' योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (10 करोड़ रुपये) और (ii) 'ब्याज समानता योजना' के तहत सब्सिडी के लिए (742 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करने हेतु।	INDUSTRY 10 Department of Commerce For meeting expenditure towards (i) Grants- in-aid Salaries (₹10 crore) under the Scheme 'Indian Institute of Foreign Trade' and (ii) Subsidies (₹742 crore) under the scheme 'Interest Equalisation Scheme'.	742.00	-	742.00
संचार मंत्रालय 12 डाक विभाग (क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में डाकघरों/प्रशासनिक कार्यालयों/लेखा कार्यालयों को हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF COMMUNICATIONS 12 Department of Posts (a) For meeting additional expenditure for supply of hardware to Post Offices/ Administrative Offices/Accounts Offices in North Easter Areas.	-	42.10	42.10
 (ख) सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 (276.30 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ग) इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पूंजी निवेश पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। 	 (b) For meeting additional expenditue on IT Modernization Project 2.0 (₹276.30 crore). (c) For meeting additional expenditure on capital infusion in India Post Payment Bank. 	- -	10.26 200.00	10.26
(क) न्यायालय के निदेश के अनुसार आईटीएल लिमिटेड के सांविधिक बकायों पर व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) दूरसंचार उपस्करों के प्रबंधन परीक्षण और प्रमाणन के लिए (0.60 करोड़ रुपए) (ii) बीएसएनएल को व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के लिए (52.58 करोड़ रुपए) (iii) गारंटी शुल्क में छूट (72.58 करोड़ रुपए) (iv) सार्वमिक संवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)	 13 Department of Telecommunication (a) For meeting expenditure on statutory dues of ITL limited as per the direction of the court. (b) For meeting additional expenditure towards (i) Manadatory Testing and Certification of Telecom Equipment (₹0.60 crore) (ii) Viability Gap Funding to BSNL (₹52.58 crore) (iii) waiver of Guarantee fee (₹72.58 crore) (iv) additional transfers to Universal Service Obligation Fund (USOF) (₹25,000 	25.00	-	25.00
को अतिरिक्त अंतरण (25,000 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। (ग) एनजीएन ट्रांसपोर्ट लैब ट्रिब्यूनल/न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के भुगतान को पूरा करने	crore). (c) For meeting the payment of decree passed by NGN Transport Lab	25,052.58	- 2:	5,052.58
के लिए। (घ) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में अतिरिक्त अंतरण के लिए (25,000 करोड़ रुपए) (ii) दूरसंचार उपकरणों का अनिवार्य परीक्षण एवं प्रमाणन (0.30 करोड़ रुपये) (iii) दूरसंचार सिम अभिदाता सत्यापन (एएसटीआर) के लिए नई परियोजना आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और फेस रिकग्निशन संचालित समाधान के लिए (0.70 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त व्यय	Tribunal/court. (d) For meeting additional expenditure towards (i) additional transfers to Universal Service Obligation Fund (₹25,000 crore) (ii) new project Mandatory Testing and Certification of Telecom Equipment (₹0.30 crore) (iii) New project Artificial Intelligenece and face Recognition powered solution for Telecom SIM Subscriber Verification (ASTR) (₹0.70 crore).	-	1.14	1.14

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पुंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Revenue Capital Total सहकारिता मंत्रालय MINISTRY OF COOPERATION 16 सहकारिता मंत्रालय 16 Ministry of Cooperation (क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (a) For meeting expenditure towards (i) सामान्य सहायता अनुदान (414.31 करोड़ (i) Grants- in-aid General (₹414.31 रुपए), अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए crore), for Special Component Plan for विशेष घटक योजना (91.73 करोड़ रुपए) Scheduled Caste Sub Plan (₹91.73 और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (47.52 करोड़ crore) and for Tribal Area Sub Plan रुपए), कृषि सहयोग एकीवृता स्कीम के (₹47.52crore) under Integrated Scheme अंतर्गत, व्यय को पूरा करने के लिए भारत on Agriculture Cooperation, including की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत 184.19 recoupment of advance of ₹184.19 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की वसुली crore sanctioned from Contingency सहित और जीएफआर के परिशिष्ट 10 के Fund of India and regularizing the तहत 369.37 करोड़ रुपए के अतिरिक्त excess expenditure of ₹369.37 crore व्यय को नियमित करना (ii) जीएफआर incur under Appendix 10 of GFR 2017 2017 के परिशिष्ट 10 के तहत नाबार्ड को (ii) Grants- in-aid General under किए गए अतिरिक्त व्यय को नियमित करने 'Computerization of Primary के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के Agricultural Credit Societies' for कम्प्यूटरीकरण हेत् (100 करोड़ रुपये) (iii) regularizing the excess expenditure सामान्य सहायता अनुदान (328.28 करोड़ incurred under Appendix 10 of GFR रुपये), अनुसूचित जाति उप योजना के लिए 2017 to NABARD (₹100 crore) (80.19 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय सहकारी (iii) Grants- in-aid General (₹328.28 विकास सहयोग के लिए जनजातीय क्षेत्र crore), for Scheduled Caste Sub Plan उप योजना (41.53 करोड़ रुपये) (₹80.19 crore) and for Tribal Area Sub (iv) जीएफआर, 2017 के परिशिष्ट 10 के Plan (₹41.53 crore) for National अंतर्गत हुए अतिरिक्त व्यय को विनियमित Cooperative Development Cooperation करने के लिए वैकुंठलाल मेहता राष्ट्रीय (iv) Grants for creation of Capital Assets सहकारी प्रबंधन संस्थान को 30.00 करोड़ for release of ₹30 crore to Vaikunthlal रुपये की पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन Mehta National Institute of Cooperative हेतु अनुदान के व्यय को पूरा करना। Management for regularizing the excess expenditure incur under Appendix 10 of GFR, 2017. 856.96 856.96 (ख) जीएफआर 2017 के परिशिष्ट 10 के तहत (b) For meeting expenditure towards (i) हुए 61.40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय Grants- in-aid General (₹45.93 crore), को विनियमित करने हेतु कृषि सहकारिता for Scheduled Caste Sub Plan (₹10.19 संबंधी एकीकृत योजना के तहत सामान्य crore) and for Tribal Area Sub Plan सहायता अनुदान (45.93 करोड़ रुपए), (₹5.28 crore) under Integrated Scheme अनुस्चित जाति उप-योजना के लिए (10.19 on Agriculture Cooperation for करोड़ रुपए) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना regularizing the excess expenditure of के लिए (5.28 करोड़ रुपए), (ii) सामान्य ₹61.40 crore incurred under Appendix सहायता अनुदान (37.41 करोड़ रुपए), 10 of GFR 2017 (ii) Grants- in-aid अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए 8.30 General (₹37.41 crore), for Plan for करोड़ रुपए और सहकारी चीनी मिलों के Scheduled Caste Sub Plan (₹8.30 crore) सुदृढ़ीकरण हेत् राष्टीय सहकारी विकास and for Tribal Area Sub Plan (₹4.29 सहयोग के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपcrore) under National Cooperative योजना के लिए 4.29 करोड़ रुपए के Development Cooperation for अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्। strengthening of Cooperative Sugar 84.00 84.00 (ग) राज्यों को अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के (c) For meeting additional expenditure लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के towards Grants-in-aid General under कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत सामान्य सहायता Computerization of Primary अनुदान हेत् अतिरिक्त व्यय को पूरा करने Agricultural Credit Societies to meet के लिए। 55.38 55.38 additional outgo to States. (घ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के (d) For Grants-in-aid General under

Computerization

funds to UTs.

of

Agricultural Credit Societies to release

Primary

5.69

5.69

कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत सामान्य सहायता

अनुदान के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां

जारी करना।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनद	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
रक्षा	मंत्रालय रक्षा सेवा (राजस्व) (क) अदालती आदेशों से उत्पन्न सेना के लिए	MINISTRY OF DEFENCE 20 Defence Services (Revenue) (a) For meeting additional expenditure			
	'स्टोर' (16 करोड़ रुपये) 'वर्क्स' (1 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय राइफल्स के भुगतान के लिए के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	towards payments arising out of court orders for Stores (₹16 crore), Works (₹1 crore) and Rashtriya Rifles	18.00		18.00
	(ख) परिवहन के लिए अतिरिक्त व्यय (160 करोड़ रुपये), भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (846.56 करोड़ रुपये), स्टोर (807 करोड़ रुपये), वर्क (1,349 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय कैडेट कोर (69.24 करोड़ रुपये), अग्निपथ योजना (350 करोड़ रुपये), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (54.21 करोड़ रुपये) और सेना के लिए अन्य व्यय (744.93 करोड़ रुपये) को पूरा करने के लिए।	(₹1 crore) for Army. (b) For meeting additional expenditure towards Transportation (₹160 crore), Ex-Serviceman contributory Health Scheme (₹846.56 crore), 'Stores' (₹807 crore), Works (₹1,349 crore), National Cadet Corps (₹69.24 crore), Agnipath Scheme (₹350 crore), Directorate General of Quality Assurance (₹54.21 crore) and Other expenditure (₹744.93		-	
	(ग) नौसेना के लिए भंडारों (0.50 करोड़ रुपये), अग्निपथ योजना (2 करोड़ रुपये) और संयुक्त स्टाफ (0.08 करोड़ रुपये) हेतु अदालती आदेशों से उत्पन्न भुगतान के लिए अतिरिक्त	crore) for Army. (c) For meeting additional expenditure towards payment arising out of court orders for stores (₹0.50 crore), Agnipath Scheme (₹2 crore) and Joint	3,960.94	-	3,960.94
	व्यय को पूरा करने के लिए। (घ) परिवहन के लिए अतिरिक्त व्यय (88.16 करोड़ रुपए), मरम्मत एवं रख-रखाव (114.05 करोड़ रुपए), भंडार (1,332.43 करोड़ रुपए), निर्माण (297.22 करोड़ रुपए), संयुक्त स्टाफ (513.92 करोड़ रुपए), अग्निपथ स्कीम (78 करोड़ रुपए) और नौसेना के लिए अन्य व्यय (345.80 करोड़ रुपए) को पूरा करने	Staff (₹0.08 crore) for Navy. (d) For meeting additional expenditure towards Transportation (₹88.16 crore), Repairs and Refits (₹114.05 crore), Stores (₹1332.43 crore), Works (₹297.22 crore), Joint Staff (₹513.92 crore), Agnipath Scheme (₹78 crore), and Other expenditure (₹345.80 crore)	2.58	-	2.58
	के लिए। (ड) वायु सेना के लिए अन्य व्यय के लिए न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	for Navy. (e) For meeting additional expenditure towards payment arising out of court orders for Other Expenditure for Air	2,189.08	-	2,189.08
	(च) वायु सेना के लिए वेतन एवं भत्ता (565.22 करोड़ रुपए), परिवहन (0.05 करोड़ रुपए), कार्य (20.30 करोड़ रुपए) और अग्निपथ स्कीम (23.40 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	Force. (f) For meeting additional expenditure towards Pay & Allowance (₹565.22 crore), Transportation (₹0.05 crore), Works (₹20.30 crore) and Agnipath Scheme (₹23.40 crore) for Air Force	0.03 329.05	-	0.03 329.05
	(छ) असैनिकों के लिए वेतन एवं भत्तों (₹ 0.35 करोड़) तथा अनुसंघान एवं विकास कार्यों (₹ 0.09 करोड़) के न्यायालयी आदेशों से होने वाले भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	Scheme (₹23.40 crore) for Air Force. (g) For meeting additional expenditure towards payment arising out of court orders for Pay & Allowances for Civilians (₹0.35 crore) and Works (₹0.09 crore) for Research and	329.03	-	329.03
22	रक्षा पेंशन अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए(i) दो महीनों अर्थात् जनवरी 2023 और फरवरी 2023 के लिए (5,586.34 करोड़ रुपये) के लिए बढ़ी हुई वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) दरों नियमित पेंशन के भुगतान के लिए प्रावधान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ii) वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के लिए थल सेना के लिए (24,465.57 करोड़ रुपए), नौसेना (1,321.76 करोड़ रुपए) और वायु सेना (2,350.16 करोड़ रुपए) के बकाया घटक के भुगतान के लिए सार्वजनिक खाते और जमा खाते में अंतरण। (iii) पेंशन प्रशासन प्रणाली- आरएकेएसएचए खा (रपर्श) सेवाओं के कारण बैंकों को सेवा प्रभारों	Development. 22 Defence Pensions For meeting an additional expenditure (i) for provision for payment of regular pension due to enhanced One Rank One Pension (OROP) rates for two months i.e. for January 2023 and February 2023 (₹5,586.34 crore) (ii) towards transfer to a deposit account in Public Account for payment of arrear component of One Rank One Pension(OROP for Army (₹24,465.57 crore), Navy (₹1,321.76 crore) and Air Force (₹2,350.16 crore) (iii) payment of service charges to banks on account of System for Pensions Administration — RakSHa	0.26	-	0.26
	का भुगतान (0.55 करोड़ रुपए)।	(SPARSH) Services (₹0.55 crore).	33,718.49	- 3	33,718.49

				•	ड़ रुपए Rupee.	
अनुव	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विदे	श मंत्रालय	MI	NISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
29	विदेश मंत्रालय	29	Ministry of External Affairs			
	अनुसंधान और नवान्वेषण के लिए अतिरिक्त व्यय		For meeting additional expenditure towards			
	को पूरा करने के लिए (500 करोड़ रुपये)।		Research and Innovation (₹500 crore).	219.04	-	219.04
वित्त	मंत्रालय	MI	NISTRY OF FINANCE			
35	राजस्व विभाग	35	Department of Revenue			
	(क) जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि (29,616.82 करोड़		(a) For additional transfer to GST			
	रुपए) में अतिरिक्त अंतरण और राज्यों को		Compensation Fund (₹29,616.82 crore)			
	जीएसटी प्रतिपूर्ति की अतिरिक्त रिलीज		and additional release of GST			
	(29,616.82 करोड़ रुपए) के लिए।		compensation to States (₹29,616.82			
	, ,		crore).	29,616.82	- 2	9,616.82
	(ख) जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि (3,889.47 करोड़		(b) For additional transfer to GST	2>,010.02	_	,,o10.0 -
	रुपए) में अतिरिक्त अंतरण और संघ राज्य		Compensation Fund (₹3,889.47 crore)			
	क्षेत्रों को जीएसटी प्रतिपूर्ति की अतिरिक्त		and additional release of GST			
	रिलीज (3,889.47 करोड़ रुपए) के लिए।		compensation to UTs (₹3,889.47			
	(0,000.17 * 4 + (1))		crore).	3,889.47	_	3,889.47
38	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	38	Indian Audit and Accounts Department	3,007.17		3,007.17
50	गांधीनगर, गुजरात में कार्यालय भवन के निर्माण	50	For purchase of land for construction of			
	के लिए भूमि की खरीद के लिए (135.36 करोड़		office building at Gandhinagar, Gujarat			
	रुपए) (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से		(₹135.36 crore) (this includes ₹134.21 crore			
	स्वीकृत अग्रिम राशि की वसूली के लिए 134.21		for recoupment of advance sanctioned from			
	करोड़ रुपए शामिल हैं)।		Contingency Fund of India).		59.98	59.98
41	,	41	Pensions	-	39.90	39.90
41	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के सेवानिवृत्त/	41	For meeting additional expenditure towards			
	मृत कर्मचारियों के संबंध में उपदान, पारिवारिक		Gratuities, Family Pensions, Leave			
	पेंशन, अवकाश नकदीकरण, परिभाषित अंशदान		Encashment, Defined Contribution Pension			
	पंशन योजना (डीसीपीएस) और पंशन प्रभारों के		Scheme (DCPS) and Pensionary Charges in			
	लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।		respect of retirees/deceased employees of			
	ालर् जातारक व्यव का बूत करने के लिए।		Government of NCT, Delhi.	1,499.19	-	1,499.19
TT 2	मंत्रालय	мг	NISTRY OF HOME AFFAIRS			
	नत्रालय जम्मू और कश्मीर में अंतरण					
20		58	Transfers to Jammu and Kashmir			
	झेलम तवी बाढ़ वसूली परियोजना के कारण होने		For meeting the expenditure on account of	150.00		150.00
	वाले व्यय को पूरा करने के लिए।		Jhelum Tavi Flood Recovery Project.	158.00	-	158.00
	ो और न्याय मंत्रालय		NISTRY OF LAW AND JUSTICE			
65	विधि और न्याय मंत्रालय	65	Law and Justice			
	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रति चुनाव		For clearing the pending liability of election			
	संबंधी व्यय के लंबित दायित्व को निपटाने के		related expenditure towards States/UT			
	लिए।		Governments.	3,166.08	-	3,166.08
सूक्ष	न, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MI	NISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
68	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	68	Ministry of Micro, Small and Medium			
			Enterprises			
	(क) योजना के अंतर्गत (i) प्रधानमंत्री रोजगार		(a) For meeting additional expenditure			
	सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत राजसहायता (40		towards (i) Subsidies (₹40 crore) under			
	करोड़ रुपए) और (ii) स्कीम क्रेडिट सहायता		the scheme Prime Minister's			
	कार्यक्रम के अंतर्गत अंशदान (770 करोड़		Employment Generation Programme			
	रुपए) की ओर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।		and (ii) Contribution (₹770 crore) under			
	पर ।लड्रा		the scheme Credit Support	250.00		250.00
	(ख) योजना के अंतर्गत (i) प्रधानमंत्री रोजगार		Programme. (b) For meeting additional expenditure	250.00	=	250.00
	सुजन कार्यक्रम के अंतर्गत राजसहायता (360		(b) For meeting additional expenditure towards (i) Subsidies (₹360 crore)			
	करोड़ रुपए) और (ii) स्कीम क्रेडिट सहायता		under the scheme Prime Minister's			
	यराकं रबरी जार (II) रवग्न व्रभवट संधातता		under the scheme i fille willisters			

		(करो	ड़ रुपए Rupee	es in Crore,
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कार्यक्रम के अंतर्गत अंशदान (7,230 करोड़ रुपए) और (iii) स्कीम कॅयर विकास योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान (7.14 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	Employment Generation Programme and (ii) Contribution (₹7230 crore) under the scheme Credit Support Programme and (iii) Grants-in-aid General (₹7.14 crore) under scheme Coir Vikas Yojana.	1,956.71	-	1,956.71
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
69 खान मंत्रालय अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि को अंतरण (60 करोड़ रुपये), (ii) भारत गो ल्ड माइन्स लिमिटेड (3 करोड़ रुपये) और (iii) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि गतिविधियां (12.57 करोड़ रुपये) और (iv) कार्यक्रम घटक (60 करोड़ रुपये) और (v) स्वायत्त निकायों को सहायता (2.98 करोड़ रुपये) और 2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत वेतन (38.73 करोड़ रुपए) और अन्य प्रशासनिक व्यय (0.24 करोड़ रुपए) (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की वसूली के लिए 91.95 करोड़ रुपए शामिल है)।	69 Ministry of Mines For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) Transfer to National Mineral Exploration Fund (₹60 crore), (ii) Bharat Gold Mines Ltd (₹3 crore) and (iii) National Mineral Exploration Trust Fund Activities (₹12.57 crore) and (iv) Programme Component (₹60 crore) and (v) Support to Autonomous Bodies (₹2.98 crore) and 2. Salaries (₹38.73 crore) and Other Administrative Expenses (₹0.24 crore) under the scheme Geological Survey of India (this includes ₹91.95 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	91.95	_	91.95
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
(i) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन पर व्यय (1.44 करोड़ रुपए) और (ii) देश भर में नवान्वेषण पारिस्थितिकी तंत्र विकास कार्यकलापों के लिए निधियों की आवश्यवला (15 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	77 Ministry of Planning For meeting additional (i) expenditure towards Grants-in-aid Salaries under National Institute of Labour Economics Research and Development (₹1.44 crore) and (ii) requirement of funds on account of Innovation Ecosystem Development Activities across the country (₹15 crore).	1.44	-	1.44
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
84 संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं और चयन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	84 Union Public Service Commission For meeting additional expenditure on Examinations and Selections.	18.75	-	18.75
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय के लिए (i) विश्व बैंक, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (136 करोड़ रुपये) (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्यों के तहत सामान्य रूप से सीआरआईएफ (3,860.09 करोड़ रुपये) से वित्तपोषित (iii) बाह्य सहायता प्राप्त योजना के लिए समकक्ष निधि के तहत विश्व बैंक, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (159 करोड़ रुपये) के लिए और (iv) विशेष कार्यक्रम के लिए जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत केंद्रीय सड़क और अवसंरचना विश्व से वित्तपोषित के लिए जामांशी उपवाद	86 Ministry of Road Transport and Highways For additional expenditure on Major Works (i) under the Externally Aided Scheme – World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹136 crore) (ii) under National Highways Original Works-General financed from CRIF (₹3,860.09 crore) (iii) under the Counterpart fund for Externally Aided Scheme – World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹159 crore) and (iv) for Financed from Central			

Road and Infrastructure Fund under Tribal

निधि से वित्तपोषित के लिए वामपंथी उग्रवाद

		(कर	ोड़ रुपए Rupee	s in Crore
		राजस्व	पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क (एनएच और राज्य सड़के) का विकास (59 करोड़ रुपए) और (v) पूर्वोत्तर क्षेत्र, एनएचओ और जीएनएचसीपी स्कीमों के लिए केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) में अंतर खाता अंतरण (6,692.09 करोड़ रुपए)।	Area Sub Plan for Special Programme Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas (₹59 crore) and (v) Inter Account Transfer to Central Road Infrastructure Fund (CRIF) meant for North East Region, NHOW and GNHCP Schemes (₹6,692.09 crore).	-	2,807.27	2,807.27
कुल नकदी खर्च	Total Cash Outgo	1,44,378.12	3,755.11 1	48,133.23
3. अनुपूरक अनुदान मांगों के इस बैच में 1,22,374.37 करोड़ रुपए के तकनीकी अनुपूरक अनुदानों/विनियोजनों के प्रस्ताव शामिल हैं जो मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा तदनुरूपी बचतों से मेल खाते हैं। मदें निम्नानुसार हैं:	3. This batch of Supplementary Demands for Grapplementary grants/appropriations for ₹1 by additional receipts/recoveries or correspondents. The items are as follows:	,22,374.37 cr ponding savi	ore which are	e matched Iinistries/
		राजस्व	पूंजी	जोड़ जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
परमाणु ऊर्जा विभाग 3 परमाणु ऊर्जा न्यायालय कुर्की के भुगतान के लिए। नागर विमानन मंत्रालय 8 नागरिक उड्डयन मंत्रालय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) के अंतर्गत प्रमुख कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 3 Atomic Energy For payment of Court attachment. MINISTRY OF CIVIL AVIATION 8 Ministry of Civil Aviation For meeting additional expnditure towards Major Work under Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB).	18.00	10.00	18.00
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND			
11 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	INDUSTRY 11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade			
(क) परिवहन/भाड़ा राजसहायता योजना के अंतर्गत राजसहायता के लिए। (ख) निधियों की निधि योजना के अंतर्गत निवेश	(a) For Subsidies under the scheme Transport/Freight Subsidy Scheme.(b) For Investment under the Scheme Fund	0.29	-	0.29
के लिए।	of Funds.	-	235.98	235.98
संचार मंत्रालय 12 डाक विभाग (क) वेतन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF COMMUNICATIONS 12 Department of Posts (a) For meeting additional expenditure on Salaries.	83.96	-	83.96
(ख) आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 (₹ 276.30 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय को पुरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditue on IT Modernization Project 2.0 (₹276.30 crore).	-	266.04	266.04

14 उपभोक्ता मामले विभाग

- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी में विद्युत प्रयोगशाला की स्थापना (0.22 करोड़ रुपए) और (ii) समय प्रसार परियोजना के लिए उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (0.60 करोड़ रुपए)।
- (ख) आवेग जनरेटर परीक्षण प्रणाली की खरीद और मशीनरी और उपकरण के तहत

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

14 Department of Consumer Affairs

- (a) For (i) setting up of Electrical Laboratory at NER, Guwahati (₹0.22 crore) and (ii) National Physical Laboratory for procurement of equipment for Time Dissemination Project (₹0.60 crore).
- (b) For making payment on account of purchase of impulse generator testing

0.82

0.82

				ड़ रुपए Rupees	
अनुद	न संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and descriptio	राजस्व n of items Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	जीसीएमएस के लिए भुगतान करने के लिए। (ग) मशीनरी और उपकरणों हेतु (i) भारत सरकार टकसाल, मुंबई (₹ 0.80 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (समय प्रसार परियोजना के लिए उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 0.10) से उपकरणों की खरीद के लिए।	system and for GCMS undo and equipment. (c) For Machinery and Equipment government of equipment Government Mint, Murr crore) and (ii) National Laboratory (₹0.10 for pro- equipment for Time Di	oment for (i) at from India abai (₹0.80 al Physical accurement of	5.05	5.05
		project. 5 Department of Food a Distribution		0.90	0.90
	निवेश के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्माणाधीन गोदामों के लिए।	For ongoing construction of go NER by FCI under Investment		3.20	3.20
		IINISTRY OF DEFENCE Ministry of Defence (Civil) (a) For payments in complia Central Administrative Tr	ibunal, New		
	(ख) (i) सीमा सड़क संगठन (₹ 542.14 करोड़), (ii) रक्षा लेखा विभाग (₹ 31.21 करोड़) (iii) रक्षा संपदा महानिदेशालय (₹ 192.63 करोड़) (iv) रक्षा उत्पादन विभाग (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचारों हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹ 18 करोड़) और (v) रक्षा विभाग (₹ 9.26 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	Delhi. (b) For meeting the additional for (i) Border Road O (₹542.14 crore) (ii) Defended to the Department (₹31.21 of Directorate General Defended (₹192.63 crore) (iv) Defence Production (₹18 control of Grants-in-aid General for for Defence Excelling the Additional Control of Table 1.	rganization ace Accounts erore) (iii) ence Estates partment of erore towards	-	1.47
	(ग) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(v)Department of Defence(c) For meeting additional towards Central Administration	e (₹9.26 crore) 775.48 expenditure rative	-	775.48
	(घ) (i) आपूर्ति एवं सामग्री (40 करोड़ रुपए), पीओएल (49.40 करोड़ रुपए), विज्ञापन एवं प्रचार (1 करोड़ रुपए), पुर्जी/रुटिंग किटों की खरीद के लिए लघु कार्य (200 करोड़ रुपए) और (ii) तटरक्षक संगठन की व्यावसायिक सेवाएं (43 करोड़ रुपए) और सूचना प्रौद्योगिकी (8 करोड़ रुपए) के स्थापन संबंधी व्यय के लिए।	Tribunal, New Delhi. (d) For establishment related towards (i) Supplies and M crore), POL (₹49.4 Advertisement & Publicit Minor works (₹200 procurement of spares/rou for maintenance and (ii) Services (₹43 crore) and Technology (₹8 crore) of Organization.	Interials (₹40 10 crore), y (₹1 crore), crore) for ting kits and Professional Information	-	0.24 351.88
	(ङ) कैटीन भंडार विभाग के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional exp Canteen Stores Departmen	penditure for	- 1	,200.00
	रक्षा सेवा (राजस्व) (क) परिवहन (160 करोड़ रुपये), भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (846.56 करोड़ रुपये), स्टोर (807 करोड़ रुपये), निर्माण (1349 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय कैडेट कोर (69.24 करोड़ रुपये), अग्निपथ योजना (350 करोड़ रुपये), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (54.21 करोड़ रुपये) और सेना के लिए अन्य व्यय (744.93 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional towards Transportation (Ex-Serviceman contributions) Scheme (₹846.56 crore), 'Scrore), Works (₹1,349 crore), Works (₹350 crore), General of Quality Assurations) and Other expendit crore) for Army.	₹160 crore), ttory Health Stores' (₹807 re), National e), Agnipath Directorate ance (₹54.21		240.00

				,	ड़ रुपए Rupee.	
अनु	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	(ख) परिवहन (88.16 करोड़ रुपए), मरम्मत एवं रखरखाव (114.05 करोड़ रुपए), भंडारों (1332.43 करोड़ रुपए), निर्माणों (297.22 करोड़ रुपए), संयुक्त स्टाफ (513.92 करोड़ रुपए), अग्निपथ स्कीम (78 करोड़ रुपए) और नौसेना के लिए अन्य व्यय (345.80 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।		(b) For meeting additional expenditure towards Transportation (₹88.16 crore), Repairs and Refits (₹114.05 crore), Stores (₹1,332.43 crore), Works (₹297.22 crore), Joint Staff (₹513.92 crore), Agnipath Scheme (₹78 crore), and Other expenditure (₹345.80 crore) for Navy.	500.50	_	500.50
21	निर्माण कार्यों (26 करोड़ रुपये), नौसेना के लिए नौसेना डॉकयार्ड परियोजनाओं (183 करोड़ रुपये), निर्माण (3.98 करोड़ रुपये) वायु सेना के लिए विशेष परियोजनाओं (0.02 करोड़ रुपये) और अनुसंधान और विकास कार्यों (34 करोड़ रुपये) हेतु अदालती आदेशों से उत्पन्न 247 करोड़ रुपये	21	Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure of ₹247 crore arising out of court orders for Constructions Works (₹26 crore), Naval Dockyard Projects (₹183 crore) for Navy, Works (₹3.98 crore), Special Projects (₹0.02 crore) for Air Force and Works (₹34 crore			
22	के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। रक्षा पेंशन (i) दो महीनों अर्थात् जनवरी 2023 और फरवरी 2023 के लिए बढ़ी हुई वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) दरों के कारण नियमित पेंशन का प्रावधान (5586.34 करोड़ रुपये) (ii) वन रैंक वन पेंशन थल सेना के लिए (ओआरओपी) (24,465.57 करोड़ रुपए), नौसेना (1,321.76 करोड़ रुपए) और वायु सेना (2,350.16 करोड़ रुपए) का बकाया घटक सार्वजनिक खाते के जमा खाते में है। (iii) पेंशन प्रशासन प्रणाली-आरएकेएसएचए रक्षा (स्पर्श) सेवाओं के कारण बैंकों को सेवा प्रभारों का भुगतान (0.55 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	22	for Research and Development. Defence Pensions For meeting an additional expenditure (i) for provision for payment of regular pension due to enhanced One Rank One Pension (OROP) rates for two months i.e. for January 2023 and February 2023 (₹5,586.34 crore) (ii) towards transfer to a deposit account in Public Account for payment of arrear component of One Rank One Pension(OROP for Army (₹24,465.57 crore), Navy (₹1,321.76 crore) and Air Force (₹2,350.16 crore) (iii) payment of service charges to banks on account of System for Pensions Administration — RakSHA (SPARSH)Services (₹0.55 crore).	5.89	233.98	233.985.89
पूर्वो	त्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	Ml	NISTRY OF DEVELOPMENT OF	3.67		3.67
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय 2021-22 के दौरान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के बोनस शेयरों के निर्गम के लिए निवेश के रूप में पूर्व अवधि समायोजन के प्रावधान बनाने के लिए।	23	NORTH EASTERN REGION Ministry of Development of North Eastern Region For making the provisions towards prior period adjustment as investment towards issue of bonus shares Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL)		22.74	22.54
26	उच्च शिक्षा विभाग (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को समर्थित योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (250 करोड़ रुपये), केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (202.96 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को अनुदान (13.28 करोड़ रुपये), अकादिमक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) (5.20 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (0.01 करोड़ रुपये) (ii) राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों का निर्माण के लिए अनुदान (0.01 करोड़ रुपये) (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (111 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (0.01 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (0.01 करोड़ रुपये) को समर्थित योजनाओं के अंतर्गत वेतन अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	26	during 2021-22. Department of Higher Education For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-Aid General under the schemes Support to University Grants Commission (UGC) (₹250 Crore), Grants to Central Universities (₹202.96 Crore), Grants to National Book Trust (₹13.28 Crore), Academic Bank of Credits (ABC) (₹5.20 Crore) and National Digital University (₹0.01 Crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Digital University (₹0.01 Crore) (iii) Grants-in-Aid Salaries under the scheme Support to University Grants Commission (UGC) (₹111 Crore) and National Digital University (₹0.01 Crore).	12.65	33.76	33.76 12.65

				(क	रोड़ रुपए Rupee.	
अनुद	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विदेः 29	श मंत्रालय विदेश मंत्रालय अनुसंधान और नवाचार हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (500 करोड़ रुपये)।	MI 29	NISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS Ministry of External Affairs For meeting additional expenditure towards Research and Innovation (₹500 crore).	232.54	-	232.54
	मंत्रालय राजस्व विभाग (क) जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि (29,616.82 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त अंतरण और राज्यों को जीएसटी प्रतिपूर्ति की अतिरिक्त विमोचन (29,616.82 करोड़ रुपए) के लिए। (ख) जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि (₹3,889.47 करोड़) के अतिरिक्त अंतरण और संघ राज्य क्षेत्र को जीएसटी प्रतिपूर्ति की अतिरिक्त विमोचन (₹3,889.47 करोड़)।		NISTRY OF FINANCE Department of Revenue (a) For additional transfer to GST Compensation Fund (₹29,616.82 crore) and additional release of GST compensation to States (₹29,616.82 crore). (b) For additional transfer to GST Compensation Fund (₹3,889.47 crore) and additional release of GST compensation to UTs (₹3,889.47	29,616.82	- 2	9,616.82
38	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग गांधीनगर, गुजरात में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद हेतु (135.36 करोड़ रुपए)	38	rore). Indian Audit and Accounts Department For purchase of land for construction of office building at Gandhinagar, Gujarat (₹135.36 crore).	3,889.47	74.23	3,889.47 74.23
39	व्याज भुगतान 1. 91 दिवसीय ट्रेजरी बिलों (₹ 795.19 करोड़), 182 दिवसीय ट्रेजरी बिलों (₹ 4821.69 करोड़) और 364 दिवसीय ट्रेजरी बिलों (₹ 6015.67 करोड़) पर छूट 2. (i) बाहरी ऋण (₹ 3135.30 पर करोड़) (ii) बीमा और पेंशन फंड (₹ 220.45 करोड़) (iii) डाक जीवन बीमा के तहत शेष राशि के प्रतिभूतिकरण के खिलाफ जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 4.90 करोड़) पर ब्याज और (iv) अन्य दायित्व (₹ 15.39 करोड़) और 3. रिजर्व फंड (₹ 106.38 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	39	Interest Payments For meeting additional expenditure towards 1. discount on 91 Days Treasury Bills (₹795.19 crore), 182 Days Treasury Bills (₹4,821.69 crore) and 364 Days Treasury Bills (₹6,015.67 crore) 2. interest on (i) External Debt (₹3,135.30 crore) (ii) Insurance and Pension Funds (₹220.45 crore) (iii) Special Securities issued against securitisation of balances under Postal Life Insurance (₹4.90 crore) and (iv) Other Obligations (₹15.39 crore) and 3. Reseve Funds (₹106.38 crore).	4,830.00		4,830.00
40	ऋण का पुनर्भुगतान बाजार प्रतिभूतियों (5,489.60 करोड़ रुपये), 14 दिन के टी बिलों (7,45,832.18 करोड़ रुपये), 182 दिनों के ट्रेजरी बिलों (27,869.85 करोड़ रुपये), 364 दिन के ट्रेजरी बिल (7,897.23 करोड़ रुपये), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियों का निर्वहन में छूट (9.02 करोड़ रुपये) शामिल अपरिहार्य के साथ अतिरिक्त पुनर्भुगतान को पूरा करने के लिए।	40	Repayment of Debt For meeting additional repayment entailing switching of market securities (₹5,489.60 crore), redemption of 14 Day T.bills (₹7,45,832.18 crore), 182 Days Treasury Bills (₹27,869.85 crore), 364 Day Treasury Bills (₹7,897.23 crore), discharge of securities issued to International Financial Institutions (₹9.02 crore).	-	70,762.96 7	0,762.96
44	पशुपालन और डेयरी विभाग दिल्ली दुग्ध योजना के तहत आपूर्ति और सामग्री के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	44	Department of Animal Husbandry and Dairying For meeting additional expenditure towards Supplies and Material under the Delhi Milk scheme.	31.12	-	31.12
	मंत्रालय पुलिस (i) बीएसएफ के लिए प्रमुख कार्य (कार्यालय भवन) (₹ 0.10 करोड़) और (ii) सीआरपीएफ के लिए मोटर वाहन (₹ 0.03 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।		NISTRY OF HOME AFFAIRS Police For meeting additional expenditure towards (i) Major Works for BSF (Office Building) (₹0.10 crore) and (ii) Motor Vehichles for CRPF (₹0.03 crore).	-	0.13	0.13

			(करोड़ रुपए Rupees in Cra		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
 56 लक्ष्यद्वीप विद्युत उत्पादन के लिए हाई स्पीड डीजल की खरीद की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। 57 दिल्ली में अंतरण बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। 	 56 Lakshadweep For meeting the additional requirement for purchase of High Speed Diesel for power generation. 57 Transfers to Delhi For meeting additional expenditure towards Additional Central Assistance for Externally Aided Projects. 	35.95	0.01	35.95	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES				
(क) (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत राजसहायता (40 करोड़ रुपए) और (ii) ऋण सहायता कार्यक्रम योजना के अंतर्गत अंशदान (770 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत राजसहायता (360 करोड़ रुपए) और (ii) क्रेडिट सहायता कार्यक्रम योजना के अंतर्गत अंशदान (7230 करोड़ रुपए) और (iii) कॉयर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (7.14 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (a) For meeting additional expenditure towards (i) Subsidies (₹40 crore) under the scheme Prime Minister's Employment Generation Programme and (ii) Contribution (₹770 crore) under the scheme Credit Support Programme. (b) For meeting additional expenditure towards (i) Subsidies (₹360 crore) under the scheme Prime Minister's Employment Generation Programme and (ii) Contribution (₹7,230 crore) under the scheme Credit Support Programme and (iii) Grants-in-aid General (₹7.14 crore) under scheme Coir Vikas Yojana. 	0.60 98.90	-	0.60 98.90	
खान मंत्रालय 1. (i) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि को अंतरण (६० करोड़ रुपये), (ii) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (३ करोड़ रुपये) और (iii) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि गतिविधियां (12.57 करोड़ रुपये) और (iv) कार्यक्रम घटक (६० करोड़ रुपये) और (v) स्वायत्त निकायों को सहायता (2.98 करोड़ रुपये) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और 2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण योजना के तहत वेतन (38.73 करोड़ रुपये) और अन्य प्रशासनिक व्यय (0.24 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF MINES 69 Ministry of Mines For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) Transfer to National Mineral Exploration Fund (₹60 crore), (ii) Bharat Gold Mines Ltd (₹3 crore) and (iii) National Mineral Exploration Trust Fund Activities (₹12.57 crore) and (iv) Programme Component (₹60 crore) and (v) Support to Autonomous Bodies (₹2.98 crore) and 2. Salaries (₹38.73 crore) and Other Administrative Expenses (₹0.24 crore) under the scheme Geological Survey of India.	60.00	-	60.00	
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 71 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सॉवरेन हरित कोष से 'अंतरिम खाता अंतरण' के रूप में 5,538.01 करोड़ रुपये (सौर ऊर्जा (ग्रिड) के लिए 2,800 करोड़ रुपये, पवन ऊर्जा (ग्रिड) के लिए 1,413 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 लाख रुपये और किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) के लिए 1,325 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए।	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY 71 Ministry of New and Renewable Energy For providing ₹5,538.01 crore as 'Inter Account Transfer' to 'Sovereign Green Fund' (₹2,800 crore for Solar Power (Grid), ₹1,413 crore for Wind Power (Grid), ₹1 lakh for National Green Hydrogen Mission and ₹1,325 crore for Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (KUSUM).	5,536.00	_	5,536.00	
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING				

77 Ministry of Planning

For meeting additional (i) expenditure towards Grants-in-aid Salaries under

77 योजना मंत्रालय

निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और

		(करोड़ रुपए Rupees in Cror		
Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
Research and Development (₹1.44 crore)	15.00	-	15.00	
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS				
78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways				
	-	23.86	23.86	
MINISTRY OF RAILWAYS				
85 Ministry of Railways(a) For meeting additional expenditure				
(b) For meeting additional expenditure towards higher requirement under fuel	68.80	-	68.80	
repairs and maintenance activities.	1,340.94	-	1,340.94	
arising out of court decrees.	-	882.00	882.00	
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS				
(i) under the Externally Aided Scheme – World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹136 crore) (ii) under National Highways Original Works-General financed from CRIF (₹3,860.09 crore) (iii) under the Counterpart fund for Externally Aided Scheme – World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹159 crore) and (iv) for Financed from Central Road and Infrastructure Fund under Tribal Area Sub Plan for Special Programme Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas (₹59 crore) and (v) Inter Account Transfer to Central Road Infrastructure Fund (CRIF) meant for North East Region, NHOW and GNHCP Schemes		225 22	885.82	
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND		003.02	003.02	
93 Department of Social Justice And Empowerment				
For release of payment for allotment of land to Mahila Imdad Committee.	-	8.17	8.17	
रतं न के निज्ञातिका) न्यारता राज्या	National Institute of Labour Economics Research and Development (₹1.44 crore) and (ii) requirement of funds on account of Innovation Ecosystem Development Activities across the country (₹15 crore). MINISTRY OF PORTS,SHIPPING AND WATERWAYS 78 Ministry of Ports,Shipping and Waterways For payment of equity by Sagarmala Development Company Limited under Investment (₹53.43 crore). MINISTRY OF RAILWAYS 85 Ministry of Railways (a) For meeting additional expenditure arising out of court decrees. (b) For meeting additional expenditure towards higher requirement under fuel (Diesel & Electric tractions) and higher repairs and maintenance activities. (c) For meeting additional expenditure arising out of court decrees. MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 86 Ministry of Road Transport and Highways For additional expenditure on Major Works (i) under the Externally Aided Scheme – World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹136 crore) (ii) under National Highways Original Works-General financed from CRIF (₹3,860.09 crore) (iii) under the Counterpart fund for Externally Aided Scheme – World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹159 crore) and (iv) for Financed from Central Road and Infrastructure Fund under Tribal Area Sub Plan for Special Programme Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas (₹59 crore) and (v) Inter Account Transfer to Central Road Infrastructure Fund (CRIF) meant for North East Region, NHOW and GNHCP Schemes (₹6,692.09 crore). MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 93 Department of Social Justice And Empowerment For release of payment for allotment of land	National Institute of Labour Economics Research and Development (₹1.44 crore) and (ii) requirement of funds on account of Innovation Ecosystem Development Activities across the country (₹15 crore). MINISTRY OF PORTS,SHIPPING AND WATERWAYS 78 Ministry of Ports,Shipping and Waterways For payment of equity by Sagarmala Development Company Limited under Investment (₹53.43 crore). MINISTRY OF RAILWAYS 85 Ministry of Railways (a) For meeting additional expenditure arising out of court decrees. (b) For meeting additional expenditure towards higher requirement under fuel (Diesel & Electric tractions) and higher repairs and maintenance activities. (c) For meeting additional expenditure arising out of court decrees. MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 86 Ministry of Road Transport and Highways For additional expenditure on Major Works (i) under the Externally Aided Scheme — World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹136 crore) (ii) under National Highways Original Works-General financed from CRIF (₹3,860.09 crore) (iii) under the Counterpart fund for Externally Aided Scheme — World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹159 crore) and (iv) for Financed from Central Road and Infrastructure Fund under Tribal Area Sub Plan for Special Programme Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas (₹59 crore) and (v) Inter Account Transfer to Central Road Infrastructure Fund (CRIF) meant for North East Region, NHOW and GNHCP Schemes (₹6,692.09 crore). MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 93 Department of Social Justice And Empowerment For release of payment for allotment of land	National Institute of Labour Economics Research and Development (₹1.44 crore) and (ii) requirement of funds on account of Innovation Ecosystem Development Activities across the country (₹15 crore). MINISTRY OF PORTS,SHIPPING AND WATERWAYS 78 Ministry of Ports,Shipping and Waterways For payment of equity by Sagarmala Development Company Limited under Investment (₹53.43 crore). MINISTRY OF RAILWAYS 85 Ministry of Railways (a) For meeting additional expenditure arising out of court decrees. (b) For meeting additional expenditure towards higher requirement under fuel (Diesel & Electric tractions) and higher repairs and maintenance activities. (c) For meeting additional expenditure arising out of court decrees. MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 86 Ministry of Road Transport and Highways For additional expenditure on Major Works (i) under the Externally Aided Scheme – World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹136 crore) (ii) under National Highways Original Works-General financed from CRIF (₹3,860.09 crore) (iii) under the Counterpart fund for Externally Aided Scheme – World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹159 crore) and (iv) for Financed from Central Road and Infrastructure Fund under Tribal Area Sub Plan for Special Programme Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas (₹59 crore) and (v) Inter Account Transfer to Central Road Infrastructure Fund (CRIF) meant for North East Region, NHOW and GNHCP Schemes (₹6,692.09 crore). MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 93 Department of Social Justice And Empowerment For release of payment for allotment of land	

		(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जनजातीय कार्य मंत्रालय 100 जनजातीय कार्य मंत्रालय (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के तहत 'वेतन' (₹ 0.26 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 0.50 करोड़) और घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.20 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 100 Ministry of Tribal Affairs (a) For meeting the additional expenditure towards 'Salaries' (₹0.26 crore), Office Expenses (₹0.50 crore) and Domestic Travel Expenses (₹0.20 crore) under the National Commission for Scheduled Tribes (NCST).	0.96	_	0.96
कुल तकनीकी	Total Technical	48,947.46	73,426.91 1,2	22,374.37

4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक ₹ 1 लाख 4. का पूरक अनुदान भी लिया जाना प्रस्तावित है, जिसकी तुलना में दर्शाए गए व्यय को संबंधित अनुदान के राजस्व या पूंजीगत खंड, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत बचत के पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा।

4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग

Token Supplementary Demands for grants

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Revenue Capital **Total** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE कृषि और किसान कल्याण विभाग **Department of Agriculture and Farmers** 2401-फसल पालन 2401- Crop Husbandry 3,176.96 3,176.96 2416 - कृषि वित्तीय संस्थान 2,500.00 2416 - Agricultural Financial Institutions 2,500.00 2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम 660.00 660.00 2435 - Other Agricultural Programmes 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552 - North Eastern Areas 104.32 104.32 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग Department of Agricultural Research and Education 3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 3451 - Secretariat-Economic Services 5.45 5.45 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552 - North Eastern Areas 2.00 2.00 परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY परमाणु ऊर्जा **Atomic Energy** 5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत 5401 - Capital Outlay on Atomic Energy परिव्यय Research 1,233.00 1,233.00 आयुष मंत्रालय MINISTRY OF AYUSH आयुष मंत्रालय Ministry of AYUSH 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 15.00 2210-Medical and Public Health 15.00 रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND **FERTILIZERS** रसायन और उर्वरक विभाग Department of Chemicals and Petrochemicals 2852 - उद्योग 2852 - Industries 1.17 1.17 औषध विभाग **Department of Pharmaceuticals** 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552 - North Eastern Areas 41.52 41.52 2852 - उद्योग 2852 - Industries 1.80 1.80 नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION नागर विमानन मंत्रालय **Ministry of Civil Aviation** 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र (भारत की आकस्मिकता 2552 - North Eastern Areas (For recoupment निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए) of Advance sanctioned from Contingency 50.00 Fund of India)" 50.00 3053 - नागर विमानन 3053 - Civil Aviation 714.08 714.08

			रोड़ रुपए Rupe	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
9 कोयला मंत्रालय	9 Ministry of Coal			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	18.00	-	18.00
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
2407 - वृक्षारोपण	2407 - Plantations	25.09	_	25.09
11 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade	23.07		23.07
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	20.00	-	20.00
2885 - उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885 - Other Outlays on Industries and			
	Minerals	253.48	-	253.48
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION			
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution			
4408 - खाद्य भंडारण और भांडागारण पर पूंजीगत	4408 - Capital Outlay on Food Storage and			
परिव्यय	Warehousing	-	2.00	2.00
सहकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF COOPERATION			
16 सहकारिता मंत्रालय	16 Ministry of Cooperation			
4059-सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	-	149.73	149.73
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18 संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
2205 - कला और संस्कृति (इसमें भारत की	2205 - Art and Culture (this includes ₹56.60			
आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति	crore for recoupment of advance sanctioned			
के लिए ₹56.60 करोड़ शामिल हैं)।	from Contingency Fund of India).	224.98	-	224.98
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	5.50	-	5.50
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19 रक्षा मंत्रालय (सिविल)	19 Ministry of Defence (Civil)			
4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552 - Capital Outlay on North Eastern Area	s -	50.00	50.00
5054 - सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	-	450.00	450.00
21 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21 Capital Outlay on Defence Services 4076 - Capital Outlay on Defence Services	-	11,578.60	11,578.60
	MINISTRY OF FARTH SCIENCES			
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 24 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES 24 Ministry of Earth Sciences			
3403 - समुद्र विज्ञान अनुसंधान	3403 - Oceanographic Research	16.76	_	16.76
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	6.19	_	6.19
3455 - मौसम विज्ञान	3455 - Meteorology	2.78	-	2.78
शिक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF EDUCATION			
25 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	25 Department of School Education and			
20 Carrier out marker 14 m.	Literacy			
2202 - सामान्य शिक्षा	2202 - General Education	1,000.00	_	1,000.00
26 उच्च शिक्षा विभाग	26 Department of Higher Education	,		,
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	204.61	-	204.61
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	67.55	-	67.55
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर	4202 - Capital Outlay on Education, Sports,			
पूंजीगत परिव्यय	Art and Culture	-	0.01	0.01

				(करो	ड़ रुपए Ruped	
अनु	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
इले	क्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	Ml	INISTRY OF ELECTRONICS AND			
27	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	27	INFORMATION TECHNOLOGY Ministry of Electronics and Information			
			Technology			
	2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552 - North Eastern Areas	20.00	-	20.00
	2852 - उद्योग		2852 - Industries	180.00	-	180.00
	3454 - जनगणना, सर्वेक्षण और आँकड़े		3454 - Census, surveys and statistics	110.00	-	110.00
	4859 - दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय		4859- Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries	-	2.50	2.50
पर्य	वरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MI	INISTRY OF ENVIRONMENT,			
	,		FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
28	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	28	Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
	2406 - वानिकी और वन्य जीवन		2406 - Forestry and Wild Life	90.65	-	90.65
	3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान		3601 - Grants-in-aid to State Governments	148.50	-	148.50
	5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान		5425 - Capital Outlay on Other Scientific			
	पर पूंजीगत परिव्यय		and Environment Research	-	3.00	3.00
वित्त	मंत्रालय	MI	NISTRY OF FINANCE			
30	आर्थिक कार्य विभाग	30	Department of Economic Affairs			
	2075 - विविध सामान्य सेवाएं		2075-Miscellaneous General Services	0.01	-	0.01
	3466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं		3466-International Financial Institutions	86.35	-	86.35
	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक		3475-Other General Economic Services 3605-Technical and Economic Co-operation	1.57	-	1.57
	सहयोग		with Other Countries	235.00	-	235.00
32	वित्तीय सेवाएं विभाग	32	Department of Financial Services			
	2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		2235 - Social Security and Welfare	20.00	-	20.00
36	प्रत्यक्ष कर	36	Direct Taxes			
	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय		4059 - Capital Outlay on Public Works	-	118.46	118.46
~-	4216 - आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	27	4216 - Capital Outlay on Housing	-	7.04	7.04
37	अप्रत्यक्ष कर	3/	Indirect Taxes 2037 - Customs	700.00		700.00
	2037 - सीमा शुल्क 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय		4059-Capital Outlay on Public Works	/00.00	73.00	73.00
	4216- आवासन पर पूंजीगत परिव्यय		4216-Capital Outlay on Housing	_	4.40	4.40
42	राज्यों को अंतरण	42	Transfers to States		1.10	1.10
	2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत		2245 - Relief on account of Natural			
	C		Calamities	1,600.00	-	1,600.00
	7601 - राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम		7601 - Loans and Advances to State			
			Governments	-	230.00	230.00
	7602 - संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ऋण		7602 - Loans and Advances to Union			
	और अग्रिम		Territory Governments	-	0.01	0.01
मत्र	यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	Ml	NISTRY OF FISHERIES, ANIMAL			
40	मत्स्य विभाग	42	HUSBANDRY AND DAIRYING			
43	भत्स्य विभाग 2405 - मत्स्यपालन	43	Department of Fisheries 2405 - Fisheries	4.40		4.40
11	2405 - मरस्यपालन पशुपालन और डेयरी विभाग	11	Department of Animal Husbandry and	4.40	-	4.40
	नसुनारान जार उपरा विवास	77	Dairying			
	2403 - पशुपालन		2403 - Animal Husbandry	0.90	_	0.90
	2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552 - North Eastern Areas	1.94	-	1.94
खाः	घ प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	Ml	INISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	45	Ministry of Food Processing Industries			
	2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण		2408 - Food Storage and Warehousing	15.06	_	15.06

				(करोड़ रुपए Rupees in C			
अनुव	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
स्वा	ष्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MI	NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE				
46	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	46	Department of Health and Family Welfare				
	2210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य		2210 - Medical and Public Health	800.45	_	800.45	
	2211 - परिवार कल्याण		2211 - Family Welfare	85.62	_	85.62	
	2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552 - North Eastern Areas	180.46	_	180.46	
	4210 - चिविरुसा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर		4210 - Capital Outlay on Mediacal and	100.10		100.10	
	पूंजीगत परिव्यय		Public Health	-	5.00	5.00	
-	मंत्रालय	MI	NISTRY OF HOME AFFAIRS				
49	गृह मंत्रालय	49	Ministry of Home Affairs				
	2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत		2245 - Relief on account of Natural				
			Calamities	45.76	-	45.76	
	4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत		4250 - Capital Outlay on other Social				
	परिव्यय		Services	-	14.00	14.00	
51	पुलिस	51	Police				
	2055 - पुलिस		2055 - Police	348.35	- 	348.35	
	4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय		4055 - Capital Outlay on Police	-	112.22	112.22	
52	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	52	Andaman and Nicobar Islands				
	3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		3451 - Secretariat-Economic Services	4.00	-	4.00	
	2210 - चिविरुसा और सार्वजनिक स्वास्थ्य		2210 - Medical and Public Health	0.50	-	0.50	
	2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता		2215-Water Supply and Sanitation	0.89	-	0.89	
	2217-शहरी विकास		2217-Urban Development	15.00	-	15.00	
	2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण		2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes				
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		and Minorities	2.00	-	2.00	
	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास		2230-Labour, Employment and Skill				
			Development	0.27	-	0.27	
	2402-मृदा और जल संरक्षण		2402-Soil and Water Conservation	0.14	-	0.14	
	2702-लघु सिंचाई कार्य		2702-Minor Irrigation	0.25	-	0.25	
	3054-सड़कें और पुल		3054-Roads and Bridges	0.15	-	0.15	
	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत		4047-Capital Outlay on Other Fiscal				
	परिव्यय		Services	-	0.03	0.03	
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय		4055-Capital Outlay on Police	-	0.15	0.15	
	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		4059-Capital Outlay on Public Works 4070-Capital Outlay on Other	-	1.00	1.00	
	2		Administrative Services	-	2.11	2.11	
	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत		4202-Capital Outlay on Education, Sports,				
	परिव्यय		Art and Culture	-	7.40	7.40	
	4210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	_	2.50	2.50	
	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,		4225-Capital Outlay on Welfare of		2.00	2.00	
	अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण		Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other				
	पर पूंजीगत परिव्यय		Backward Classes and Minorities	_	0.06	0.06	
	4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत		4235-Capital Outlay on Social Security and				
	परिव्यय		Welfare	-	0.30	0.30	
	4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत		4250-Capital Outlay on other Social				
	परिव्यय		Services	-	5.69	5.69	
	4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय		4401-Capital Outlay on Crop Husbandry	-	1.03	1.03	
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय		4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	-	0.65	0.65	
	4405 - मत्स्यपालन पर पूंजीगत परिव्यय		4405-Capital Outlay on Fisheries	-	0.64	0.64	
	4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत		4406-Capital Outlay on Forestry and Wild				
	परिव्यय		Life	-	0.65	0.65	
	4408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजीगत		4408-Capital Outlay on Food Storage and				
	परिव्यय		Warehousing	-	1.50	1.50	

			ोड़ रुपए Ruped	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत	4515-Capital Outlay on Other Rural			
परिव्यय	Development Programmes	-	1.00	1.00
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	-	0.55	0.55
4851-ग्रामीण और लघु उद्योगों पर पूंजीगत	4851-Capital Outlay on Village and Small			
परिव्यय	Industries	-	0.55	0.55
5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	-	5.00	5.00
5452 - पर्यटन पर पूंजीगत [े] परिव्यय	5425-Capital Outlay on Other Scientific and			
.	Environmental Research	-	0.01	0.01
5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism	-	0.15	0.15
5 लद्दाख	55 Ladakh			
2015 - चुनाव	2015 - Elections	0.03	-	0.03
2202 - सामान्य शिक्षा	2202 - General Education	1.87	-	1.87
2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2245 - Relief on account of Natural			
	Calamities	5.00	-	5.00
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408 - Food Storage and Warehousing	46.50	-	46.50
गवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN			
	AFFAIRS			
अावासन और शहरी कार्य मंत्रालय	60 Ministry of Housing and Urban Affairs			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052 - Secretariat-General services	3.50	-	3.50
2059 - लोक निर्माण	2059 - Public Works	1.20	_	1.20
2217 - शहरी विकास	2217 - Urban Development	1.30	_	1.30
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	175.66	_	175.66
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works	-	51.00	51.00
4216 - आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	4216 - Capital Outlay on Housing	_	50.00	50.00
4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4217 - Capital Outlay on Urban			
a	Development	-	3,202.56	3,202.56
नूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
61 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information and			
•	Broadcasting			
2552 - पूर्वोत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	12.19	-	12.19
ाल शक्ति मंत्रालय	MINICTOV OF LAT CHAI/TI			
	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
2 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	62 Department of Water Resources, River			
विभाग	Development and Ganga Rejuvenation	470.00		470.00
2701 - मुख्य और मध्यम सिंचाई कार्य	2701 - Major and Medium Irrigation	470.00	0.11	470.00
4702 - लघु सिंचाई कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4702 - Capital Outlay on Minor Irrigation	=	0.11	0.11
म एवं रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND			
:	EMPLOYMENT			
4 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	64 Ministry of Labour and Employment			
2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230 - Labour, Employment and Skill	0.51		0.51
	Development	0.51	-	0.51
ोधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
5 विधि एवं न्याय मंत्रालय	65 Law and Justice			
2014 - न्याय प्रशासन (इसमें भारत की	2014-Administration of Justice (this			
आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति	includes ₹9.35 crore for recoupment of			
के लिए ₹ 9.35 करोड़ शामिल हैं)।	advance sanctioned from Contingency Fund			
47 KTY (3.00 47 KT) KTT (6) T	of India).	15.94	_	15.94
6 निर्वाचन आयोग	66 Election Commission	13.74		13.74
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works	-	7.00	7.00
ट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND			
Aurian da Susanian un asund	NATURAL GAS			
'6 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	76 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
2802 - पेट्रोलियम	2802 - Petroleum	477.00	-	477.00
2852 - उद्योग	2852 - Industries	215.62	_	215.62
2002 - Valu	2032 - Muusilies	213.02	-	213.02

		(कर	गेड़ रुपए Rupee	·
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पत्तन, पोत परिवहन, और जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS			
78 पत्तन, पोत परिवहन, और जलमार्ग मंत्रालय	78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways			
3051 - पोर्ट और लाइट हाउस	3051 - Ports and Light Houses	30.88	-	30.88
वेद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
'9 विद्युत मंत्रालय 2801 -विद्युत	79 Ministry of Power 2801 - Power	59.15	_	59.15
2001 14g(i	2001 - 1 OWCI	39.13	_	39.13
ल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
5 रेल मंत्रालय 5002 - भारतीय रेलवे पर पूंजीगत परिव्यय -	85 Ministry of Railways 5002 - Capital Outlay on Indian Railways -			
वाणिज्यिक लाइनें	Commercial Lines	-	30,478.00	30,478.00
ाड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND			
6 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	HIGHWAYS 86 Ministry of Road Transport and			
•	Highways			
3602 - विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों को	3602-Grants-in-aid to Union Territory	160.00		460.00
सरकारों को सहायता अनुदान 4552- पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Governments with Legislature 4552 - Capital Outlay on North Eastern	460.00	-	460.00
4002 नुवासर वाजा गर नुवासस गरव्यव	Areas	-	2,805.00	2,805.00
गमीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
8 भूमि संसाधन विभाग	88 Department of Land Resources			
2506 - भूमि सुधार	2506 - Land Reforms	10.04	-	10.04
वेज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	89 Department of Science and Technology			
3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451 - Secretariat-Economic Services	0.50	=	0.50
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (इसमें भारत	3425 - Other Scientific Research (this			
की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹60 करोड़ शामिल हैं)।	indudes ₹60 crore sanctioned from Contingency Fund of India).	95.01	_	95.01
0 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	90 Department of Biotechnology	75.01		75.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	12.00	-	12.00
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (जिनमें से ₹200 करोड़ भारत की आकस्मिकता निधि से	3425 - Other Scientific Research (₹200 crore			
र 200 कराड़ भारत का आकारमकता । नाथ स आहरित)।	sanctioned from Contingency Fund of India).	412.01	_	412.01
1 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	91 Department of Scientific and Industrial			
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Research 3425 - Other Scientific Research	10.00	-	10.00
जैशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT			
	AND ENTREPRENEURSHIP			
2 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	92 Ministry of Skill Development and			
2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास	Entrepreneurship 2230 - Labour, Employment and Skill			
,	Development	175.00	-	175.00
नामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND			
94 दिव्यांगजनों के अधिकारिता विभाग	EMPOWERMENT 94 Department of Empowerment of Persons			
2	with Disabilities			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235 - Social Security and Welfare	13.54	-	13.54

1,93,326.41 77,182.48 2,70,508.89

1,44,378.12 3,755.11 1,48,133.23

48,947.46 73,426.91 1,22,374.37

0.83 0.46 1.29

अनुदाना का पूरक माग,	2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	JK GKAN1S		(XIX)
		(करो	ड़ रुपए Rupee	s in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
95 अंतरिक्ष विभाग	95 Department of Space			
3402 - अंतरिक्ष अनुसंधान	3402 - Space Research	214.00	-	214.00
5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान का पूंजीगत परिव्यय	5402 - Capital Outlay of Space Research	-	119.23	119.23
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
98 कपड़ा मंत्रालय	98 Ministry of Textiles			
2851 - ग्राम और लघु उद्योग	2851 - Village and Small Industries	12.59	-	12.59
2852 - उद्योग	2852 - Industries	72.05	-	72.05
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
102 युवा मामले और खेल मंत्रालय	102 Ministry of Youth Affairs and Sports			
2204 - खेल और युवा सेवाएं	2204 - Sports and Youth Services	2.50	-	2.50
कुल सांकेतिक	Total Token	0.83	0.46	1.29
अनुदानों की अनुपूरक मांगों में कुल 10,793.30 करोड़ रूपए शामिल हैं, जिन्हें भारत की आकस्मिकता निधी में वापस किया जाना है, जो कि 10 विभागों/मंत्रालयों द्वारा आहरित किया गया था।	be recouped to Contigency Fund of India adva			

GRAND TOTAL

Net Cash Outgo

Technical Supplementary

Token Supplementary

कुल जोड़

निवल नकद व्यय

तकनीकी पूरक

सांकेतिक पूरक

विषय सूची CONTENTS

							•	करोड़ in रै	crore)
	-20-4			V 150 05		राजस्व	पूंजी		पृष्ठ
	संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
कृषि	एवं कृषक		Ml	INISTRY OF AGRICULTURE AND					
	कल्याण मंत्रालय			FARMERS WELFARE					
1.	कृषि, और कृषक		1.	Department of Agriculture					
	कल्याण विभाग	स्वीकृत		and Farmers Welfare	Voted	0.04	•••	0.04	1-2
2.	कृषि अनुसंधान तथा		2.	Department of Agricultural Research					
	शिक्षा विभाग	स्वीकृत		and Education	Voted	145.29	•••	145.29	3
परम	ाणु ऊर्जा विभाग		DF	EPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
3.	परमाणु ऊर्जा	भारित	3.	Atomic Energy	Charged	18.00		18.00	4
		स्वीकृत			Voted	•••	0.01	0.01	
आयु	ष मंत्रालय		Ml	INISTRY OF AYUSH					
4.	आयुष मंत्रालय	स्वीकृत	4.	Ministry of AYUSH	Voted	0.01	•••	0.01	5
रसा	यन और उर्वरक मंत्रालय		Ml	INISTRY OF CHEMICALS AND					
				FERTILIZERS					
5.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग		5.	Department of Chemicals and					
		स्वीकृत		Petrochemicals	Voted	0.01		0.01	6
6.	उर्वरक विभाग	स्वीकृत	6.	Department of Fertilisers	Voted	36325.36		36325.36	7
7.	भेषज विभाग	भारित	7.	Department of Pharmaceuticals	Charged	0.01		0.01	8
		स्वीकृत			Voted	0.01		0.01	
नाग	र विमानन मंत्रालय		Ml	NISTRY OF CIVIL AVIATION					
8.	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8.	Ministry of Civil Aviation	Voted	0.02	10.00	10.02	9
कोय	ला मंत्रालय		Ml	INISTRY OF COAL					
9.	कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	9.	Ministry of Coal	Voted	0.01		0.01	10
वाणि	ाज्य और उद्योग मंत्रालय		Ml	INISTRY OF COMMERCE AND					
				INDUSTRY					
10.	वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	10	. Department of Commerce	Voted	742.01		742.01	11
11.	उद्योग संवर्धन और		11.	. Department for Promotion of					
	आंतरिक व्यापार विभाग	भारित		Industry and Internal Trade	Charged	0.29		0.29	12
		स्वीकृत			Voted	0.02	235.98	236.00	
संचा	र मंत्रालय		Ml	INISTRY OF COMMUNICATIONS					
12.	डाक विभाग	स्वीकृत	12	. Department of Posts	Voted	83.96	518.40	602.36	13
13.	दूरसंचार विभाग	भारित	13	. Department of Telecommunications	Charged	25.00	1.14	26.14	
		स्वीकृत			Voted	25052.58	634.36	25686.94	14
उपभ	गेक्ता कार्य, खाद्य और		Ml	INISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,					
	सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
14.	उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	14	. Department of Consumer Affairs	Voted	•••	6.77	6.77	15
15.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण		15	Department of Food and					
	विभाग	स्वीकृत		Public Distribution	Voted		3.21	3.21	16
सहर	कारिता मंत्रालय		Ml	INISTRY OF COOPERATION					
16.	सहकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	16	. Ministry of Cooperation	Voted	1002.03	0.01	1002.04	17-18
	हृति मंत्रालय		MI	INISTRY OF CULTURE					
18.	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	18	. Ministry of Culture	Voted	0.02		0.02	19

						(₹	करोड़ in र	crore)
					राजस्व	पूंजी		पृष्ट
मांग	। संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue			Page
रक्षा	मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
	रक्षा मंत्रालय (नागरिक)	भारित	19. Ministry of Defence (Civil)	Charged	1.71		1.71	20-21
		स्वीकृत		Voted	2327.36	0.02	2327.38	
20.	रक्षा सेवाएं (राजस्व)	भारित	20. Defence Services (Revenue)	Charged	20.87		20.87	22-23
		स्वीकृत	(Voted	7219.57		7219.57	
21.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित	21. Capital Outlay on Defence Services	Charged		233.98	233.98	24
	C	स्वीकृत		Voted		0.01	0.01	
22.	रक्षा पेंशन	स्वीकृत	22. Defence Pensions	Voted	33724.38		33724.38	25
पूर्वी	त्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	C	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF					
.,			NORTH EASTERN REGION					
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		23. Ministry of Development of					
	6	स्वीकृत	North Eastern Region	Voted		33.76	33.76	26
पृर्ख	ो विज्ञान मंत्रालय	C	MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
-	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	24. Ministry of Earth Sciences	Voted	0.03		0.03	27
	॥ मंत्रालय	C	MINISTRY OF EDUCATION					
25.	विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता		25. Department of School Education					
	विभाग	स्वीकृत	and Literacy	Voted	0.01		0.01	28
26.	उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	26. Department of Higher Education	Voted	12.67	0.01	12.68	29-30
	क्ट्रानिकी और सूचना	c	MINISTRY OF ELECTRONICS AND					
	प्रौद्योगिकी मंत्रालय		INFORMATION TECHNOLOGY					
27.	इलेक्ट्रानिकी और सूचना		27. Ministry of Electronics and					
	प्रौद्योगिकी मंत्रालय	स्वीकृत	Information Technology	Voted	0.03	0.01	0.04	31
पर्या	वरण, वन और जलवायु	5	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORES'		0.05	0.01	0.0.	01
	परिवर्तन मंत्रालय		AND CLIMATE CHANGE					
28	पर्यावरण, वन और जलवायु परिव	र्तन	28. Ministry of Environment, Forests					
	मंत्रालय	 स्वीकृत	and Climate Change	Voted	0.02	0.01	0.03	32
विदे	श मंत्रालय	c	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	, 0,00	0.02	0.01	0.02	5 -
	विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	29. Ministry of External Affairs	Voted	451.58		451.58	33
	मंत्रालय	(412/11	MINISTRY OF FINANCE	Voica	431.30	•••	431.30	33
	आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	30. Department of Economic Affairs	Voted	0.04		0.04	34
	वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	32. Department of Financial Services	Voted	0.04	•••	0.01	35
	राजस्व विभाग	स्वीकृत	35. Department of Revenue		67012.58	•••	67012.58	36
36.	प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	36. Direct Taxes	Voted		0.02	0.02	37
37.		स्वीकृत	37. Indirect Taxes	Voted	0.01	0.02	0.02	38
38.	0 \	रपापट्टरा	38. Indian Audit and	Voicu	0.01	0.02	0.03	30
50.	और लेखा विभाग	स्वीकृत		Voted		124 21	124.21	39
20		स्पापरृत <i>भारित</i>	Accounts Department		 4830.00	134.21	134.21 4830.00	40
	ब्याज भुगतान	भारत भारित	39. Interest Payments	Charged				
40.	ऋण का पुनर्भुगतान पेंशन		40. Repayment of Debt	Charged		70762.96	70762.96	41
41.	राज्यों को अंतरण	स्वीकृत <i>भारित</i>	41. Pensions	Voted	1499.19		1499.19	42
42.	राज्या का अंतरण		42. Transfers to States	Charged		0.01	0.01	43
		स्वीकृत	MINISTRY OF FIGURE AND ALL	Voted	0.01	0.01	0.02	
भटर	ाय पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय		MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL					
40		-	HUSBANDRY AND DAIRYING	37 . 1	0.01		0.01	4.4
	मत्सय पालन विभाग	स्वीकृत	43. Department of Fisheries	Voted	0.01	•••	0.01	44
44.	पशु पालन और डेरी कार्य	-	44. Department of Animal Husbandry	¥7	21.11		21.1.	
_	विभाग	स्वीकृत	and Dairying	Voted	31.14		31.14	45
खाह	प्र प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING					
			INDUSTRIES		0 - :		0 = :	
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वाकृत	45. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01	•••	0.01	46

					(₹ ₹	करोड़ in रै	₹crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		MINISTRY OF HEALTH AND					
मंत्रालय		FAMILY WELFARE					
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		46. Department of Health and					
विभाग	स्वीकृत	Family Welfare	Voted	0.03	0.01	0.04	47
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
49. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	49. Ministry of Home Affairs	Voted	0.01	0.01	0.02	48
51. पुलिस	भारित	51. Police	Charged		0.13	0.13	49
	स्वीकृत		Voted	0.01	0.01	0.02	
52. अण्डमान और निकोबार द्वीप		52. Andaman and Nicobar					
समूह	स्वीकृत	Islands	Voted	0.09	0.20	0.29	50-52
55. लद्दाख	स्वीकृत	55. Ladakh	Voted	0.04		0.04	53
56. लक्ष्यद्वीप	स्वीकृत	56. Lakshadweep	Voted	35.95		35.95	54
57. दिल्ली को अंतरण	स्वीकृत	57. Transfers to Delhi	Voted		0.01	0.01	55
58. जम्मू कश्मीर को अंतरण	स्वीकृत	58. Transfers to Jammu and Kashmir	Voted	158.00		158.00	56
आवासन और शहरी कार्य		MINISTRY OF HOUSING AND					
मंत्रालय		URBAN AFFAIRS					
60. आवासन और शहरी		60. Ministry of Housing and					
कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	Urban Affairs	Voted	0.04	0.03	0.07	57-58
सूचना तथा प्रसारण		MINISTRY OF INFORMATION					
मंत्रालय		AND BROADCASTING					
61. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	61. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.01		0.01	59
जल शक्ति मंत्रालय		MINISTRY OF JAL SHAKTI					
62. जल संसाधन, नदी विकास		62. Department of Water Resources,					
और गंगा कायाकल्प		River Development and					
विभाग	स्वीकृत	Ganga Rejuvenation	Voted	0.01	0.01	0.02	60
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
64. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	64. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.01		0.01	61
65. विधि और न्याय	स्वीकृत	65. Law and Justice	Voted	3166.09		3166.09	62
66. निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	66. Election Commission	Voted		0.01	0.01	63
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND					
मंत्रालय		MEDIUM ENTERPRISES					
68. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		68. Ministry of Micro, Small and					
मंत्रालय	स्वीकृत	Medium Enterprises	Voted	2306.21		2306.21	64
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES					
69. खान मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of Mines	Voted	151.95		151.95	65
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा		MINISTRY OF NEW AND					
मंत्रालय		RENEWABLE ENERGY					
71. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा		71. Ministry of New and					
मंत्रालय	स्वीकृत	Renewable Energy	Voted	5536.00		5536.00	66
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		MINISTRY OF PETROLEUM					
मंत्रालय		AND NATURAL GAS					
76. पेट्रोलियम और प्राकृतिक		76. Ministry of Petroleum					
गैस मंत्रालय	स्वीकृत	and Natural Gas	Voted	0.02		0.02	67
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING					
77. योजना मंत्रालय	स्वीकृत	77. Ministry of Planning	Voted	16.44	•••	16.44	68
पत्तन, पोत परिवहन एवं		MINISTRY OF PORTS, SHIPPING					
जलमार्ग मंत्रालय		AND WATERWAYS					
78. पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग		78. Ministry of Ports, Shipping					
मंत्रालय	स्वीकृत	and Waterways	Voted	0.01	23.86	23.87	69

					(₹	करोड़ in ₹	crore)
				राजस्व	पूंर्ज	ो जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capita	l Total	Page
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER					
79. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	79. Ministry of Power	Voted	0.01		0.01	70
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा		THE PRESIDENT, PARLIAMENT,					
आयोग और उपराष्ट्रपति का		UNION PUBLIC SERVICE					
सचिवालय		COMMISSION AND THE					
		SECRETARIAT OF					
		THE VICE PRESIDENT					
84. संघ लोक सेवा आयोग	भारित	84. Union Public Service Commission	Charged	18.75		18.75	71
रेल मंत्रालय		MINISTRY OF RAILWAYS					
85. रेल मंत्रालय	भारित	85. Ministry of Railways	Charged	68.80	882.00	950.80	72
	स्वीकृत		Voted	1340.94	0.01	1340.95	
सड़क परिवहन और राजमार्ग		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT					
मंत्रालय		AND HIGHWAYS					
86. सड़क परिवहन और		86. Ministry of Road Transport					
राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	and Highways	Voted	0.01	3693.10	3693.11	73-74
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
88. भूमि संसाधन विभाग	स्वीकृत	88. Department of Land Resources	Voted	0.01		0.01	75
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND					
		TECHNOLOGY					
89. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	89. Department of Science and Technology	Voted	0.02		0.02	76
90. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	90. Department of Biotechnology	Voted	0.02		0.02	77
91. वैज्ञानिक और औद्योगिक		91. Department of Scientific &					
अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	Industrial Research	Voted	0.01		0.01	78
कौशल विकास और उद्यमशीलता		MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT					
मंत्रालय		AND ENTREPRENEURSHIP					
92. कौशल विकाग और उद्यमशीलता		92. Ministry of Skill Development					
मंत्रालय	स्वीकृत	and Entrepreneurship	Voted	0.01		0.01	79
कौशल विकास और उद्यम		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE					
मंत्रालय		AND EMPOWERMENT					
93. सामाजिक न्याय और		93. Department of Social Justice					
अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	and Empowerment	Voted		8.17	8.17	80
94. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग		94. Department of Empowerment of					
	स्वीकृत	Persons with Disabilities	Voted	0.01		0.01	81
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
95. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	95. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02	82
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
98. वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry of Textiles	Voted	0.02		0.02	83
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
100. जनजातीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	100. Ministry of Tribal Affairs	Voted	0.96		0.96	84
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS					
102. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	AND SPORTS 102. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.01		0.01	85
	-	1 "					
कुल जोड़	_	GRAND TOTAL		193326.41	77182.48	270508.89	
	भारित		Charged	4983.43	71880.22	76863.65	
	स्वीकृत		Voted	188342.98	5302.26	193645.24	
अनुबंध		ANNEXURE					

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये) (See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

				(₹ करोंड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	-		
राजस्व	Revenue		123960.75	123960.75
पूंजी जोड़	Capital		39.25	39.25
जोड़	Total		124000.00	124000.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	0.03	0.03
पूंजी जोड़	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total	***	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:		
राजस्व	Revenue		0.04	0.04
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	***	124000.08	124000.08
राजस्व	Revenue	***	123960.82	123960.82
पूंजी	Capital		39.26	39.26
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों वे	ज्ञंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for		r Head	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry		0.01	(कa) 0.01
2416-कृषि वितीय संस्थान	2416-Agricultural Financial Institutions		0.01	(खb) 0.01
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2435-Other Agricultural Programmes		0.01	(गc) 0.01
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(घd) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.04	0.04

(b)

(c)

यह पुरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) कृषोन्नति योजना (₹0.30 करोड़) के तहत डिजिटल कृषि के अधीन सहायता अन्दान सामान्य। (ii) 'सब्सिडी' (₹157.21 करोड़) के तहत कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दलहनों का वितरण। (iii) वनस्पति संरक्षण क्वॉरंटाइन और भंडारण निदेशालय के तहत सहायता अन्दान सामान्य (₹7.00 करोड़)। (iv) खाद्य और पोषण सुरक्षा (₹6.00 करोड़) के तहत सहायता अन्दान सामान्य। (v) 'सब्सिडी' (₹3000 करोड़) के तहत अन्दानों के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस)/मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) का क्रियान्वयन। (vi) "एनईएस क्षेत्र के लिए जैविक मुल्य श्रंखला विकास" के तहत सहायता अन्दान सामान्य (₹0.005 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (₹0.005 करोड़)। (vii) "पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण" के तहत सहायता अन्दान वेतन (₹1.13 करोड़)। (viii) कृषोन्नति योजना (₹3.25 करोड़) के तहत पौधों की किस्मों और किसान अधिकारों के संरक्षण के अधीन पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान। (ix) "कृषि जनगणना और सांख्यिकी" के तहत सहायता अन्दान सामान्य (₹2.06 करोड़)।

अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक

'सब्सिडी' (₹2500.00 करोड़) के तहत संशोधित ब्याज सहायता स्कीम (ख) (एमआईएसएस)।

> अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग) कृषि विपणन योजना के तहत सहायता अन्दान सामान्य (₹660.00 करोड़)।

> अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(i) Grants-in-aid General under Digital Agriculture under Krishonnati Yojna (₹0.30 crore). (ii) Distribution of Pulses to States/UTs for Welfare Schemes under 'Subsidies' (₹157.21 crore). (iii) Grants-inaid General under Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage (₹7.00 crore). (iv) Grants-in-aid General under Food and Nutrition Security (₹6.00 crore). (v) Implementation of Market Intervention Scheme (MIS)/Price Support Scheme (PSS) for Grants under 'Subsidies' (₹3000 crore). (vi) Grants-in-aid General (₹0.005 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹0.005 crore) under "Organic Value Chain Development for NES Region". (vii) Grants-in-aid Salary under "Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights" (₹1.13 crore). (viii) Grants for creation of Capital Assets under Protection of Plant Varieties and Farmer's Rights under Krishonnati Yojana (₹3.25 crore). (ix) Grants-in-aid General under "Agriculture Census and Statistics" (₹2.06 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Modified Interest Subvention Scheme (MISS) under 'Subsidies' (₹2500.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid General under Agricultural Marketing Scheme

(ঘ)

(i) कृषि जनगणना और सांख्यिकी योजना (₹6.20 करोड़) के तहत सामान्य े १ श्रेणी के लिए सहायता अन्दान सामान्य। (ii) कृषोन्नति योजना के तहत डिजिटल कृषि के लिए सामान्य श्रेणी हेत (₹0.90 करोड़), अनुसूचित जाति श्रेणी (₹0.36 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना श्रेणी (₹0.10 करोड़) के लिए सहायता अनुदान सामान्य। (iii) कृषोन्नति योजना के तहत खाद्य तेल-तेल पॉम योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए सहायता अनुदान सामान्य (₹32.26 करोड़)। (iv) कृष्णोन्नति योजना के तहत खाद्य तेल-तिलहन योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए सहायता अनुदान सामान्य (₹22.89 करोड़)। (v) सहायता अन्दान सामान्य (₹8.11 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के मृजन के लिए अनुदान (₹1.46 करोड़), अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए विशेष घटक योजना के तहत सहायता अनुदान सामान्य (₹0.41 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना श्रेणी (₹23.48 करोड़) के तहत सहायता अन्दान सामान्य और एनईएस क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना श्रेणी (₹2.73 करोड़) के तहत पूंजीगत आस्तियों के मृजन के लिए अनुदान। (vi) कृषि जनगणना और सांख्यिकी योजना के तहत सहायता अनुदान सामान्य (₹5.42 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। (i) Grants-in-aid General for General Category under Agriculture Census and Statistics Scheme (₹6.20 crore). (ii) Grants-in-aid General for General Category (₹0.90 crore), for Scheduled Castes category (₹0.36 crore) and for Tribal Area Sub-Plan category (₹0.10 crore) for Digital Agriculture under Krishonnati Yojana. (iii) Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under Edible Oil-Oil Palm Scheme under Krishonnati Yojana (₹32.26 crore). (iv) Grantsin-aid General for Tribal Area Sub-Plan under Edible Oil-Oilseeds Scheme under Krishonnati Yojana (₹22.89 crore). (v) Grants-inaids General (₹8.11 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹1.46 crore), Grants-in-aid General under Special Component Plan for SC Category (₹0.41 crore), Grants-in-aid General under Tribal Area Sub-Plan category (₹23.48 crore) and Grants for creation of Capital Assets under Tribal Area Sub-Plan category (₹2.73 crore) under Organic Value Chain Development for NES Region. (vi) Grants-in-aid General under Agriculture Census and Statistics Scheme (₹5.42 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

				(₹ करॉड़	T) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		8513.62		8513.62
पूंजी	Capital	***			***
जोड़	Total	***	8513.62		8513.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		145.29		145.29
पूंजी जोड़	Capital				
	Total		145.29		145.29
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		8658.91		8658.91
राजस्व	Revenue		8658.91		8658.91
पूंजी	Capital	***			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	the following Major H	Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(कa)	0.01
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education	***	145.27	(खb)	145.27
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	***	145.29		145.29

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) 'मुख्य निर्माण कार्य' के तहत कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल को नए भवन के निर्माण और रखरखाव तथा संबंधित कार्यों हेत् (₹5.45 करोड़)।

> अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(i) कृषि सूचना और प्रकाशन निदेशालय, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन सहित (ख) आई.सी.ए.आर. मख्यालय प्रशासन को सामान्य सहायता अनदान (₹145.27 करोड़) । इसमें प्रतिपतिं के लिए विभाग द्वारा सीएफआई से ₹7 करोड़ का अग्रिम भी शामिल है। (ii) कृषि सूचना और प्रकाशन निदेशालय, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन को सामान्य सहायता अनुदान (₹11.78 करोड़) (iii) अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्शदात्री समूह के लिए भारत के सदस्यता योगदान में 'अंशदान' के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत् (₹ 0.40 करोड़)। (iv) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ब्ंदेलखंड को सामान्य सहायता अन्दान जारी करने हेत् (₹3 करोड़)। (v) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को सामान्य सहायताँ अन्दान (₹ 0.67 करोड़)। (vi) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान जारी करने हेत् (₹2.90 करोड़)। (vii) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को वेतन सहायता अन्दान (₹ 6 करोड़)। (viii) कृषि में सूचना और प्रकाशन निदेशालय, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अन्दान (₹10 करोंड़)।

> अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹145.27 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ग) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल को सामान्य सहाययता अनुदान जारी करने हेतु (₹2 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हए, सांकेतिक प्रक

की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

creation and maintenance of new building and related works to Agricultural Scientists Recruitment Board under 'Major Works' (₹5.45 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-aid General to I.C.A.R. Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture Intellectual Property Rights Management (₹145.27 crore). This also includes an advance of ₹7 crore from CFI by the Department, for recoupment. (ii) Grants-in-aid General to I.C.A.R. Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management (₹11.78 crore). (iii) meeting additional expenditure under 'Contribution' to India's Membership Contribution to Consultative Group on International Agricultural Research (₹ 0.40 crore). (iv) release of Grants-in-aid General to Central Agricultural University, Bundelkhand (₹3 crore). (v) Grants-in-aid General to Central Agricultural University, Bihar (₹ 0.67 crore). (vi) release of Grants for creation of Capital Assets to Central Agricultural University, Bihar (₹2.90 crore). (vii) Grants-in-aid Salaries to Central Agricultural University, Bihar (₹ 6 crore). (viii) Grants for creation of Capital assets to I.C.A.R. Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture Intellectual Property Rights Management (₹10 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 145.27 crore.

release of Grants-in-aid General to Central Agricultural University, Imphal (₹2 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 3

परमाणु ऊर्जा ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये) (See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

स्वीकृत भारित जोद Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 1.00 16517.81 16518.81 पूंजी Capital 15825.08 15825.08 जोड 32342.89 32343.89 Total 1 00 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदानः राजस्व 3146.24 3146.24 Revenue पूंजी Capital 0.02 ... जोड Total 3146.26 3146.26 इस समय आवश्यक रकम का प्रक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 18 00 Revenue 18 00 पुंजी Capital 0.01 0.01 जोड़ Total 18.00 0.01 18.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 35489.16 35508.16 19.00 राजस्व Revenue 19.00 19664.05 19683.05 पुंजी Capital 15825.11 15825.11 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	2852-Industries	18.00	(कa)		18.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत	5401-Capital Outlay on Atomic Energy Research		0.01	(खb)	0.01
परिव्यय					
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	18.00	0.01		18.01

(b)

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) न्यायालय कुर्की का भुगतान (रू.18 करोड़)।

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

(ख) आईटीईआर संगठन (958 करोड़ रुपये) और बीएआरसी की रणनीतिक परियोजनाओं (275 करोड़ रुपये) के लिए नकद अंशदान के बकाया के भुगतान के लिए ट्यय को पूरा करना।

> अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) payment of Court attachment (₹ 18 crore).

Taking into account the savings available in the Voted section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

meeting expenditure towards payment of arrears of In-cash contribution for ITER Organisation (₹ 958 crore) and strategic projects of BARC (₹ 275 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुष मंत्रालय MINISTRY OF AYUSH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये) (See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			(1, 3)	(19) (11) (610) 65		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		3050.00	3050.00		
पूंजी	Capital	***		•••		
जोड़	Total		3050.00	3050.00		
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01		
पूंजी	Capital	***		•••		
जोड़	Total		0.01	0.01		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01		
पूंजी	Capital					
जोड़	Total		0.01	0.01		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3050.02	3050.02		
राजस्व	Revenue		3050.02	3050.02		
पूंजी	Capital					
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के :	अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	0.01		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (12 करोड़ रुपये) और (ii) केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) के तहत वेतन-सहायता अनुदान (3 करोड़ रुपये)।

अनु अनु अने के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

(i) Grant for Creation of Capital Assets under Institute of Teaching & Research in Ayurveda (ITRA) (₹ 12 crore) and (ii) Grants-in-Aid Salary under Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) (₹ 3 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 5

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

Revenue

Revenue

Revenue

Revenue

Capital

Total

Capital

Capital

Total

I. ORIGINAL GRANT:

SUPPLEMENTARY GRANT:

Total (Original plus Supplementary)

Supplementary Estimate of the amount now required:

্মবীকূন সৌর

Voted Total

207.67 207.67
1.33 1.33
209.00 209.00

... ...
...
...
...
...
0.01 0.01
...
0.01 0.01

209.01

207.68

1.33

0.01

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

Capital ॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

yy Magor Fead. भारित स्वीकृत जोड़ Charged Voted Total

0.01

209.01

207.68

1.33

राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD

मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD2852-3योग
2852-Industries

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

I. मूल अनुदान:

पूरक अनुदान: राजस्व

जोड़ (मूल और पूरक)

राजस्व

पुंजी

जोड

पुंजी

जोड़

राजस्व

पुंजी

जोड़

राजस्व

पूंजी

(i) सहायता अनुदान (जीआईए)-सामान्य (0.73 करोड़ रुपये) के तहत इन्स्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड एंड फॉरम्यूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) और (ii) जीआईए- सामान्य (रु. 0.73 करोड़) के तहत केमिकल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (सीपीडीएस) के लिए व्यय को पूरा करना 0.44 करोड़)। अनुदान समान खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards (i) Institute of Pesticides Formulation Technology (IPFT) under Grants-in-aid(GiA)-General(₹ 0.73 crore) and (ii) Chemical Promotion & Development Scheme (CPDS) under GiA- General (₹ 0.44 crore).

भारित

Charged

...

...

...

...

...

...

मांग संख्या DEMAND NO 6

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये) (See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जोद Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 109242.18 109242.18 पूंजी Capital 0.05 0.05 जोड Total 109242.23 109242.23 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदानः राजस्व 109288.95 109288.95 Revenue पूंजी Capital जोड 109288.95 109288.95 Total इस समय आवश्यक रकम का पुरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 36325.36 36325.36 पूंजी Capital जोड Total 36325.36 36325.36 ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 254856.54 254856.54 राजस्व 254856.49 254856.49 Revenue पूंजी 0.05 0.05 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॉड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2401-कृषि कार्य 21000.00 2401-Crop Husbandry 21000.00 (कa) 2852-उँद्योग 15325.36 2852-Industries 15325.36 (खb) जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 36325.36 36325.36

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) (i) स्वदेशी पीएण्डके सिंद्सिडी का भुगतान (10,000 करोड़ रुपये) और (ii) आयातित पीएण्डके सिंद्सिडी का भुगतान (11,000 करोड़ रुपये)। इसमें 6,000 करोड़ रुपये भारत की आकस्मिकता निधि से निकाले गए की अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;

(ख) (i) स्वदेशी यूरिया सब्सिडी के लिए भुगतान (8,853.91 करोड़ रुपये) और (ii) आयातित यूरिया सब्सिडी के लिए भुगतान (6471.45 करोड़ रुपये)। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से लिए गए 4,000 करोड़ रुपये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;

The supplementary Grants are required for:

- (i) Payment for Indigenous P&K Subsidy (₹ 10,000 crore) and(ii) Payment for Imported P&K Subsidy (₹ 11,000 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 6,000 crore drawn from
 - Contingency Fund of India.
 - The above expenditure will entail a cash outgo;
 (i) Payment for Indigenous Urea Subsidy (₹ 8,853.91 crore) and
 - (ii) Payment for Imported Urea Subsidy (₹ 6471.45 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 4,000 crore drawn from Contingency Fund of India.

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 7

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये) (See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

				(t 90 (15) (111 (CI OI ES)	/
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	2238.85	2238.85	
पूंजी जोड़	Capital	***	5.30	5.30	
जोड़	Total	***	2244.15	2244.15	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	1.80	24.39	26.19	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	1.80	24.39	26.19	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
राजस्व	Revenue	0.01	0.01	0.02	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	0.01	0.01	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.81	2268.55	2270.36	
राजस्व	Revenue	1.81	2263.25	2265.06	
पूंजी	Capital	***	5.30	5.30	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be		he following Major	Heads:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
उ 2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(क a) 0.01	
2852-उद्योग	2852-Industries	0.01	(खb)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.01	0.01	0.02	

यह पूरक अन्दाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (41.52 करोड़ रुपये) के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर) (गुवाहाटी) के लिए आवासीय क्वार्टर/हॉस्टल के निर्माण के लिए व्यय को परा करना।

> अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण को निधियों का भुगतान करने के लिए (1.80 करोड़ रुपये) (शब्दावली में सुधार के लिए)।

> अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting expenditure towards construction of residential quarters/ hostel for National Institutes of Pharmaceutical Education and Research(NIPER) (Guwahati) under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 41.52 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Rajasthan Drugs & Pharmaceuticals Ltd. (RDPL) to comply with Hon'ble Supreme Court order to deposit funds before the National Company Law Tribunal (₹ 1.80 crore) (to correct nomenclature).

मांग संख्या DEMAND NO 8

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये) (See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॉद Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 10590.54 10590.54 पूंजी Capital 76.46 76.46 जोड Total 10667.00 10667.00 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदानः राजस्व 0.01 0.01 Revenue पूंजी Capital जोड 0.01 Total 0.01 इस समय आवश्यक रकम का पुरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 0.02 0.02 पूंजी Capital 10.00 10.00 जोड Total 10.02 10.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 10677.03 10677.03 राजस्व 10590.57 10590.57 Revenue पूंजी Capital 86.46 86.46 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2552-पूर्वीतर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (कa) 0.01 3053-नागर विमानन 0.01 3053-Civil Aviation 0.01 (खb) ... जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.02 0.02 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पुंजीगत परिव्यय 4059-Capital Outlay on Public Works 10.00 (गc) 10.00 10.02 10.02

जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	
यह पूरक अनुदान (क)	ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की वसूली के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना (एनईआर) के तहत सब्सिडी (50 करोड़ रुपये)	The (a)
(ख)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। (i) (क) क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) (428.10 करोड़ रुपये) (ख) होलोंगी हवाई अड्डे के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को (259.99 करोड़ रुपये) (ग) भारत में ड्रोन और ड्रोन घटक उद्योग/कंपनी के लिए (24 करोड़ रुपये) । (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के लिए सामान्य सहायता अनुदान (1.99 करोड़ रुपये) की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।	(b)
(ग)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) के तहत मुख्य कार्य हेतु (10 करोड़ रुपये)। अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(c)

he supplementary Grants are required for:

Subsidies under Regional Connectivity Scheme (NER) for recoupment of advance from Contingency Fund of India (₹ 50 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants for creation of Capital Assets for (a) Regional Connectivity Scheme (RCS) (₹ 428.10 crore) (b) Airport Authority of India (AAI) for Hollongi airport (₹ 259.99 crore) (c) PLI Scheme for Drone and Drones Components Industry /Company in India (₹ 24 crore). (ii) Grants-in-aid General for Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy (₹ 1.99 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Major Works under Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) (₹ 10 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 9

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये) (See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत	, , जोड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		393.24	393.24
पूंजी	Capital			***
जोड़	Total		393.24	393.24
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	154.64	154.64
पूंजी	Capital	***		***
जोड़	Total		154.64	154.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		547.89	547.89
राजस्व	Revenue		547.89	547.89
पूंजी	Capital	•••		•••
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un		:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(I) पूर्वीत्तर क्षेत्रों के तहत 'कोयला और लिग्नाइट के अन्वेषण पर' पर खर्च को पूरा करने के लिए 18 करोड़ रुपये ('क्षेत्रीय अन्वेषण' के लिए 5.50 करोड़ रुपये और 'विस्तृत ड्रिलिंग' के लिए 12.50 करोड़ रुपये) प्रदान करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

(I) providing ₹ 18 crore towards meeting expenditure on 'Exploration of Coal and Lignite' under North Eastern Areas (₹ 5.50 crore for 'Regional Exploration' and ₹ 12.50 crore for 'Detailed Drilling'). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 10

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये) (See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जोद Total Charged Voted I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 0.50 5672.50 5673.00 पूंजी Capital 400.00 400.00 जोड 0.50 6072.50 6073.00 Total SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदानः राजस्व 383.00 383.00 Revenue पूंजी Capital 0.01 जोड 383.01 Total 383.01 इस समय आवश्यक रकम का पुरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 742.01 742.01 पूंजी Capital जोड Total 742.01 742.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 0.50 7197.52 7198.02 राजस्व 6797.51 6798.01 Revenue 0.50 पूंजी 400.01 400.01 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2407-पौधरोपण 2407-Plantations 0.01 (कa) 0.01 3453-विदेश व्यापार और निर्यात संवर्द्धन 742.00 3453-Foreign Trade and Export Promotion 742.00 (खb) ... जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 742.01 742.01 यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: (क) (i) 'कॉफी बोर्ड' योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (0.09 करोड़ रुपये) और (i) Grants-in-aid Salaries (₹ 0.09 crore) under the scheme 'Coffee (ii) 'रबर बोर्ड' योजना के तहत सहायता अनुदान सामान्य (25.00 करोड़ रुपये)। Board' and (ii) Grants-in-aid General (₹ 25.00 crore) under the scheme 'Rubber Board'. अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of की मांग की जाती है। the Grant, a token supplementary is sought. (ख) (i) 'भारतीय विदेश व्यापार संस्थान' योजना के तहत सहायता अनुदान वेतन (i)Grants-in-aid Salaries (₹ 10 crore) under the Scheme 'Indian

Institute of Foreign Trade' and (ii) Subsidies (₹ 742 crore) under

Taking into account the savings available within the same section

the scheme 'Interest. Equalisation Scheme'.

of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 742 crore.

(10.00 करोड़ रुपये)। (ii) ब्याज समानता योजना के तहत सब्सिडी

अन्दान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें 742

करोड़ रुपए का अतिरिक्त नकद व्यय होगा।

मांग संख्या DEMAND NO 11

उदयोग और आंतरिक व्यापार संवर्धन

DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये) (See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जोद Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 7048.00 7048.00 पूंजी Capital 1300.00 1300.00 जोड Total 8348.00 8348.00 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदानः राजस्व 0.04 0.05 Revenue 0.01 पूंजी Capital 62.45 62.45 जोद Total 0.01 62.49 62.50 इस समय आवश्यक रकम का प्रक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 0.02 0.31 0.29 पूंजी Capital 235 98 235 98 जोड Total 0.29 236.00 236.29 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 0.30 8646.49 8646.79 राजस्व 7048.06 7048.36 Revenue 0.30 पूंजी 1598.43 1598.43 II. इस प्रक अनदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: भारित स्वीकृत जॉड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2552-पूर्वीतर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (कa) 0.01 2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय 2885-Other Outlays on Industries and Minerals 0.29 (खb) 0.01 (गc) 0.30 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.29 0.02 0.31 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4875-अन्य उद्योगों पर पुंजीगत परिव्यय 4875-Capital Outlay on Other Industries 235.98 (घd) 235.98 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 0.29 236.00 236.29 यह पुरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants/Appropriations are required for: "पूर्वोत्तर उद्योग और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी)" के तहत सब्सिडी Subsidies (₹ 20.00 crore) under the scheme "North Eastern (20.00 करोड रुपए)। Industrial and Investment Promotion Policy (NEIPP)". अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of की मांग की जाती है। the Grant, a token supplementary is sought. "परिवहन/मालभाडा सब्सिडी योजना" के तहत सब्सिडी (0.29 करोड रुपए)। (ख) Subsidies (₹ 0.29 crore) under the scheme "Transport/Freight (b) अन्दान के राजस्व (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध अभ्यार्पण को ध्यान में रखते हुए Taking into account the surrender of savings available in the उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। Revenue (Voted) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo; "हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड 2017" के लिए औद्योगिक विकास योजना के (ग) (c) Subsidies (₹ 253.48 crore) under the scheme "Industrial अंतर्गत सब्सिडी (253.48 करोड़ रुपए)। Development Scheme for Himachal Pradesh & Uttarakhand, 2017". अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of की मांग की जाती है। the Grant, a token supplementary is sought. "निधियों की निधि" योजना के तहत निवेश (235.98 करोड़ रुपए)। (d) (ঘ) Investment (₹ 235.98 crore) under the Scheme "Fund of Funds". अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध अभ्यार्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त Taking into account the surrender of savings available in the व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 12

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(कंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये) (See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

Demands for Grants for the year 2022-2023) (₹ करोंड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॉद Voted Charged Total I. ORIGINAL GRANT: l. मृल अन्दान: राजस्व 0.80 35506.47 35507.27 Revenue पूंजी Capital 888 62 888 62 जोड Total 0.80 36395.09 36395.89 SUPPLEMENTARY GRANT: पुरक अनुदान: . राजस्व 1 60 Revenue 1 60 पूंजी Capital 87.00 87.00 जोड Total 1.60 87.00 88.60 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now required: अनुमान: राजस्व Revenue 83.96 83.96 पुंजी Capital 518.40 518.40 जोड़ 602.36 602.36 Total ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 2.40 37084.45 37086.85 राजस्व Revenue 35590.43 35592.83 2.40 पूंजी 1494 02 1494 02 Capital II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head स्वीकृत जॊड Charged Total Voted REVENUE SECTION राजस्व भाग **MAJOR HEAD** मुख्य शीर्ष 3201-डाक सेवाएं 3201-Postal Services 83.96 (**क**a) 83.96 CAPITAL SECTION पूंजी भाग मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत 4552-Capital Outlay on North Eastern Areas 42.10 (खb) 42.10 परिव्यय 5201-डाक सेवाओं पर पूंजीगत 5201-Capital Outlay on Postal Services 276.30 (गc) 276.30 परिट्यय 5465-सामान्य वित्तीय और 5465-Investments in General Financial and Trading 200.00 200.00 (घd) व्यापारिक संस्थाओं में निवेश Institutions जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 518.40 518.40 ... Total (Supplementary) 602.36 602.36 जोड़ (पूरक) घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. राजस्व भाग REVENUE SECTION 3201-डाक सेवाएं 3201-Postal Services (-)350.00(-)350.00यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: वेतन पर अतिरिक्तं व्यय (83.96 करोड़ रुपये) को पूरा करना। meeting additional expenditure on Salaries (₹ 83.96 crore). अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध समान वसूली को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त Taking into account the matching recoveries available in the same व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा; section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo पूर्वीतर क्षेत्रों में डाकघरों/प्रशासनिक कार्यालयों/लेखा कार्यालयों को हाईवेयर की (ख) meeting additional expenditure of supply of hardware to Post (b) आपूर्ति के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (42.10 करोड़ रुपये)। Offices/ Administrative Offices/Accounts Offices in North Eastern areas (₹ 42.10 crore) इससे नकद व्यय होगा। This will entail cash outgo

meeting additional expenditure on IT Modernization Project 2.0

Taking into account the matching recoveries available in the

Revenue section of the Grant, the above expenditure will entail net

meeting additional expenditure on capital infusion in India Post

(₹ 276.30 crore).

(d)

cash outgo of ₹ 10.26 crore.

Payment Bank (₹ 200 crore).

This will entail cash outgo.

आईटी आध्निकीकरण परियोजना 2.0 (276.30 करोड़ रुपये) पर अतिरिक्त

अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध समान वसूली को ध्यान में रखते हए,

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (200 करोड़ रुपये) में पूंजी डालने पर अतिरिक्त व्यय को

उपरोक्त व्यय में 10.26 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा।

(ग)

(ঘ)

व्यय को पुरा करना।

इससे नकद व्यय होगा।

पूरा करना।

मांग संख्या DEMAND NO 13

दुरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये) (See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 13 of the First Supplementary

Demands for Grants for the year 2022-2023) (₹ करोंड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित ज़ॉद Voted Charged Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 32436.38 32436.38 पूंजी Capital 63111.42 63111.42 जोड 95547.80 95547.80 Total पूरक अनुदानः SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व 13668.84 13668.84 Revenue पुंजी Capital 0.01 0.01 जोद Total 13668.85 13668.85 इस समय आवश्यक रकम का प्रक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 25052 58 Revenue 25 00 25077 58 पुंजी Capital 634.36 635.50 1.14 जोड़ 26.14 25686.94 25713.08 134903.59 जोड़ (मूल और पूरक) 134929.73 Total (Original plus Supplementary) 26.14 राजस्व Revenue 25.00 71157.80 71182.80 पुंजी Capital 63745.79 63746.93 1.14 II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: भारित स्वीकृत जोद Voted Charged Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3275-अन्य संचार सेवाएं 3275-Other Communication Services (खb) 25077.58 25.00 (कa) 25052.58 पुंजी भाग **CAPITAL SECTION** म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 5275-अन्य संचार सेवाओं पर पुंजीगत (गc) (ਬd) 635.50 5275-Capital Outlay on Other Communication 634 36 परिव्यय Services जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 26.14 25686.94 25713.08 यह प्रक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants/Appropriations are required for: न्यायालय के निर्देशानुसार आईटीआई लिमिटेड की सांविधिक देयराशि पर 25 Meeting expenditure of ₹ 25 crore on statutory dues of ITI limited करोड़ रुपये का व्यय पुरा करना। as per the direction of the court. इसमें नकद व्यय होगा। This will entail cash outgo. (i) दूरसंचार उपकरण के अनिवार्य परीक्षण एवं प्रमाणन (एमटीसीटीई) के लिए (ख) (b) 0.60 करोड रुपए का अतिरिक्त व्यय परा करना, (ii) बीएसएनएल को व्यवहार्य अन्तर निधियन के लिए 52.58 करोड़ रुपए, (iii) गारन्टी शुल्क की छूट के लिए 72.58 करोड़ रुपए, (iv) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (युएसओएफ) को अतिरिक्त अन्तरण हेत् 25,000 करोड़ रुपए। (USOF). अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए इसमें 25052.58 करोड़ रुपए का नकद outgo of ₹ 25052.58 crore. एनजीएन परिवहन प्रयोगशाला न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का (ग) (c) भ्गतान पूरा करने के लिए 1.14 करोड़ रुपए अपेक्षित है। NGN Transport Lab Tribunal/court. इसमें नकद व्यय होगा। This will entail cash outgo. (i) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अतिरिक्त अन्तरण के लिए 25,000 (ঘ) (d) करोड़ रुपए, (ii) नई परियोजना "दरसंचार उपकरण के अनिवार्य परीक्षण एवं प्रमाणन (एमटीसीई) के लिए 0.30 करोड़ रुपए अपेक्षित हैं, (iii) सिम

सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस रिकाग्निशन पावर्ड सोल्युशन (एएसटीआर)" के लिए 0.70 करोड़ रुपए अपेक्षित

अनदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 634.36 करोड़ रुपए की बकाया राशि के लिए पूरक की मांग की जाती है। इसमें नकद व्यय

(i)Meeting additional expenditure of ₹ 0.60 crore towards 'Mandatory Testing and Certification of Telecom Equipment (MTCTE), (ii) ₹ 52.58 crore towards Viability Gap Funding to BSNL, (iii) ₹ 72.58 crore towards waiver of Guarantee fee, (iv) ₹ 25,000 crore for additional transfers to Universal Service Obligation Fund

Taking into account the additional receipts, this will entail cash

₹ 1.14 crore is required to meet the payment of decree passed by

(i) ₹ 25,000 crore towards additional transfers to Universal Service Obligation Fund. (ii) ₹ 0.30 crore required for new project "Mandatory Testing and Certification of Telecom Equipment (MTCE)" ,(iii) ₹ 0.70 crore required for new project "Artificial Intelligence and face Recognition powered Solution for Telecom SIM Subscriber Verification (ASTR)"

Taking into account savings the savings available in the same section of the Grant, supplementary for the balance amount of ₹ 634.36 crore is sought. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 14

उपभोक्ता मामले विभाग DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			(ر ۱۹۸۱۶	(III (CIOICS)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		1742.53		1742.53
पूंजी जोड़	Capital		19.85		19.85
जोड़	Total		1762.38		1762.38
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital				
जोड़	Total				•••
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		***		
पूंजी	Capital		6.77		6.77
जोड़	Total		6.77		6.77
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1769.15		1769.15
राजस्व	Revenue	•••	1742.53		1742.53
पूंजी	Capital		26.62		26.62
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unde		or Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
उ 4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas		0.82	(क a)	0.82
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर	5425-Capital Outlay on Other Scientific and		5.05	(खb)	5.05
पूंजीगत परिव्यय	Environmental Research			. ,	
ू 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत	5475-Capital Outlay on Other General Economic		0.90	(गc)	0.90
परिव्यय	Services				
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		6.77		6.77

(c)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

एनईआर, गुवाहाटी में वियुत प्रयोगशाला की स्थापना (0.22 करोड़ रुपये)।
(ii) समय प्रसार परियोजना (रु. 0.60 करोड़) के लिए उपकरणों की खरीद के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की तत्काल आवश्यकता को पूरा करना।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

'मशीनरी और उपकरण' के तहत आवेग जनरेटर परीक्षण प्रणाली की खरीद और जीसीएमएस मशीनरी उपकरण के लिए भृगतान करने हेत् (5.05 करोड़ रुपये)।

> अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ग) (i) 'मशीनरी और उपकरण' (रु. 0.80 करोड़) के अंतर्गत भारत सरकार टकसाल, मुंबई से उपकरणों की खरीद के लिए प्रतिबद्ध व्यय को पूरा करना (ii) 'समय प्रसार परियोजना' के तहत उपकरणों की खरीद के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की तत्काल आवश्यकता को पूरा करना मशीनरी और उपकरण' (0.10 करोड़ रुपये)।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

(i) setting up of Electrical Laboratory at NER, Guwahati (₹ 0.22 crore).
 (ii) fulfilment the immediate requirement of National Physical Laboratory for procurement of equipment for Time Dissemination Project (₹ 0.60 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

making payment on account of purchase of impulse generator testing system and for GCMS Machinery equipment under 'Machinery & Equipment' (\mathfrak{T} 5.05 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(i) fulfilment the committed expenditure for procurement of equipment from India Government Mint, Mumbai under 'Machinery & Equipment' (₹ 0.80 crore) (ii) fulfilment the immediate requirement of National Physical Laboratory for procurement of equipment for Time Dissemination project under 'Machinery & Equipment' (₹ 0.10 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये) (See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

·		भारित Charged	स्वीकृत Voted	<i>(₹ करोड़) (In ₹ crores,</i> जोड़ Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	onargou	70.04	· Vai
राजस्व	Revenue		213929.91	213929.91
पूंजी	Capital		12029.67	12029.67
जोड़	Total		225959.58	225959.58
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		80348.28	80348.28
पूंजी	Capital		0.03	0.03
जोड़	Total		80348.31	80348.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		3.21	3.21
जोड़	Total		3.21	3.21
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		306311.10	306311.10
राजस्व	Revenue		294278.19	294278.19
पूंजी	Capital		12032.91	12032.91
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेग	Т:	
	II. This Supplementary Grants will be accoun-			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम पर पूंजीगत	4408-Capital Outlay on Food Storage and		0.01	(कa) 0.01
परिव्यय	Warehousing			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas		3.20	(खb) 3.20
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	<i></i>	3.21	3.21
यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:	The europe	mentary Grants are require	od for:	
	тте ѕаррге ा' (2 करोड़ रुपये) के तहत एफआरके (a)			stitute under 'Machinery 8
प्रयोगशालाओं की स्थापना।	(a)	Equipment' (₹ 2 crore).	labs by the in	istitute under Machinery o
	नों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक	, , ,	e savings avail:	able in the same section of
की मांग की जाती है।	" " 100 gc (11-10) - 10-1	the Grant, a token supp	•	
	रुपये) के तहत एनईआर में गोदामों का (b)		-	R by FCI under 'Investment

Taking into account the surrender of savings available in the

Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail

any additional cash outgo.

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते ह्ए

उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

मांग संख्या DEMAND NO 16

सहकारिता मंत्रालय MINISTRY OF COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये) (See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

				(<i>4</i> 0) (III & CIOI	es)
		भारित	स्वीकृत		ऒड़	
		Charged	Voted		Total	
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		889.00		889.00	
पूंजी	Capital		11.00		11.00	
जोड़	Total		900.00		900.00	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue					
पूंजी	Capital		154.00		154.00	
जोड़	Total		154.00		154.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		1002.03		1002.03	
पूंजी	Capital		0.01		0.01	
जोड़	Total		1002.04		1002.04	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2056.04		2056.04	
राजस्व	Revenue		1891.03		1891.03	
पूंजी	Capital		165.01		165.01	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	ति दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under					
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2425-सहकारिता	2425-Co-operation		856.96	(कa)	856.96	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		84.00	(खb)	84.00	
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		55.38	(गc)	55.38	
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		5.69	(घd)	5.69	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		1002.03		1002.03	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	(ਝe)	0.01	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		1002.04		1002.04	

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

यह पूरक जनुपान निन्नालाखत (क) (i) (क) मामाञ

(ख)

(i) (क) सामान्य सहायता अनुदान (414.31 करोड़ रुपये), (ख) अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष घटक योजना (₹91.73 करोड़) और (ग) जनजातीय क्षेत्र उप योजना के लिए कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना के तहत 47.52 करोड़ रुपये की अग्रिम की वसूली के लिए, भारत की आकस्मिकता निधि से 184.19 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए, और जीएफआर 2017 के परिशिष्ट 10 के तहत 369.37 करोड़ रुपये व्यय को परा करना (ii) नाबार्ड को जीएफआर 2017 के परिशिष्ट 10 के तहत होने वाले अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए 'प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण' के तहत सामान्य अन्दान (100 करोड़ रुपये) (iii) (क) सहायता अन्दान सामान्य (₹328.28 करोड़), (ख) अन्सूचित जाति उप योजना के लिए (₹80.19 करोड़) और (ग) जनजातीय क्षेत्र उप योजना के लिए (₹41.53 करोड़) राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग के लिए। (iv) जीएफआर 2017 के परिशिष्ट 10 के तहत अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए वैक्ंठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वीएएमएनआईसीओएम) को 30 करोड़ रुपये जारी करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के मृजन के लिए अन्दान को पूरा करना।

अनुदान के उसी खंड के अंतर्गत उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 856.96 करोड रुपये का नकद व्यय होगा।

(i) (क) सहायता अनुदान सामान्य (45.93 करोड़ रुपये), (ख) अनुसूचित जाति उप योजना (10.19 करोड़ रुपये) और (ग) कृषि सहयोग एकीकृत योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र उप योजना (5.28 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करना। जीएफआर 2017 के परिशिष्ट 10 के तहत 61.40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए। (ii) (क) सहायता अनुदान सामान्य (37.41 करोड़ The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure towards (i) (a) Grants- in-aid General (₹ 414.31 crore), (b) for Special Component Plan for Scheduled Caste Sub Plan (₹91.73 crore) and (c) for Tribal Area Sub Plan (₹47.52crore) under Integrated Scheme on Agriculture Cooperation, for recoupment of advance of ₹ 184.19 crore from Contingency Fund of India and for regularizing the excess expenditure of ₹ 369.37 crore incur under Appendix 10 of GFR 2017 (ii) Grants- in-aid General under 'Computerization of Primary Agricultural Credit Societies' for regularizing the excess expenditure incur under Appendix 10 of GFR 2017 to NABARD (₹100 crore) (iii) (a) Grants- in-aid General (₹328.28 crore), (b) for Scheduled Caste Sub Plan (₹80.19 crore) and (c) for Tribal Area Sub Plan (₹41.53 crore) for National Cooperative Development Cooperation . (iv) Grants for creation of Capital Assets for release of ₹ 30 crore to Vaikunthlal Mehta National Institute of Cooperative Management (VAMNICOM) for regularizing the excess expenditure incur under Appendix 10 of GFR 2017.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 856.96 crore. meeting expenditure towards (i) (a) Grants- in-aid General (₹ 45.93 crore), (b) for Scheduled Caste Sub Plan (₹ 10.19 crore) and (c) for

crore), (b) for Scheduled Caste Sub Plan (₹ 10.19 crore) and (c) for Tribal Area Sub Plan (₹5.28 crore) under Integrated Scheme on Agriculture Cooperation for regularizing the excess expenditure of ₹ 61.40 crore incur under Appendix 10 of GFR 2017 (ii) (a) Grants-

(c)

रुपये), (ख) अनुसूचित जाति उप योजना के लिए योजना (र8.30 करोड़) और (ग) सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग के तहत जनजातीय क्षेत्र उप योजना के लिए (र4.29 करोड़) के व्यय को पूरा करना।

अनुदान के एक उसी खंड के अंतर्गत उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 84 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

- (ग) चालू वित वर्ष में राज्यों को अतिरिक्त व्यय (55.38 करोड़ रुपये) पूरा करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के तहत सहायता अनुदान सामान्य।
 - उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।
- (घ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण के तहत नए खुले शीर्ष के (d) तहत संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (5.69 करोड़ रुपये)।
 उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा।
- (ङ) तैयार-निर्मित आवास के अधिग्रहण के लिए (149.73 करोड़ रुपये) के व्यय को पुरा करना।
 - अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतित पूरक की मांग की जाती है।

in-aid General (₹ 37.41 crore), (b) Plan for Scheduled Caste Sub Plan (₹8.30 crore) and (c) for Tribal Area Sub Plan (₹4.29 crore) under National Cooperative Development Cooperation for strengthening of Cooperative Sugar Mills.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 84 crore.

Grants-in-aid General under Computerization of Primary Agricultural Credit Societies to meet additional outgo (₹ 55.38 crore) to States in current financial year.

The above expenditure will entail a cash outgo.

Grants-in-aid General under Computerization of Primary Agricultural Credit Societies to release funds to UTs under the newly opened head (\mathfrak{T} 5.69 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo .

meeting expenditure towards Acquisition of Ready Built Accommodation (₹ 149.73 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 18

संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये) (See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जोद Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 2920.89 2920.89 पूंजी Capital 88.16 88.16 जोड 3009.05 3009.05 Total SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदानः राजस्व 354.02 Revenue 354.02 पूंजी Capital 0.01 जोड Total 354.03 354.03 इस समय आवश्यक रकम का प्रक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 0.02 0.02 पूंजी Capital जोड Total 0.02 0.02 ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 3363.10 3363.10 ... राजस्व 3274.93 Revenue 3274.93 पूंजी 88.17 88.17 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित जॊड़ स्वीकृत Voted Total Charged राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2205-कला और संस्कृति 2205-Art and Culture 0.01 (कa) 0.01 2552-पूर्वीतर क्षेत्र 0.01 2552-North Eastern Areas 0.01 (खb) ... जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.02 0.02

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

क) (i) सामान्य सहायता अनुदान (क) अकादिमयों को सहायता (₹168.60 करोड़, जिनमें से ₹56.60 करोड़ भारत की आकस्मिक निधि की भरपाई के लिए आवश्यक हैं) (ख) शताब्दी और वर्षगांठ समारोह (₹36.18 करोड़) (ग) राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण और रोडमैप मिशन (₹3.00 करोड़) (ïi) अकादिमयों को सहायता के रूप में पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹17.20 करोड़)।

> अनुदान समान खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) अनुदान सहायता सामान्य के अतिरिक्त व्यय के लिए कला संस्कृति विकास योजना (5.50 करोड़ रुपये)।

> अनुदान समान खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (i) Grant-in-Aid General (a) Support to Akademies (₹168.60 crore of which, ₹56.60 crore required to recoup Contingency Fund of India)
 - (b) Centenary and Anniversary Celebrations (₹36.18 crore)
 - (c) National Mission on Cultural Mapping & Roadmap (₹3.00 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets as Support to Akademies
 - (ii) Grants for Creation of Capital Assets as Support to Akademie (₹17.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting additional expenditure for Grant-in-aid General for Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹5.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा मंत्रालय (सिविल) MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19-20 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 19-20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023) (₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत ज़ोट Total Charged Voted ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 0.72 32049.29 32050.01 पूंजी Capital 35.00 11589.99 11624.99 जोड Total 35.72 43639.28 43675.00 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व 2750.00 2750 50 Revenue 0.50 पूंजी Capital 500.01 500.01 जोड Total 0.50 3250.01 3250.51 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 1.71 2327.36 2329.07 पूंजी Capital 0.02 0.02 जोड 2329.09 2327 38 Total 171 जोड़ (मृल और पुरक) Total (Original plus Supplementary) 37.93 49216 67 49254 60 2.93 37126.65 37129.58 पूंजी 12090.02 12125.02 II. इस प्रक अनदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: भारित जॉड स्वीकृत Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं 2052-Secretariat-General Services 147 (**कa**) 775.48 (खb) 776 95 2014-न्याय प्रशासन 2014-Administration of Justice (गc) 0.24 0.24 2037-सीमा श्ल्क 351.88 (घd) 351.88 2075-विविध सामान्य सेवाएं 2075-Miscellaneous General Services 1200 00 1200 00 (ङe) जोड़ (राजस्व भाग) 1.71 2327.36 2329.07 Total (Revenue Section) पुंजी भाग **CAPITAL SECTION** म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय 4552-Capital Outlay on North Eastern Areas 0.01 (चf) 0.01 5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 5054-Capital Outlay on Roads and Bridges 0.01 (छg) 0.01 जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 0.02 0.02 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 1.71 2327.38 2329.09 यह पूरक अन्दाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants/Appropriations are required for: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के अनुपालन में भुगतान के लिए ₹ 1.47 crore towards charged expenditure for payments in प्रभारित व्यय के लिए ₹ 1.47 करोड़। compliance with the Central Administrative Tribunal, New Delhi, अन्दान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय Taking into account the savings available in the Capital Section of के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा: the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo. (i) सीमा सड़क संगठन (₹ 542.14 करोड़), (ii) रक्षा लेखा विभाग (₹ 31.21 (ख) meeting the additional expenditure of ₹ 775.48 crore mainly on करोड़), (iii) रक्षा संपदा महानिदेशालय (₹ 192.63 करोड़), (iv) रक्षा उत्पादन account of (i) Border Road Organization (₹ 542.14 crore), (ii) विभाग (₹18 करोड़ सामान्य सहायता अन्दान (रक्षा उत्कृष्टता के नवाचारों के Defence Accounts Department (₹ 31.21 crore), (iii) Directorate लिए), (v) रक्षा विभाग (₹9.26 करोड़)के कारण मुख्य रूप से 775.48 करोड़ General Defence Estates (₹ 192.63 crore), (iv) Department of रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। Defence Production (₹ 18 crore) towards Grants-in-aid General for Innovations for Defence Excellence (v) Department of Defence (₹ 9.26 crore). अन्दान के प्ंजीगत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय Taking into account the savings available in the Capital Section of के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा; the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के अनुपालन में प्रभारित व्यय के (ग) (c) ₹ 0.24 Crore towards charged expenditure is required in लिए ₹ 0.24 करोड की आवश्यकता है। compliance of Central Administrative Tribunal, New Delhi.

Taking into account the savings available in the Capital Section of

the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash

₹ 351.88 crore for establishment related expenditure mainly on

account of Supplies and Materials (₹ 40 crore), POL (₹ 49.40

outao

अनदान के प्ंजीगत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय

आपूर्ति और सामग्री (₹ 40 करोड़), पीओएल (₹ 49.40 करोड़), विज्ञापन और

प्रचार (₹ 1 करोड़), लघु कार्यों (₹ 200 करोड़) के लिए पुर्जी/रूटिंग किट की खरीद

के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

(ঘ)

(e)

(f)

(g)

	और रखरखाव, व्यावसायिक सेवाओं (₹ 43 करोड़) और तटरक्षक संगठन की सूचना प्रौद्योगिकी (₹ 8 करोड़) के लिए मुख्य रूप से स्थापना संबंधी व्यय हेतु ₹351.88 करोड़।
	अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;
(ङ)	आपूर्ति और सामग्री अनिवार्य संविदात्मक देनदारियां, एएफडी बिक्री में वृद्धि और कैंटीन स्टोर विभाग की सामान्य बिक्री के तहत आवश्यकताओं के लिए ₹ 1200 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना;
	₹1200 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त

क नकद व्यय नहीं होगा;

(च) सीमा सड़क संगठन के लिए ₹50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पुरा करना। अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(छ)

अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

सीमा सड़क संगठन के लिए ₹ 450 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना

crore), Advertisement & Publicity (₹ 1 crore), Minor works (₹ 200 crore) towards procurement of spares/routing kits and towards maintenance, Professional Services (₹ 43 crore) and Information Technology (₹ 8 crore) of Coast Guard Organization.

Taking into account the savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

meeting additional expenditure of ₹ 1200 crore towards requirements under Supplies and Materials; obligatory contractual liabilities, increase in AFD Sales and general sales of Canteen Stores Department.

Taking into account the additional receipt of ₹ 1200 crore this will not entail any additional cash outgo.

meeting additional expenditure of ₹ 50 crore for Border Road Organisation.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure of ₹ 450 crore for Border Road Organisation.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये) (See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 20 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

	ds for Grants for the year	2022 2020)					/-	- . // -
							(₹ कर	रोड़) (In ₹ cror
				भारित		स्वीकृत		जौड़
				Charged		Voted		Total
मूल अन्	नुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
जस्व		Revenue		98.04		239645.67		239743.71
जी		Capital						•••
ोड़		Total		98.04		239645.67		239743.71
रक अनु	दान:	SUPPLEMENTARY GRANT:						
जस्व 🌷		Revenue		0.70		19999.30		20000.00
ज़ी		Capital						
ोड़		Total		0.70		19999.30		20000.00
स समय ३	आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amoun	t now required:					
जस्व		Revenue		20.87		7219.57		7240.44
जी		Capital						
ोड़		Total		20.87		7219.57		7240.44
ोड़ (मूल 3	और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		119.61		266864.54		266984.15
जस्व		Revenue		119.61		266864.54		266984.15
जी		Capital						
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	. अधि के अं	 ਤਰੰਤ ਵਿਕਾਸ ਤਰੇਸ	т.			•••
						owing Major H	Joodo:	
		II. This Supplementary Grants/Appropr	iations will be a	iccounted for unde भारित	er trie ron	_	ieaus.	-गेर
						स्वीकृत		जोड़ Total
		DEVENUE CECTION		Charged		Voted		Total
जस्व भ	<i>] </i>	REVENUE SECTION						
ख्य शीर्ष	× · · · ×	MAJOR HEAD						
	सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army		18.00	(कa)	4200.94	(खb)	4218.94
	सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy		2.58	(गc)	2689.58	(घd)	2692.16
078-रक्षा	सेवाएं-वायु सेना	2078-Defence Services - Air Force		0.03	(ਝe)	329.05	(चf)	329.08
	सेवाएं- अनुसंधान और विकास	2080-Defence Services - Research an	d Development	0.26	(छg)			0.26
ोड़ (राजस	व भाग)	Total (Revenue Section)		20.87		7219.57		7240.44
ह पुरक अ	नुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अ	पेक्षित है:	The supplem	entary Grants/App	ropriatio	ns are require	d for:	
あ)		3 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के	(a)			-		ayments arising
		करोड़ रुपये) 'वर्क्स' (1 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय		of court orders	for 'Stor	es' (₹ 16 cro	re)'Wo	rks' (₹ 1 crore)
	राइफल्स (1 करोड़ रुपये) के भु <i>र</i>			Rashtriya Rifles			,	, ,
	इसमें 18 करोड़ रुपये का नकद			This will entail a		-		
ब)		करने के लिए 4,380.94 करोड़, 'परिवहन' (160	(b)	Meeting additio		-		.94 crore, towa
,		शदायी स्वास्थ्य योजना' (846.56 करोड़ रुपये),	(-)	_	-			contributory He
		र्क्स' (1349 करोड़ रुपये), 'राष्ट्रीय कैडेट कोर'		Scheme' (₹ 846				=
		योजना' (350 करोड़ रुपये), 'गुणवत्ता आश्वासन						, 'Agnipath Sche
		जपये) और 'अन्य व्यय' (744.93 करोड़ रुपये)।						Assurance' (₹ 54
	(0.12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			crore) and 'Othe				
	इस खंड में उपलब्ध 180 कर	ोड़ रुपये की बचत और 240 करोड़ रुपये के		Taking into acco				
	•	वते हुए। निवल नकद 3960.94 करोड़ रुपये के		and ₹ 240 cro				
	व्यय को पूरा करना।	3		₹ 3960.94 crore.				
T)	**	58 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने	(c)	Additional exper	diture of	₹ 2.58 crore	towards	payment arising
,		0.50 करोड़ रुपये), अग्निपथ योजना (2 करोड़	\-/					'Agnipath Sche
		ह भुगतान के लिए (0.08 करोड़ रुपये)।		(₹ 2 crore) and '		•	* *	• .
	इसमें 2.58 करोड़ रुपये का नक	• .		This will entail ca				, ·
1)		इ रुपये, के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के	(d)	Meeting additio				58 crore tows
I)) करोड़ रुपये), 'मरम्मत और रख-रखाव हेत्'	(u)	'Transportation'				
	9	(1332.43 करोड़ रुपये), 'कार्य' (297.22 करोड़		· ·		· ·		· ·
		११३५२.४३ करोड़ रुपय), 'अग्निपथ योजना' (78 करोड़		crore), 'Stores' (
				Staff' (₹ 513.92				o ciole), and O
	रुपये), और 'अन्य व्यय' (345.8	50 कराइ रुपया। ज्यये की बचत और उपलब्ध 500.50 करोड़ रुपये		expenditure' (₹ 3		-		silabla in the co-
					WIDT COV		TOTA SVS	

and ₹ 500.50 crore additional receipts available net cash outgo

Additional expenditure of ₹ 0.03 core towards payment arising out

of court orders for 'Other Expenditure' for Air Force.

₹ 2189.08 crore.

This will entail cash outgo.

की अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए निवल नकद व्यय 2189.08 करोड़

वायु सेना के लिए 'अन्य व्यय' हेतु अदालती आदेशों से उत्पन्न भुगतान के लिए 0.03 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

इसमें नकद व्यय होगा;

(량)

₹ 0.26 crore.

(च)	वायु सेना के 'वेतन और भता' (565.22 करोड़ रुपये), 'परिवहन' (0.05 करोड़ (f) रुपये), 'कार्य' (20.30 करोड़ रुपये) और 'अग्निपथ योजना' (23.40 करोड़ रुपये) के लिए 608.97 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	Meeting additional expenditure of ₹ 608.97 crore, towards 'Pay & Allowance' (₹ 565.22 crore), 'Transportation' (₹ 0.05 crore), 'Works' (₹ 20.30 crore) and 'Agnipath Scheme' (₹ 23.40 crore) for Air Force.
	इस खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हए 329.05 करोड़ रुपये का निवल	Force. Taking into account savings available in the section net cash outgo
	नकद व्यय होगा।	₹ 329.05 crore.
(ন্ড)	अनुसंधान और विकास के सिविलियनों के लिए वेतन और भते' (0.35 करोड़ (g) रुपये) और 'कार्य' (0.09 करोड़ रुपये) के अदालती आदेशों से उत्पन्न भुगतान के लिए 0.44 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इस खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 0.26 करोड़ रुपये का निवल	Additional expenditure of ₹ 0.44 crore towards payment arising out of court orders for 'Pay & Allowances for Civilians' (₹ 0.35 crore) and 'Works' (₹ 0.09 crore) for Research and Development. Taking into account savings available in the section net cash outgo
	इस खंड न उनलब्द बंदत का ट्यान न रखत हुए 0.20 कराड़ रुपय का निपल	Taking into account savings available in the section het cash outgo

मांग संख्या DEMAND NO 21

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये) (See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोड) (In ₹ crores

					(र कर	ाइ) (In र crores
		भारित	<i>रित</i> स्वीकृत			जॊड़
		Charged		Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue					
पूंजी	Capital	89.27		152280.34		152369.61
जोड़	Total	89.27		152280.34		152369.61
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue					***
पूंजी	Capital			0.01		0.01
जोड़	Total			0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:				
राजस्व	Revenue					***
पूंजी	Capital	233.98		0.01		233.99
जोड़	Total	233.98		0.01		233.99
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>323.25</i>		152280.36		152603.61
राजस्व	Revenue					
पूंजी	Capital	323.25		152280.36		152603.61
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा	Т:			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be	accounted for unde	r the follo	owing Major H	leads:	
		भारित		स्वीकृत		जॊड़
		Charged		Voted		Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
 म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	233.98	(क a)	0.01	(खb)	233.99

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'निर्माण कार्य' (26 करोड़ रुपये), नौ सेना के लिए 'नौ सेना डॉकयाई परियोजना' (183 करोड़ रुपये), वायु सेना के लिए 'कार्य' (3.98 करोड़ रुपये), 'विशेष परियोजना' (0.02 करोड़ रुपये) अनुसंधान और विकास कार्य के लिए (34 करोड़ रुपये) हेतु अदालती आदेशों से उत्पन्न 247 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय को परा करना।

भारित भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) निम्नलिखित 11.578.60 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (i) 'हवाई जहाज और एयरोइंजन' (1495 करोड़ रुपये), 'भारी और मध्यम वाहन' (567.83 करोड़ रुपये), 'रोलिंग स्टॉक' (20 करोड़ रुपये) और थल सेना के लिए 'ईसीएचएस' (5 करोड़ रुपये)। (ii) 'भूमि' (13 करोड़ रुपये), 'हवाई जहाज और एयरोइंजन' (1574.06 करोड़ रुपये), 'भारी और मध्यम वाहन' (20 करोड़ रुपये), 'अन्य उपकरण' (2200 करोड़ रुपये), 'संयुक्त कर्मचारी' (136.04 करोड़ रुपये) और नौसेना के लिए 'नौसेना डॉकयार्ड' (474.94 करोड़ रुपये)। (iii) वायु सेना के लिए 'हवाई जहाज और एयरोइंजन' (4494.63 करोड़ रुपये), और 'विशेष परियोजनाएं (78.52 करोड़ रुपये)। (iv) डीओओ (सी एंड एस) के लिए 'कार्य' (1.50 करोड़ रुपये)। (v) रक्षा अनुसंधान और विकास 'कार्य' के लिए (498.08 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

additional expenditure of ₹ 247 crore arising out of court orders for 'Constructions Works' (₹ 26 crore), 'Naval Dockyard Projects' (₹ 183 crore) for Navy, 'Works' (₹ 3.98 crore), 'Special Projects' (₹ 0.02 crore) for Air Force and 'Works' (₹ 34 crore) for Research and Development.

Taking in to account savings available in the voted section, this will not entail cash outgo.

meeting additional expenditure of ₹ 11,578.60 crore, under (i) 'Air Crafts and Aeroengines' (₹ 1495 crore), 'Heavy and Medium vehicles' (₹ 567.83 crore), 'Rolling Stock' (₹ 20 crore) and 'ECHS' (₹ 5 crore) for Army. (ii) 'Land' (₹ 13 crore), 'Aircraft and Aeroengines' (₹ 1574.06 crore), 'Heavy and Medium vehicles' (₹ 20 crore), 'Other Equipments' (₹ 2200 crore), 'Joint Staff' (₹ 136.04 crore) and 'Naval Dockyard' (₹ 474.94 crore) for Navy. (iii) 'Air Crafts and Aeroengines' (₹ 4494.63 crore), and 'Special Projects' (₹ 78.52 crore) for Air Force. (iv) 'Works' (₹ 1.50 crore) for DoO (C&S).(v) 'Works' (₹ 498.08 crore) for Defence Research and Development.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 22

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(Occ page 20 of the Demands for	Statilis of Schilar Sovernment for the year 2022	2020)				
		(₹ करोड़) (In ₹ crore				
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	7.77	119688.23	119696.00		
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	7.77	119688.23	119696.00		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		33724.38	33724.38		
पूंजी	Capital					
जोड़	Total		33724.38	33724.38		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	7.77	153412.61	153420.38		
राजस्व	Revenue	7.77	153412.61	153420.38		
पूंजी	Capital					
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under		ead:			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits		33724.38	33724.38		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (i) नियमित पेंशन और बढ़ी हुई वन रेंक वन पेंशन (ओआरआपी) दरों में दो माह यानी जनवरी, 2023 और फरवरी 2023 के लिए प्रावधान हेतु (5586.34 करोड़ रुपये) (ii) लोक लेखा में जमा खाते के लिए वन रेंक वन पेंशन (ओआरआपी) के बकाया घटक के लिए सेना (24,465.57करोड़ रुपये), नौ सेना (1,321.76 करोड़ रुपये)और वायु सेना (2,350.16 करोड़ रुपये) (iii) पेंशन प्रशासन प्रणाली- रक्षा (एसपीएआरएसएच) सेवाओं के कारण बैंकों को सेवा श्लक के भुगतान के लिए (0.55 करोड़ रुपये)

राजस्व प्रभारित भाग में उपलब्ध 5.89 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए 33,718.49 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

Meeting additional expenditure for (i) provision for on account of regular pension and enhanced One Rank One Pension (OROP) rates for two months i.e. for January 2023 and February 2023 (₹ 5586.34 crore). (ii) Arrear component of One Rank One Pension(OROP for Army (₹ 24,465.57 crore), Navy (₹ 1,321.76 crore) and Air Force (₹ 2,350.16 crore) to a deposit account in Public Account. (iii) payment of service charges to banks on account of System for Pensions Administration – RakSHa (SPARSH)Services (₹ 0.55 crore).

Taking into account the savings available in the Revenue Charged Section ₹ 5.89 crore, net cash outgo is ₹ 33,718.49 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये) (See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			(1,4 / (0.0.00)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2140.04	2140.04
पूंजी	Capital		670.96	670.96
जोड़	Total	•••	2811.00	2811.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital		80.00	80.00
जोड़	Total		80.02	80.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			•••
पूंजी	Capital		33.76	33.76
जोड़	Total		33.76	33.76
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2924.78	2924.78
राजस्व	Revenue		2140.06	2140.06
पूंजी	Capital		784.72	784.72
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the		d:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
 म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
र् 4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas		33.76	33.76

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वितीय वर्ष 2021-22 के दौरान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा जारी बोनस शेयरों के कारण निवेश के रूप में पूर्वाविध समायोजन के लिए प्रावधानों को 33.76 करोड़ रुपये तक बढ़ाना। अनुदान के राजस्व भाग के तहत उपलब्ध बचतों और समतुल्य मिलान प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

augmenting the provisions by ₹ 33.76 crore towards prior period adjustment as investment on account of bonus shares issued by Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) during the financial year 2021-22. Taking into account the savings available under revenue section of the grant and equivalent matching receipts, this will entail no cash out go.

मांग संख्या DEMAND NO 24

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 25 और वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये) (See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 23 of the First Supplementary

Demand	ds for Grants for the year 2	2022-2023)						
						(₹ करॉड़	r) (In ₹ crores)	
				भारित	स्वीकृत		जॏड़	
				Charged	Voted		Total	
।. मूल अनु	दान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व		Revenue			2207.94		2207.94	
पूंजी		Capital			450.00		450.00	
जोड़		Total			2657.94		2657.94	
पूरक अनुद	रान:	SUPPLEMENTARY GRANT:						
र राजस्व		Revenue			0.02		0.02	
पूंजी		Capital						
जोड़		Total		,,,	0.02		0.02	
इस समय अ	।।वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	ount now requi					
राजस्व	~ 3	Revenue	·		0.03		0.03	
पूंजी		Capital						
जोड़		Total			0.03		0.03	
जोड़ (मूल अं	ौर पुरक)	Total (Original plus Supplementary))		2657.99		2657.99	
राजस्व		Revenue			2207.99		2207.99	
पूंजी		Capital			450.00		450.00	
•		II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नर्ला	खेत मख्य शीर्षी	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
		II. This Supplementary Grants will b	•		lead			
		стрринин, стани		भारित	स्वीकृत		ਗੋੜ	
				Charged	Voted		Total	
राजस्व भा	ग	REVENUE SECTION		•				
म्ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
-	विज्ञान अनुसंधान	3403-Oceanographic Research			0.01	(कa)	0.01	
3425-अन्य	े वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research			0.01	(खb)	0.01	
3455-मौसम		3455-Meteorology			0.01	(गc)	0.01	
जोड़ (राजस्व		Total (Revenue Section)			0.03	` ,	0.03	
, ,	•	,						
यह पूरक अन	नुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supple	mentary Grants are required for	or:			
(क)	पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर (पे	ोसर)) योजना के तहत (i) पूंजीगत आस्तियों	(a)	meeting additional expend	diture towards	s (i) Gran	ts in Aid General	
के सृजन के लिए सहायता अनुदान सामान्य (4.76 करोड़ रुपए) और (1. रुपए) अनुदानों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेति		न सामान्य (4.76 करोड़ रुपए) और (12 करोड़		(₹ 4.76 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 12 crore)				
		व्यय को पूरा करना।	under the scheme Polar Science and Cryosphere (PACER).					
		य बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक						
	की मांग की जाती है।			the Grant, a token supplen	nentary is sou	ıght.		
(ख)		नई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए	(b)	meeting additional exper	nditure towai	rds Gran	ts-in-Aid General	
		आउटरीच (रीचआउट) (6.19 करोड़ रुपए)		under the Scheme Resea	arch, Educati	ion and 1	Training Outreach	
		न सामान्य के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा		(REACHOUT) (₹ 6.19 cro	ore) for fundi	ng the or	ngoing as well as	
	करने देत्।			approved new projects				

(c)

अन्दान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। एटमॉस्फियर एंड क्लाइमेट रिसर्च-मॉडलिंग, ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज (ग) (अक्रोस)) स्कीम तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अनुदानों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (2.78 करोड़ रुपये।

> अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते ह्ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

approved new projects.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Grants for creation of capital assets under the Scheme Atmosphere & Climate Research Modelling Observing System & Services (ACROSS) (₹ 2.78 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 25

विदयालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये) (See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

	,	भारित Charged	स्वीकृत Voted	∕₹ करोंड़) (In ₹ crores, जोड़ Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	5//ai/ g-c		
राजस्व	Revenue	•••	111549.37	111549.37
पूंजी	Capital	•••		
जोड़	Total	•••	111549.37	111549.37
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	•••	0.02	0.02
पूंजी	Capital	•••		
जोड़	Total		0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required	l:		
पूरक अनुमान:				
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital	***		
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		111549.40	111549.40
राजस्व	Revenue	***	111549.40	111549.40
पूंजी	Capital	***		•••
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	नंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un			
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	***	0.01	0.01
		में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल	नहीं किया गया है जिन्हें	व्यय में से घटाकर
	Note: The above estimates of additional requirement adjusted in reduction of expenditure.	s do not take into account the reco	overies shown below,	which are
_				

राजस्व भाग REVENUE SECTION

2202-सामान्य शिक्षा 2202-General Education

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयुएसके) में अंतर खाता अंतरण

अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Inter Account Transfer to Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh (MUSK) (₹ 1000 crore).

(-)1000.00

(-)1000.00

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 26

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये) (See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

				(40415) (III CIUI	<i>es</i> /
		भारित	स्वीकृत		जॏड़	
		Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
ा. राजस्व	Revenue		55060.34		55060.34	
पूंजी जोड़	Capital		18.01		18.01	
जोड़	Total		55078.35		55078.35	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue		0.03		0.03	
पूंजी	Capital					
जोड़	Total		0.03		0.03	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		12.67		12.67	
पूंजी	Capital	***	0.01		0.01	
जोड़	Total		12.68		12.68	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		55091.06		55091.06	
राजस्व	Revenue		55073.04		55073.04	
पूंजी	Capital		18.02		18.02	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und	er the following Ma	ajor Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
	DEL/ENUE GEGTION	Charged	Voted		Total	
<i>राजस्व भाग</i> मख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD					
नुख्य साम 2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		12.65	(कa)	12.65	
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education		0.01	(মুট) (खb)	0.01	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(यट) (गc)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		12.67	(.0)	12.67	
पुंजी भाग	CAPITAL SECTION		12.01			
मूख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and		0.01	(घd)	0.01	
परिवयय	Culture		0.01	(44)	0.01	
जोड़ (प्रक)	Total (Supplementary)		12.68		12.68	
· \ \ \ . '	· (

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i)योजनाओं के ॲंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता [रु. 250 करोड़], (2) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान [रु. 202.96 करोड़], (3) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को अनुदान [रु. 13.28 करोड़], (4) अकादिमक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) [5.20 करोड़ रुपये] और (5) राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय [0.01 करोड़ रुपये] (ii) निम्नलिखित योजनाओं के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान: राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय [रु. 0.01 करोड़] (iii) निम्नलिखित योजनाओं के तहत अनुदान सहायता वेतन (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता [111 करोड़ रुपये]

अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध 12.65 करोड़ रुपये की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के राजस्व खंड में बचत का उपयोग करने के लिए, 12.65 करोड़ रुपये का तकनीकी पूरक मांगा गया है। शेष राशि सांकेतिक अनुपूरक होने के कारण उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं करना होगा।

(ख)

i) निम्निलिखित योजनाओं के तहत सामान्य अनुदान (1) भारतीय प्रबंधन संस्थानों को सहायता [11.02 करोड़ रुपये] (2) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता [20.7 करोड़ रुपये] और (3) नैनो विज्ञान और इंजीनियिरंग केन्द्र [2.25 करोड़ रुपये] (ii) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता योजना के तहत पूंजीगतआस्ति निर्माण के लिए अनुदान [11.3 करोड़ रुपये] और (iii) योजनाओं के तहत सहायता अनुदान (1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को सहायता [154.59 करोड़ रुपये] और (2) भारतीय प्रबंधन संस्थानों को सहायता [रु. 4.75 करोड़]

The supplementary Grants are required for:

(i) Grants-in-Aid General under schemes (1) Support to University Grants Commission (UGC) [₹ 250 Crore], (2) Grants to Central Universities [₹ 202.96 Crore], (3) Grants to National Book Trust [₹ 13.28 Crore], (4) Academic Bank of Credits (ABC) [₹ 5.20 Crore] and (5) National Digital University [₹ 0.01 crore] (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Digital University [₹ 0.01 crore] (iii) Grants-in-Aid Salaries under the following schemes (1) Support to University Grants Commission (UGC) [₹ 111 crore] and (2) National Digital University [₹ 0.01 crore]

Taking into account the surrender of savings of Rs 12.65 crore available in the Capital Section of the Grant, and for utilising the savings in the Revenue section of the Grant, a technical supplementary of Rs 12.65 Crore is sought. Remaining amount being token supplementary, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

i) Grants-in-Aid General under the following schemes (1) Support to Indian Institutes of Management [₹ 11.02 Crore] (2) Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 20.7 Crore] and (3) Centre for Nano Science and Engineering [₹ 2.25 Crore] (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 11.3 Crore] and (iii) Grants-in-Aid Salaries under the schemes (1) Support to Indian Institutes of Technology (IITs) [₹ 154.59 Crore] and (2) Support to Indian Institutes of Management [₹ 4.75 Crore]

	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	योजना के तहत सहायता अनुदान सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान- (c	Grants-in-Aid General under the scheme Grants to Central
	[67.55 करोड़ रुपये]	Universities- [₹ 67.55 Crore]
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक	Taking into account the savings available in the same section of
	की मांग की जाती है।	the Grant, a token supplementary is sought.
(ঘ)	निवेश: उच्च शिक्षा वितपोषण एजेंसी (एचईएफए) [0.01 करोड़ रुपये] (d	I) Investments: Higher Education Financing Agency (HEFA) [₹ 0.01
		Crore]
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 27

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिये) (See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

				(1 471)) (III (CIUIES)
		भारित	स्वीकृत		जॉड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		13911.99		13911.99
पूंजी	Capital		388.01		388.01
जोड़	Total		14300.00		14300.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		320.01		320.01
पूंजी जोड़	Capital				
जोड़	Total		320.01		320.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.03		0.03
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total		0.04		0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		14620.05		14620.05
राजस्व	Revenue		14232.03		14232.03
पूंजी	Capital		388.02		388.02
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	तर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un	der the following Major	Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(खb)	0.01
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics		0.01	(गc)	0.01
जो़ड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03		0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर	4859-Capital Outlay on Telecommunication and		0.01	(घd)	0.01
पूंजीगत परिव्यय	Electronic Industries				
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.04		0.04

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

पूर्वीतर क्षेत्र के विकास के लिए भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली (सम्मिलित करना), परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित (मोडिफाइड) कार्यक्रम घटक के तहत अन्य शुल्क (रु. 20 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को परा करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली (सिम्मिलित करना), परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/बाह्य स्रोत सेमीकंडक्टर असेंबली (सिम्मिलित करना) और परीक्षण (ओएसएटी) सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित (मोडिफाइड) कार्यक्रम घटक के तहत (i) सामान्य सहायता अनुदान (22.80 करोड़ रुपये), पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (0.20 करोड़ रुपये), अन्य प्रभार (132 करोड़ रुपये), अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत अन्य शुक्क (₹ 10 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (105.07 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (4.93 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने लिए।

> अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(घ) एसटीक्यूसी के संबंध में मशीनरी और उपकरण (रु. 2.50 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants are required for:

meeting an additional expenditure towards Other Charges (₹ 20 crore) under the component Modified Programme for Setting up of Compound Semiconductors/Silicon Photonics/Sensors Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)/OSAT facilities in India for development of North Eastern Region.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting an additional expenditure towards (i) Grants-in-Aid General (₹ 22.80 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.20 crore), Other Charges (₹ 132 crore), Other Charges under Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 15 crore) and Other Charges under Tribal Sub-Plan (₹ 10 crore) under the component Modified Programme for Setting up of Compound Semiconductors/Silicon Photonics/Sensors Fab/Discrete Semiconductors Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)/Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) facilities in India.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting an additional expenditure towards Grants-in-Aid General (₹ 105.07 crore) and Grants-in-Aid Salaries (₹ 4.93 crore) for Unique Identification Authority of India.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting an additional expenditure towards Machinery & Equipment (₹ 2.50 crore) in respect of STQC.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 28

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये) (See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

> (₹ करोंड़) (In ₹ crores) जोड़

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(ख)

The supplementary Grants are required for:

(क) निम्न हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए - (1) (i) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (5 करोड़ रुपए); भारतीय वन्यजीव संस्थान (2 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान, (2) (ii)भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (15 करोड़ रुपए); (ii) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआरआईटीआई) (4.55 करोड़ रुपए); (iii) भारतीय वन्य जीव संस्थान (4.60 करोड़ रुपए); (3) भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (20 करोड़ रुपए) और (4) हरित भारत मिशन के लिए सॉवरेन हरित निधि के लिए अन्तर खाता अन्तरण (39.50 करोड़ रुपए)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

का मार्ग का जाता है। हरित भारत मिशन के लिए सॉवरेन हरित निधि हेतु अन्तर खाता अन्तरण (148.50 करोड़ रुपए) के संबंध में व्यय को पूरा करने हेत्।

अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग) मुख्य कार्यों के तहत नेश्वल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के लिए व्यय को पूरा करने हेतु (3.00 करोड़ रुपए)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। meeting additional expenditure towards (1) Grants-in-Aid General for (i) Indian Council of Forestry Research and Education (₹ 5 crore); Wildlife Institute of India (₹ 2 crore), (2) Grants-in-Aid Salaries for (i) Indian Council of Forestry Research and Education (₹ 15 crore); (ii) Indian Plywood Industries Research and Training Institute (IPRITI) (₹ 4.55 crore); (iii) Wildlife Institute of India (₹ 4.60 crore); (3) Grants for creation of Capital Assets for Indian Institute of Forests Management (₹ 20 crore) and (4) Inter Account Transfer towards Sovereign Green Fund for Green India Mission (₹ 39.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards Inter Account Transfer under Sovereign Green Fund for Green India Mission (₹ 148.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards National Museum of Natural History under Major works (Rs 3.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 29

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये) (See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(es)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.03	15838.74	15838.77	
पूंजी	Capital	***	1416.23	1416.23	
जोड़	Total	0.03	17254.97	17255.00	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.03	0.03	
पूंजी	Capital		0.01	0.01	
जोड़	Total		0.04	0.04	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
राजस्व	Revenue		451.58	451.58	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		451.58	451.58	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	17706.59	17706.62	
राजस्व	Revenue	0.03	16290.35	16290.38	
पूंजी	Capital		1416.24	1416.24	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for		ad:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2061-विदेशी मामले	2061-External Affairs	•••	451.58	451.58	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अनुसंधान और नवाचार के लिए बैठक व्यय (500 करोड़ रुपये)

अनुदान के प्ंजीगत भाग में उपलब्ध 232.54 करोड़ रुपये की बचत के अश्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग के तहत बचत का उपयोग करने के बाद उपरोक्त ट्यय 219.04 करोड़ रुपये का नकद ट्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Research and Innovation (₹ 500 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 232.54 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 219.04 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 30

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये) (See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

Demands for Grants for the year 2022-2023) (₹ करोंड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॉद Charaed Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 6736.88 6736.88 पूंजी Capital 13189.92 13189.92 जोड 19926.80 19926 80 Total SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदानः राजस्व 575.43 Revenue 575.43 पूंजी Capital 0.01 0.01 ... जोद Total 575.44 575.44 इस समय आवश्यक रकम का पुरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 0.04 0.04 पूंजी Capital जोड 0.04 0.04 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 20502.28 20502.28 राजस्व 7312.35 7312.35 Revenue पूंजी Capital 13189.93 13189.93 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2075-विविध सामान्य सेवाएं 2075-Miscellaneous General Services 0.01 (कa) 0.01 3466-अंतरराषट्टीय वित्तीय संस्थाएं 3466-International Financial Institutions 0.01 (खb) 0.01 ... 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 3475-Other General Economic Services 0.01 (गc) 0.01 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक 3605-Technical and Economic Co-operation with Other 0.01 (घd) 0.01 सहयोग Countries जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.04 0.04 यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: समय-बाधित मामलों में केंद्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज भगतान के लिए additional expenditure towards interest Payments on Central अतिरिक्त व्यय (0.01 करोड़ रुपये)। Securities in time barred cases (₹ 0.01 crore). अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हए सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of मांगा जाता है। the Grant, a token supplementary is sought. महामारी रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए वित्तीय मध्यस्थ कोष (ख) (b) contribution to Financial Intermediary Fund for Pandemic (महामारी कोष) में योगदान (₹ 86.35 करोड़) Prevention, Preparedness and Response (the Pandemic Fund) (₹ 86.35 crore) अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हए सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of मांगा जाता है। the Grant, a token supplementary is sought. (ग) अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को सहायता अन्दानadditional expenditure towards Grants-in-aid-Salaries (₹ 1.57 crore) (c) वेतन (1.57 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय। to International Financial Services Centres Authority (IFSCA). अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

additional expenditure (₹ 235 crore) on Central Sector Scheme

'Lines of Credit under Indian Development and Economic

Taking into account the savings available in the same section of

Assistance Scheme (IDEAS)'.

the Grant, a token supplementary is sought.

केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना

(आईडीईएएस) के तहत स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा पर अतिरिक्त व्यय (235

अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक

(ঘ)

मांगा जाता है।

मांग संख्या DEMAND NO 32

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(कंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये) (See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(\ 4)	(15) (111 \ C101E3)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	1102.71	1102.71
पूंजी	Capital	***	6072.06	6072.06
जोड़	Total	***	7174.77	7174.77
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.65	261.48	262.13
पूंजी	Capital	***	0.01	0.01
जोड़	Total	0.65	261.49	262.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.65	7436.27	7436.92
राजस्व	Revenue	0.65	1364.20	1364.85
पूंजी	Capital		6072.07	6072.07
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un		d:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अटल पेंशन योजना के तहत अंतर निधियन को पूरा करने के लिए व्यय (रु. 20.00 करोड)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

i) expenditure to cover gap fund under Atal Pension Yojana

(₹ 20.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 35

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये) (See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

				(₹ करॉड़) ((In ₹ c
		भारित	स्वीकृत	जॊ	इ
		Charged	Voted	Tot	tal
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
जस्व	Revenue		227548.22	227	548.22
जी	Capital	***	4.30		4.30
ोड़	Total		227552.52	227	552.52
रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
, जस्व	Revenue		19698.49	19	698.49
ज़ी	Capital		30.00		30.00
ोड़	Total		19728.49	19	728.49
न समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now				
नुमान:	required:				
जस्व	Revenue		67012.58	67	012.58
जी	Capital	***	***		
ोड़	Total		67012.58	67	012.58
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		314293.59	314	293.59
जस्व	Revenue	***	314259.29	314	259.29
जी	Capital		34.30		34.30
	ll. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग ll. This Supplementary Grants will be accounted for unde		Head स्वीकृत Voted	जৌ Tot	•
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION	3			
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
, 601-राज्य सरकारों को सहायता नुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		59233.64	(क a) 59	233.64
ु 602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ो सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		7778.94	(खb) 7	778.94
ोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		67012.58	67	012.58
		गिचे दर्शाई गयी वसूलियों	को शामिल नहीं किया	गया है जिन्हें व्यय में सं	से
	Note: The above estimates of additional requirements do	not take into accoun	t the recoveries sho	wn below, which ar	re
	adjusted in reduction of expenditure.				
जस्व भाग	REVENUE SECTION				
601-राज्य सरकारों को सहायता नुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		(-)29616.82	(-)29	616.82
602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ो सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	•••	(-)3889.47	(-)3	889.47
			(-)33506.29		506.29

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(ख)

The supplementary Grants are required for:

(b)

क) जीएसटी मुआवजा कोष में अतिरिक्त अंतरण (29616.82 करोड़ रुपये) और राज्यों को जीएसटी मुआवजे की अतिरिक्त रिलीज (29616.82 करोड़ रुपये)।

> जीएसटी मुआवजा कोष से 29616.82 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें 29616.82 करोड़ रुपये का नकद खर्च शामिल होगा।

जीएसटी मुआवजा कोष में अतिरिक्त अंतरण (3889.47 करोड़ रुपये) और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त जीएसटी मुआवजा जारी करना (₹ 3889.47 करोड़)।

जीएसटी मुआवजा कोष से 3889.47 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें 3889.4692 करोड़ रुपये का नकद खर्च शामिल होगा।) additional transfer to GST Compensation Fund (₹ 29616.82 crore) and additional release of GST compensation to States (₹ 29616.82 crore)

Taking into account additional recoveries of ₹ 29616.82 crore from the GST Compensation Fund, this will entail cash outgo of ₹ 29616.82 crore

additional transfer to GST Compensation Fund (₹ 3889.47 crore) and additional release of GST compensation to UTs with legislature (₹ 3889.47 crore).

Taking into account additional recoveries of ₹ 3889.47 crore from the GST Compensation Fund, this will entail cash outgo of ₹ 3889.4692 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 36

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 40 और वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये) (See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जोद Charaed Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 8866.80 8866.80 पूंजी Capital 442.00 442.00 जोड Total 9308.80 9308 80 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदानः राजस्व Revenue पूंजी Capital 229.72 229.72 ... जोड Total 229.72 229.72 इस समय आवश्यक रकम का पुरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: पूंजी 0.02 0.02 Capital जोड Total 0.02 0.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 9538.54 9538.54 ... राजस्व 8866.80 8866.80 Revenue पूंजी Capital 671.74 671.74 II. इस प्रक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित जॊड़ स्वीकृत Charged Voted Total पुंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय 0.01 (कa) 0.01 4059-Capital Outlay on Public Works 4216-आवासन पर पूंजीगत परिव्यय 0.01 4216-Capital Outlay on Housing 0.01 (खb) ... जोड़ (पूंजी भाग) **Total (Capital Section)** 0.02 0.02 यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: (i) एनबीसीसी द्वारा निर्मित किए जाने के लिए नौरोजी नगर वाणिज्यिक (क) (i) Outright purchase of office at Nauroji Nagar Commercial परिसर, नई दिल्ली में कार्यालय की एकम्श्त खरीद (40.00 करोड़ रुपये) Complex, New Delhi proposed to be constructed by NBCC (₹ 40.00

- - (ii) वर्ल्ड टेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में आयकर प्रणाली निदेशालय, सीआईटी (ऑडिट)-2 सीआईटी (अपील), डाटा बेस सेल और रा.भा. के लिए ऑफिस स्पेस की एकम्शत खरीद (78.46 करोड़ रुपये)
 - अनदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- आयकर विभाग के लिए चंडीगढ़ में प्लॉट की खरीद (7.04 करोड़ रुपये) (ख)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हए, सांकेतिक पुरक की मांग की जाती है।

- (ii) Outright purchase of office space at world trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi for the O/o Directorate of Income Tax System, CIT(Audit)-2 CsIT(Appeal), Data Base Cell & OL (₹ 78.46 crore) Taking into account the savings available in the same section of
- (b) Purchase of plot in Chandigarh for Income Tax Department

the Grant, a token supplementary is sought.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 37

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिये) (See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 36 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॉद Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 39739.17 39739.17 पूंजी Capital 1400.00 1400.00 जोड 41139.17 41139.17 Total SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदानः राजस्व 0.01 Revenue 0.01 पूंजी Capital जोद Total 0.01 0.01 इस समय आवश्यक रकम का पुरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 0.01 0.01 पूंजी Capital 0.02 0.02 जोड Total 0.03 0.03 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 41139.21 41139.21 राजस्व Revenue 39739.19 39739.19 पूंजी Capital 1400.02 1400.02 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Voted Total Charged राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2037-सीमा श्ल्क 2037-Customs 0.01 (कa) 0.01 पुंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय 4059-Capital Outlay on Public Works 0.01 (खb) 0.01 4216-आवासन पर पूंजीगत परिवयय 0.01 4216-Capital Outlay on Housing 0.01 (गc) जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 0.02 0.02 ... जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 0.03 0.03 यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: आरओडीटीईपी के लिए 300 करोड़ रुपये और आरओएससीटीएल योजनाओं के Additional requirement of funds for RoDTEP (₹ 300 crore) and लिए 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता है। RoSCTL (₹ 400 crore) schemes. अन्दान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of की मांग की जाती है। the Grant, a token supplementary is sought. पहाडिया, वाराणसी में सीजीएसटी और सीएक्स आयक्तालय के निर्माण के लिए Additional requirement of funds for purchase of land for (ख) (b) भूमि की खरीद हेत् अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है(73.00 करोड़)। construction of CGST & CX Commissionerate at Paharia, Varanasi (₹ 73 crore). अन्दान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of की मांग की जाती है। the Grant, a token supplementary is sought. द्वारका में आवासीय मकानों के निर्माण हेत् (4.40 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त (ग) (c) Additional requirement of funds for construction of residential quarters at Dwarka (₹ 4.40 crore). अन्दान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of की मांग की जाती है। the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 38

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

			(₹ 3	करोंड़) (In ₹ c
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
जस्व जस्व	Revenue	229.07	5723.49	5952.56
जी	Capital		24.00	24.00
इ	Total	229.07	5747.49	5976.56
। समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required:			
क अनुमान:				
जस्व	Revenue			
नी	Capital		134.21	134.21
इ	Total		134.21	134.21
इ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>229.07</i>	5881.70	6110.77
जस्व	Revenue	<i>229.07</i>	5723.49	5952.56
ft	Capital		158.21	158.21
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for ur			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
जस्व भाग	REVENUE SECTION			
	MAJOR HEAD			
16-लेखा परीक्षा	2016-Audit	***		
जी भाग	CAPITAL SECTION			
	MAJOR HEAD			
)59-लोक निर्माण कार्यो पर	4059-Capital Outlay on Public Works		134.21	134.21
नीगत परिव्यय	r		-	
	Total (Supplementary)	•••	134.21	134.21
इ (पूरक)				

adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग REVENUE SECTION

2016-लेखा परीक्षा 2016-Audit (-)0.27(-)0.27

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

गांधीनगर, गुजरात में कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि की खरीद (135.36 करोड़ रुपए)। भारत की आकस्मिकता निधि से ली गई 134.21 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की आपूर्ति की जाएगी।

अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध 1.15 करोड़ रुपए के बचत अन्दान के राजस्व भाग में उपलब्ध 73.96 करोड़ रुपए के बचत के अभ्यार्पण और 0.27 करोड़ रुपए की वस्लियों को ध्यान में रखते हुए, 59.98 करोड़ रुपए का निवल नकद परिव्ययं होगा।

The supplementary Grants are required for:

purchase of land for construction of office building at Gandhinagar, Gujarat (₹ 135.36 crore). An amount of ₹ 134.21 crore drawn as advance from the Contingency Fund of India will be recouped.

Taking into account the savings of ₹ 1.15 crore available within the same section of the grant, surrender of savings of ₹ 73.96 crore available in the Revenue Section of the Grant and recoveries of ₹ 0.27 crore,the supplementary will entail net cash outgo of ₹ 59.98 crore.

संख्या NO. 39 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ब्याज अदायगियां INTEREST PAYMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(\	47(15) (111 (CI OI E3)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।.विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	970003.67		970003.67
पूंजी	Capital	***	***	•••
जोड़	Total	970003.67		970003.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	:		
राजस्व	Revenue	4830.00	***	4830.00
पूंजी जोड़	Capital			
जोड़	Total	4830.00	•••	4830.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	974833.67		974833.67
राजस्व	Revenue	974833.67		974833.67
पूंजी	Capital	•••		
	 इस प्रक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के . 	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted		jor Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2049-ब्याज भुगतान	2049-Interest Payments	4830.00		4830.00

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(i) 91 दिवसीय ट्रेजरी बिलों (795.19 करोड़ रुपये), 182 दिनों के ट्रेजरी बिलों (4821.69 करोड़ रुपये) और 364 दिनों के ट्रेजरी बिलों (6015.67 करोड़ रुपये) पर छूट के लिए 15114.97 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना; (ii)विदेशी ऋण पर ब्याज (3135.30 करोड़ रुपये); (iii) बीमा और पेंशन फंड पर ब्याज (220.45 करोड़ रुपये); (iv) रिजर्व फंड (106.38 करोड़ रुपये); (v) डाक जीवन बीमा (4.90 करोड़ रुपये) के तहत शेष राशि के प्रतिभृतिकरण के लिए जारी विशेष प्रतिभृतियों पर ब्याज और (vi) अन्य दायित्वों पर ब्याज (15.39 करोड़ रुपये)।

अनुदान में उपलब्ध बचत (10284.97 करोड़ रुपये) और प्रीमियम और उपार्जित ब्याज (14845.52 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, इस अनुपूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant/Appropriation is required for:

(i) meeting additional expenditure of ₹ 15114.97 crore towards discount on 91 Days Treasury Bills (₹ 795.19 crore), 182 Days Treasury Bills (₹ 4821.69 crore) and 364 Days Treasury Bills (₹ 6015.67 crore); (ii) interest on External Debt (₹ 3135.30 crore); (iii) interest on Insurance and Pension Funds (₹ 220.45 crore); (iv) Reserve Funds (₹ 106.38 crore); (v) interest on Special Securities issued against securitisation of balances under Postal Life Insurance (₹ 4.90 crore) and (vi) interest on Other Obligations (₹ 15.39 crore).

Taking into account savings available in the Grant (₹ 10284.97 crore) and additional receipts on account of Premium and accrued interest (₹ 14845.52 crore), this supplementary will not entail any cash outgo.

संख्या NO. 40 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी REPAYMENT OF DEBT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

			, ,	/ ()
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।.विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital	7075067.16	***	7075067.16
जोड़	Total	7075067.16		7075067.16
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:		
राजस्व	Revenue	***	***	•••
पूंजी	Capital	70762.96		70762.96
जोड़	Total	70762.96		70762.96
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	7145830.12		7145830.12
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital	7145830.12		7145830.12
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष वे	म अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Appropriation will be accoun		or Head:	
		भारित	स्वीकृत	ज ोड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
ू मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6001-केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	6001-Internal Debt of Central Government	70762.96		70762.96

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

बाजार प्रतिभूतियों (5489.60 करोड़ रुपये), 14 दिन के टी.बिलों (7,45,832.18 करोड़ रुपये), 182 दिनों के ट्रेजरी बिलों (27869.85 करोड़ रुपये), 364 दिन के ट्रेजरी बिलों (7,897.23 करोड़ रुपये), अंतर्राष्ट्रीय वितीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियों का निर्वहन (9.02 करोड़ रुपये) में छूट के लिए अपरिहार्य 787097.88 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भृगतान शामिल हैं।

विनियोग में उपलब्ध 716334.92 करोंड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए शेष राशि 70762.96 करोड़ रुपये के लिए तकनीकी अनुपूरक मांगा जाता है। कोई नकद खर्च नहीं होगा क्योंकि ट्यय प्राप्तियों से मेल खाएगा। The supplementary Grant/Appropriation is required for:

additional repayment of ₹ 787097.88 crore entailing switching of market securities (₹ 5489.60 crore), redemption of 14 Day T.bills (₹ 7,45,832.18 crore), 182 Days Treasury Bills (₹ 27869.85 crore), 364 Day Treasury Bills (₹ 7,897.23 crore), discharge of securities issued to International Financial Institutions (₹ 9.02 crore).

After taking into account the savings of ₹ 716334.92 crore available in the Appropriation, the technical supplementary for the balance amount of ₹ 70762.96 crore is sought. There will be no cash outgo as the expenditure will be matched by receipts.

मांग संख्या DEMAND NO 41

पेंशन

PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 देखिये)

(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(1.9	rkiş / (III k Ci Ules)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	400.00	66440.81	66840.81
पूंजी	Capital	***	***	***
जोड़	Total	400.00	66440.81	66840.81
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue			•••
पूंजी	Capital	***	***	***
जोड़	Total			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d:		
राजस्व	Revenue		1499.19	1499.19
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		1499.19	1499.19
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	400.00	67940.00	68340.00
राजस्व	Revenue	400.00	67940.00	68340.00
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	भंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		ad:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	•••	1499.19	1499.19

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

उपदान, परिवारिक पेंशन, छुट्टी नकदीकरण, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) और संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार की सेवानिवृता/मृतक कर्मचारियों के संबंध में पेंशन उधार हेतु व्यय को पूरा करने के लिए(1499.19 करोड़ रुपये)

उक्त व्यय में 1499.19 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Gratuities, Family Pensions, Leave Encashment, Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) and Pensionary Charges in respect of retirees/deceased employees of Government of NCT Delhi (₹ 1499.19 crore).

The above expenditure will entail cash outgo of ₹ 1499.19 crore;

मांग संख्या DEMAND NO 42

राज्यों को अंतरण TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॉड़ Total Charged Voted I. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व 192108 00 43132 00 235240.00 Revenue पुंजी Capital 32380.00 100000.01 132380.01 जोड Total 224488.00 143132.01 367620.01 इस समय आवश्यक रकम का प्रक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 0.01 0.01 राजस्व Revenue पुंजी 0.01 0.01 0.02 Capital जोड़ Total 0.01 0.02 0.03 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 224488.01 143132.03 367620.04 राजस्व Revenue 43132.01 235240.01 192108.00 पूंजी 100000.02 132380 03 Capital 32380.01 II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total REVENUE SECTION राजस्व भाग म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2245-प्राकृतिक आपदा राहत 2245-Relief on account of Natural Calamities 0.01 (कa) 0.01 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम 7601-Loans and Advances to State Governments 0.01 (खb) 0.01 7602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण 7602-Loans and Advances to Union Territory 0.01 (गc) 0.01 और अग्रिम जोड़ (पूंजी भाग) 0.02 **Total (Capital Section)** 0.01 0.01 Total (Supplementary) 0.03 जोड़ (पूरक) 0.01 0.02 यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants/Appropriations are required for: 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) में अंतरण' के रूप में 1,600 providing additional amount of ₹ 1,600 crore as 'Transfers to (क) (a) करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध National Disaster Response Fund (NDRF)'. Taking into account the बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. (ख) "विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ब्लॉक ऋण) के लिए अतिरिक्त केंद्रीय (b) providing ₹ 230 crore towards "Additional Central Assistance for सहायता" हेत् 230 करोड़ रुपये प्रदान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध Externally Aided Projects (Block Loan)". Taking into account the बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। savings available in same section of the grant, a token supplementary is sought. "जीएसटी प्रतिपूर्ति कमी के एवज में विधायी वाले संघ राज्य क्षेत्रों को एक के (ग) (c) providing "Back to Back Loans to Union Territory with legislature in बाद एक (बैक टू बैक) ऋण" प्रदान करना। अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध lieu of GST Compensation Shortfall". Taking into account savings बचतों को ध्यान में रखते ह्ए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। available in same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 43

मत्स्यपालन विभाग

DEPARTMENT OF FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये) (See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

				/ ()
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2093.90	2093.90
पूंजी	Capital	***	24.57	24.57
जोड़	Total		2118.47	2118.47
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital	***	•••	
जोड़	Total	***	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2118.50	2118.50
राजस्व	Revenue		2093.93	2093.93
पूंजी	Capital		24.57	24.57
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के उ	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		d:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मत्स्य पालन जल-कृषि अवसंरचना विकास कोष (केंद्रीय क्षेत्र योजना) के तहत सामान्य अनुदान (4.40 करोड़ रुपये)।

अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

Grants-in-aid-General under Fisheries Aquaculture Infrastructure Development Fund (Central Sector Scheme)(₹ 4.40 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the

Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 44

पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये) (See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

Demanus	ioi Giants for the year 2	022-2023)				(₹ करों	T) (In ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत	(, , , , , ,	<i>जोड़</i>
				Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदा	<i>ਜ:</i>	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	•	Revenue			4232.80		4232.80
पूंजी		Capital		***	56.04		56.04
जोड		Total			4288.84		4288.84
पूरक अनुदान	<i>r</i> .	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	•	Revenue			0.01		0.01
पूंजी		Capital					
जोड		Total			0.01		0.01
•	श्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	unt now requi	red:	•.•		
राजस्व	~ 3	Revenue	•		31.14		31.14
पूंजी		Capital		***			
जोड़		Total			31.14		31.14
जोड़ (मूल और	पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			4319.99		4319.99
राजस्व		Revenue		,,,	4263.95		4263.95
पूंजी		Capital		***	56.04		56.04
~		॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नर्लि	खेत मख्य शीर्षी	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will b	•		lead		
		,		<i>भारित</i>	स्वीकृत		ऒड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		_			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2403-पश् पाल	न	2403-Animal Husbandry			0.01	(कa)	0.01
2404-डेयरी वि		2404-Dairy Development			31.12	(खb)	31.12
2552-पूर्वोत्तर ध	क्षेत्र	2552-North Eastern Areas			0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भ		Total (Revenue Section)		,,,	31.14		31.14
यह पूरक अनुद	ाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The suppler	mentary Grants are required for	or:		
(क)		ग कार्यक्रम की योजना के तहत पशु स्वास्थ्य	(a)	Grants-in-aid-General (₹	0.90 crore)	for Anim	al Health System
		वास्थ्य (ईएपी) के लिए अनुदान-सहायता-		Support for one health (EA	P) under the	scheme c	f Livestock Health
	सामान्य (0.90 करोड़ रुपये)। एक	नया वस्तु शीर्षे शुरू करना है।		and Disease Control Pro	gramme. A	new obje	ct head is to be
				opened.			
		बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the s	-		same section of
	की मांग की जाती है।	~ 4		the Grant, a token supplen	=	-	
(ख)	दिल्ला दुग्ध याजना क तहत आपूर	र्ते और सामग्री (31.12 करोड़ रुपये)।	(b)	Supplies and Material	under t	he Delh	i Milk Scheme
	~~~~ <del>`</del>			(₹ 31.12 crore).			2.11
	हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अवि	पलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते		Taking into account the			
	हुए, उपराक्त व्यय के लिए काइ जा	तारक नफद प्यय नहां हागा,		Capital Section of the Gra	int, the above	e expendi	ture will not entall
( <del>3</del> 1)	विकास कार्राकर्मों के बहुद देशरी वि	वेकास के लिए जनजातीय क्षेत्र उप योजना के	(c)	any additional cash outgo;	dor Tribal A	Vroa Sub	Plan for Doing
(ग)	तहत सामान्य अनुदान (1.94 करो		(c)	Grants-in-aid-General und Development under Development			
		इ रवपा। बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the s			•
	जनुदान के उसा मार्ग में उपलब्ध की मांग की जाती है।	जनत नम ज्याण म रखत हुट, सामगतम पूरक		the Grant, a token supplen	•		, same section of
	(1			the Grant, a token supplen	icinally is sou	ıgııı.	

#### मांग संख्या DEMAND NO 45

## खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये ) (See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड ) (In ₹ crores)

			( t 47 (15 ) (111 t CI OI ES)		
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	2941.99	2941.99	
पूंजी	Capital	***		•••	
जोड़	Total		2941.99	2941.99	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.02	0.02	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.02	0.02	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2942.02	2942.02	
राजस्व	Revenue		2942.02	2942.02	
पूंजी	Capital				
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	तर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for ur		d:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम	2408-Food Storage and Warehousing		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, कुंडली, हरियाणा को सहायता के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (निफ्टेम-कुंडली) (15.06 करोड़ रुपये)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

Grants for Creation of Capital Assets under Assistance to National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Kundli, Haryana (NIFTEM-Kundli) (₹ 15.06 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 46

#### स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

#### DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पुरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये ) (See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

				(₹ कर	ौड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	•			
राजस्व	Revenue		107825.41		107825.41
पूंजी	Capital		5632.57		5632.57
जोड़ जोड़	Total		113457.98		113457.98
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.06		0.06
पूंजी	Capital		0.02		0.02
जोड़	Total		0.08		0.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
" J	required:				
राजस्व	Revenue	***	0.03		0.03
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total		0.04		0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	***	113458.10		113458.10
राजस्व	Revenue		107825.50		107825.50
पूंजी	Capital		5632.60		5632.60
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	नर्गत दिखाया जायेग	π:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un	der the following	Major Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	(कa)	0.01
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare		0.01	(खb)	0.01
2552-पूर्वीत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03		0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health		0.01	(ਬd)	0.01
परिव्यय					
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.04		0.04

(c)

(d)

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(ख)

(ग)

(i) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पुरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (656.23 करोड़ रुपये)। (ii) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पुरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (66.68 करोड़ रुपये)। (iii) विभिन्न

योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अन्दान (24.54 करोड़ रुपये)। (iv) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के लिए लघुँ निर्माण कार्य (18 करोड़ रुपये) और आपूर्ति और सामग्री के अंतर्गत (25 करोड़ रुपये) और (v) राष्ट्रीय आरोग्य निधि (10 करोड़ रुपये -

अन्य प्रभार)। अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (85.62 करोड़ रुपये)।

अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक

(i) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पुरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (135.02 करोड़ रुपये)। (ii) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को परा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के मुजन हेत् अनुदान (15.01 करोड़ रुपये) और (iii) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अनुदान (30.43 करोड़ रुपये)।

> अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य (5 करोड़ रुपये) (ঘ) अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(i) Grants in Aid General for meeting additional requirement under the various Schemes/Institutions (₹ 656.23 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets for meeting additional requirement under the various Schemes/Institutions (₹ 66.68 crore), (iii) Grants in aid Salaries for meeting additional requirement under the various Schemes/Institutions (₹ 24.54 crore), (iv) Minor Works (₹ 18 crore) and Supplies and Material (₹ 25 crore) for Safdarjung Hospital, New Delhi and (v)Rashtriya Arogya Nidhi (₹ 10 crore - Other Charges)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants in Aid General for meeting additional requirement under the various Schemes/Institutions (₹ 85.62 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants in Aid General for meeting additional requirement under the various Schemes/Institutions (₹ 135.02 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets for meeting additional requirement under the various Schemes/Institutions (₹ 15.01 crore) and (iii) Grants in Aid Salaries for meeting additional requirement under the various Schemes/Institutions (₹ 30.43 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Major Works under Dr. RML Hospital, New Delhi (₹ 5 crore) Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 49

## गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये ) (See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

				(₹ करौड़	) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.03	7384.59		7384.62
पूंजी	Capital		236.38		236.38
जोड़	Total	0.03	7620.97		7621.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.04		0.04
पूंजी	Capital		0.02		0.02
जोड़	Total	•••	0.06		0.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	7621.05		7621.08
राजस्व	Revenue	0.03	7384.64		7384.67
पूंजी	Capital		236.41		236.41
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गित दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for uncounted	der the following Maj			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.02		0.02
•					

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

घरेलू यात्रा व्यय (डीटीई) (15.88 करोड़ रुपये) और किराए, दरों और करों (29.88 करोड़ रुपये) के अंतर्गत नेशनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्स (एनडीआरएफ) के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के खर्च को पूरा

> अन्दान समान खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

मोटर वाहनों के तहत नेशनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्स (एनडीआरएफ) (14.00 (ख)

> अन्दान समान खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure towards relief on account of Natural Calamities under National Disaster Response Force(NDRF) under Domestic Travel Expenses(DTE) (₹ 15.88 crore) and Rents, Rates and Taxes (₹ 29.88 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

National Disaster Response Force(NDRF) under Motor Vehicles

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 51

## पुलिस POLICE

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये ) (See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड ) (In ₹ crores)

				(	( CIOIES)
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जॊड़ Tota	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	_			
राजस्व	Revenue	7.78	108498.01	108505	5.79
पूंजी	Capital	6.57	10521.98	10528	3.55
पूंजी <b>जोड़</b>	Total	<i>14.35</i>	119019.99	119034	.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		2982.36	2982	2.36
पूंजी <b>जोड़</b>	Capital		0.01	C	0.01
जोड़	Total		2982.37	2982	2.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अन्मान:	Supplementary Estimate of the amount now req	uired:			
राजस्व	Revenue		0.01	C	0.01
पूंजी <b>जोड़</b>	Capital	0.13	0.01	C	).14
जोड़	Total	0.13	0.02	C	).15
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	14.48	122002.38	122016	6.86
राजस्व	Revenue	<i>7.78</i>	111480.38	111488	3.16
पूंजी	Capital	6.70	10522.00	10528	3.70
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीष	र्गें के अंतर्गत दिखाया जायेग	Γ:		
	II. This Supplementary Grants/Appropriations wi				
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Tota	I
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2055-पुलिस	2055-Police		0.01	( <b>क</b> a) 0	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	0.13	(खb) 0.01	(गc) C	).14
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.13	0.02	C	).15

(b)

(c)

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(ख)

(i) मद शीर्ष आर्म्स एंड गोला-बारूद के तहत असम राइफल्स (10.35 करोड़ रुपये), सीमा स्रक्षा बल (बीएसएफ) (42.97 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय स्रक्षा गार्ड (एनएसजी) (2 करोड़ रुपये), (ii) मद शीर्ष हेड क्लोथिंग एंड टेंटेज के तहत असम राइफल्स (रुपये 33.00 करोड़), बीएसएफ (20.00 करोड़ रुपये), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) (19.07 करोड़ रुपये), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) (5.00 करोड़ रुपये) और शस्त्र सीमा बल (एसएसबी) (8.00 करोड़ रुपये)। (iii) पंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनदान के तहत लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) (55.00 करोड़ रुपये) और पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (9.97 करोड़ रुपये), (iv) जीआईए-वेतन के तहत एलपीएआई (0.25 करोड़ रुपये), (v) चिकित्सा उपचार के तहत दिल्ली पुलिस (30.04 करोड़ रुपये) और विशेष स्रक्षा समूह (एसपीजी) (0.50 करोड़ रुपये), (vi) पीओएल के तहत असम राइफल्स (10.00 करोड़ रुपये), बीएसएफ (28.34 करोड़ रुपये), सीआरपीएफ (45.00 करोड़ रुपये), दिल्ली पलिस (20.00 करोड रुपये), एसपीजी (0.30 करोड रुपये) और टियर स्मोक यूनिट (टीएसयू) (0.03 करोड़ रुपये), (vii) किराए, दर और करों के तहत केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीबीआई) (रुपये 0.13 करोड़), आईटीबीपी (2.00 करोड़ रुपये) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) (0.70 करोड़ रुपये), (viii) वेतन के तहत असम राइफल्स (5.00 करोड़ रुपये) और (ix) मजदूरी के तहत

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) (0.70 करोड़ रुपये)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

- (i) प्रमुख कार्यों के तहत बीएसएफ (कार्यालय भवन) (0.10 करोड़ रुपये) और (ii) मोटर वाहनों के तहत सीआरपीएफ (0.03 करोड़ रुपये)
  - अनुदान के पूंजी भाग (स्वीकृत) में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) (i) मशीनरी और उपकरणों के तहत असम राइफल्स (62.00 करोड़ रुपये), बीएसएफ (एयर-विंग) (0.01 करोड़), आईटीबीपी (12.88 करोड़ रुपये), एनसीबी (1.00 करोड़ रुपये) और एनएसजी (4.00 करोड़ रुपये) और (ii) मोटर वाहनों के तहत सीआरपीएफ (28.78 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) (1.55 करोड़ रुपये) और एनएसजी (2.00 करोड़ रुपये)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(i) Assam Rifles (₹ 10.35 crore), Border Security Force(BSF) (₹ 42.97 crore) and National Security Guard(NSG) (₹ 2 crore) under object head Arms & Ammunition, (ii) Assam Rifles (₹ 33.00 crore), BSF (₹ 20.00 crore), Central Reserve Police Force(CRPF) (₹ 19.07 crore), Indo Tibetan Border Police(ITBP) (₹ 5.00 crore) and Shashtra Seema Bal(SSB) (₹ 8.00 crore) under object head Clothing & Tentage, (iii) Land Ports Authority of India(LPAI) (₹ 55.00 crore) and Modernisation of Police Forces (₹ 9.97 crore) under Grants for Creation of Capital Assets, (iv) LPAI (₹ 0.25 crore) under GiA-Salaries. (v) Delhi Police (₹ 30.04 crore) and Special Protection Group(SPG) (₹ 0.50 crore) under Medical Treatment, (vi) Assam Rifles (₹ 10.00 crore), BSF(₹ 28.34 crore), CRPF(₹ 45.00 crore), Delhi Police (₹ 20.00 crore), SPG(₹ 0.30 crore) and Tear Smoke Unit (TSU) (₹ 0.03 crore) under P.O.L, (vii) Central Forensic Science Laboratory (CBI)(₹ 0.13 crore), ITBP(₹ 2.00 crore) and Narcotics Control Bureau(NCB) (₹ 0.70 crore) under Rent, Rate & Taxes, (viii) Assam Rifles (₹ 5.00 crore) under Salaries and (ix) National Police Academy (NPA)(₹ 0.70 crore) under Wages.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) BSF(Office Building) under Major Works (₹ 0.10 crore) and (ii) CRPF under Motor Vehicles (₹ 0.03 crore)
- Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section(Voted) of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (i) Assam Rifles (₹ 62.00 crore), BSF(Air-Wing)(0.01 crore), ITBP (₹ 12.88 crore), NCB(₹ 1.00 crore) and NSG(₹ 4.00 crore) under Machinery & Equipments and (ii) CRPF(₹ 28.78 crore), National Investigation Agency(NIA) (₹ 1.55 crore) and NSG(₹ 2.00 crore) under Motor Vehicles.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 52

## अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये ) (See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 49 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़ ) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जोद Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 0.01 5176.42 5176.43 पूंजी Capital 587.22 587.22 5763.65 जोड Total 0 01 5763.64 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदानः राजस्व 0.03 Revenue 0.03 पूंजी Capital जोद Total 0.03 0.03 इस समय आवश्यक रकम का पुरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 0.09 0.09 पूंजी Capital 0.20 0.20 ... जोड Total 0.29 0.29 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 0.01 5763.96 5763.97 राजस्व Revenue 0.01 5176.54 5176.55 पूंजी 587.42 587.42 II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित जॉड़ स्वीकृत Voted Total Charged राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 3451-Secretariat-Economic Services 0.01 (कa) 0.01 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 2210-Medical and Public Health 0.01 (खb) 0.01 2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता 2215-Water Supply and Sanitation 0.01 (गc) 0.01 2217-शहरी विकास 2217-Urban Development 0.01 (घd) 0.01 2225-अन्सूचित जाति, अन्सूचित जनजाति, 2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, 0.01 (ङe) 0.01 अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण Other Backward Classes and Minorities 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास (चf) 0.01 2230-Labour, Employment and Skill Development 0.01 2402-मुदा और जल संरक्षण 2402-Soil and Water Conservation 0.01 (छg) 0.01 2702-लघ् सिंचाई 0.01 2702-Minor Irrigation 0.01 (जh) 3054-सड़ॅक और प्ल 0.01 3054-Roads and Bridges 0.01 (**झi**) जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.09 0.09 ... पुंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पंजीगत 0.01 0.01 4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services (टi) 4055-पुलिस पर पुंजीगत परिव्यय 0.01 (ठk) 0.01 4055-Capital Outlay on Police 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पंजीगत परिव्यय 4059-Capital Outlay on Public Works 0.01 (sl) 0.01 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पंजीगत 4070-Capital Outlay on Other Administrative Services 0.01 0.01 (ढm) 4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत 4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and 0.01 (णn) 0.01 4210-Capital Outlay on Medical and Public Health 4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत 0.01 0.01 (ਰ0) परिव्यय 4225-अन्सूचित जाति, अन्सूचित जनजाति, 0.01 0.01 4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, (থp) अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण Scheduled Tribes, Other Backward Classes and पर पंजीगत परिव्यय Minorities 4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पुंजीगत 4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare 0.01 (दa) 0.01 परिव्यय 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत (धr) 4250-Capital Outlay on other Social Services 0.01 0.01 4401-फसल कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 4401-Capital Outlay on Crop Husbandry 0.01 (नs) 0.01 4403-पश्पालन पर पूंजीगत परिव्यय 4403-Capital Outlay on Animal Husbandry 0.01 (पt) 0.01 4405-मत्स्य पालन पर प्ंजीगत परिव्यय 4405-Capital Outlay on Fisheries 0.01 (फu) 0.01 4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत 4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life 0.01 (ৰ∨) 0.01

परिव्यय

0.01

(HW)

0.01

4408-Capital Outlay on Food Storage and Warehousing

4408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम पर पूंजीगत

परिव्यय							
	गिण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत	4515-Capital Outlay on Other Rur	al Development		0.01	(ਸx)	0.01
परिव्यय		Programmes				<i>(</i> _ \	
	योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Pro	-	***	0.01	(यy) ∕= \	0.01
	त्रघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village an		S	0.01	(₹z)	0.01
	. पुलों पर पूंजीगत परिव्यय एक्टिक और पर्णावस्त्रीय अनुसंधान	5054-Capital Outlay on Roads and			0.01	(क1A1)	0.01
0425-अन्य वज्ञ पर पूंजीगत परिव	ानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान न्यारा	5425-Capital Outlay on Other Scie	entific and		0.01	(ख1B1)	0.01
	त्यय १ पूंजीगत परिव्यय	Environmental Research 5452-Capital Outlay on Tourism			0.01	(ग1C1)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)			0.20	(41101)	0.20
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			0.29		0.29
		тош (сарриници,		<del></del>			
यह पूरक अनुदान	ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplemen	tary Grants are required for:			
(क)	सोवटेक को सहायता अनुदान के (4.00 करोड़ रुपये)	लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना	(a)	meeting additional expe SOVTECH (₹ 4.00 crore).	nditure	towards	Grants-in-Aid to
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध पुरक की मांग की जाती है।	बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Taking into account the save the Grant, a token supplement			e same section of
(ख)	ू अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चि	कित्सा अनुसंधान और शिक्षा समिति को	(b)	meeting additional expe	-	-	Grants-in-Aid to
	सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व			"Andaman and Nicobar Isla Society" (₹ 0.50 crore).	nds Med	lical Resea	rch and Education
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध पूरक की मांग की जाती है।	बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Taking into account the save the Grant, a token supplement			e same section of
(ग)		के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना	(c)	meeting additional expend	•	•	ts-in-Aid to "Zilla
	(0.89 करोड़ रुपये)।			Parishads" (₹ 0.89 crore).			
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध पूरक की मांग की जाती है।	बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Taking into account the save the Grant, a token supplement			e same section of
(ঘ)		रियों के वेतन, मजदूरी, पेंशन आदि के	(d)	meeting additional expendit	ure towa	ards Grant-	in-Aid Salaries for
		वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना		payment of salary, wages, p	pension	etc. of the	employees of Port
	(15.00 करोड़ रुपये)।			Blair Municipal Council (₹ 15	.00 cror	e).	
	पूरक की मांग की जाती है।	बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Taking into account the save the Grant, a token supplement	-		e same section of
(ङ)		मिति को अनुदान सहायता के अतिरिक्त	(e)	meeting additional expenditu	ure towa	rds Grants-	in-Aid to Andaman
	व्यय को पूरा करना (2.00 करोड़ रुपर			Adim Janjati Vikas Samiti (₹			
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध पूरक की मांग की जाती है।	बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Taking into account the sav	-		e same section of
(च)	••	तहत मजदूरी और छात्रवृत्ति के भुगतान	(f)	the Grant, a token supplement meeting additional expen	-	-	nt of Wages &
(4)	के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना		(1)	Scholarship under "Labour, (₹ 0.27 crore).			=
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध पूरक की मांग की जाती है।	बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Taking into account the save the Grant, a token supplement	-		e same section of
(ন্ত)	मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण के तहत : रुपये)।	अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.14 करोड़	(g)	meeting additional expendit (₹ 0.14 crore).	-	-	rvey and Testing"
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध पुरक की मांग की जाती है।	बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Taking into account the say the Grant, a token supplement	-		e same section of
(ज)	"	).05 करोड़ रुपये) और कुओं के निर्माण	(h)	meeting additional expendi	-	-	ent of subsidy to
	आदि के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा			farmers (₹ 0.05 crore) (₹ 0.20 crore).	and c	onstruction	s of wells etc.
		बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Taking into account the sav	ings ava	ailable in th	e same section of
	पूरक की मांग की जाती है।			the Grant, a token supplement			
(朝)		सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय (0.15	(i)	meeting additional exper		towards (	Grands-in-Aid for
	करोड़ रुपये)। अनटान के समान खंद में उपलब्ध	बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Panchayat Samitis (₹ 0.15 c Taking into account the sav		ailahla in th	e same section of
	पूरक की मांग की जाती है।	वयता यम च्याण म रखता हुर सायमताय		the Grant, a token supplement	-		e same section of
(ट)		ाय को पूरा करना (0.03 करोड़ रुपये)।	(j)	meeting additional expen			onstruction works
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध पूरक की मांग की जाती है।	बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		(₹ 0.03 crore).  Taking into account the say			e same section of
(ত)	•	ाय को पूरा करना" (0.15 करोड़ रुपये)।	(k)	the Grant, a token suppleme meeting additional expen			onstruction works
		बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		(₹ 0.15 crore). Taking into account the sav	rings ava	ailable in th	e same section of
	पूरक की मांग की जाती है।			the Grant, a token supplement	-	-	
(র)		ाय  को पूरा करना (1.00 करोड़ रुपये)।	(1)	meeting additional expen (₹ 1.00 crore).	diture t	owards co	onstruction works
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध पूरक की मांग की जाती है।	बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Taking into account the save the Grant, a token supplement			e same section of
(ভ)		और वाहनों की खरीद (1.97 करोड़ रुपये)	(m)	meeting additional expen			onstruction works
• •	के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना			(₹ 0.14 crore) and purchase			
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध	बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Taking into account the sav	ings ava	ailable in th	e same section of
	पूरक की मांग की जाती है।	Ç		the Grant, a token supplement	entary is	sought.	

(আ)	विनिर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (7.40 करोड़ रुपये)।	(n)	meeting additional expenditure towards construction works
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		(₹ 7.40 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ਜ)	विनिर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (2.50 करोड़ रुपये)।	(o)	meeting additional expenditure towards construction works (₹ 2.50 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(뀍)	विनिर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.06 करोड़ रुपये)।	(p)	meeting additional expenditure towards construction works (₹ 0.06 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(द)	विनिर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.30 करोड़ रुपये)।	(q)	meeting additional expenditure towards construction works (₹ 0.30 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ध)	मशीनरी और उपकरणों तथा निर्माण कार्यों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 5.69 करोड़ रुपये)।	(r)	meeting additional expenditure towards purchase of machenery & equipments and construction works (₹ 5.69 crore)
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(न)	विनिर्माण कार्यों और मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.03 करोड़ रुपये)।	(s)	meeting additional expenditure towards construction works and purchase of machinery & equipments (₹ 1.03 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
( <del>Y</del> )	विनिर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.65 करोड़ रुपये)।	(t)	meeting additional expenditure towards construction works ( $\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}}}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}}{\stackrel{\ref{eq}}{\stackrel{\ref{eq}}}}}}{\stackrel{\ref{eq}}}{\stackrel{\ref{eq}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} $
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(फ)	विनिर्माण कार्यों और मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.64 करोड़ रुपये)।	(u)	meeting additional expenditure towards construction works and purchase of machinery & equipments (₹ 0.64 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ब)	े. मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.65 करोड़ रुपये)।	(v)	meeting additional expenditure towards purchase of machinery & equipments (₹ 0.65 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(위)	विनिर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्ययको पूरा करना (1.50 करोड़ रुपये)।	(w)	meeting additional expenditure towards construction works ( $₹$ 1.50 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
( <b>म</b> )	विनिर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना(1.00 करोड़ रुपये)।	(x)	meeting additional expenditure towards construction works ( $\stackrel{\scriptstyle \star}{}$ 1.00 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(य)	विनिर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.55 करोड़ रुपये)।	(y)	meeting additional expenditure towards construction works ( $\mathop{\mathfrak{T}}$ 0.55 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(₹)	विनिर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.55 करोड़ रुपये)।	(z)	meeting additional expenditure towards construction works (₹ 0.55 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(क1)	सड़कों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (5.00 करोड़ रुपये)।	(A1)	meeting additional expenditure towards construction, repairs and maintenance of roads (₹ 5.00 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख1)	विनिर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.01 करोड़ रुपये)।	(B1)	meeting additional expenditure towards construction works ( $₹$ 0.01 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग1)	मोटर वाहनों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.15 करोड़ रुपये)।	(C1)	meeting additional expenditure towards purchase of motor vehicles (₹ 0.15 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO 55

### लद्दाख

### **LADAKH**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये ) (See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 54 of the First Supplementary

		nands for Grants of Central Government t the year 2022-2023)	ioi trie year	2022-2023 and pa	age 54 or the	riist Su	ppiememary
Domanao	ior Granto ior	,				(₹ करों	ड़ि ) (In ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत		ਗੋੜ
				Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदा <b>न</b>	<del>7</del> :	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue			2553.29		2553.29
पूंजी		Capital			3404.71		3404.71
जोड़		Total			5958.00		5958.00
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व 🌷		Revenue			0.04		0.04
पूंजी		Capital			0.14		0.14
जोड़		Total			0.18		0.18
इस समय आवश	यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now requ	ired:				
पूरक अनुमान:							
राजस्व ँ		Revenue			0.04		0.04
पूंजी		Capital					
जोड़		Total		•••	0.04		0.04
जोड़ (मूल और प	गूरक)	Total (Original plus Supplementary)		•••	5958.22		5958.22
राजस्व		Revenue			2553.37		2553.37
पूंजी		Capital		***	3404.85		3404.85
•		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों	के अंतर्गत दिखा	ाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be accounted the					
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		भारित	स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2015-चुनाव		2015-Elections			0.01	(कa)	0.01
2202-सामान्य	शिक्षा	2202-General Education		***	0.01	(खb)	0.01
2245-प्राकृतिक		2245-Relief on account of Natural Calamities			0.01	(बड) (गc)	0.01
2408-खाय भंडा		2408-Food Storage and Warehousing			0.01	(घd)	0.01
गोदाम						( 1-)	
जोड़ (राजस्व भ	ाग)	Total (Revenue Section)		***	0.04		0.04
			मानों में नीचे दर्शा	ोई गयी वस्लियों को शामिल	। नहीं किया गया है	जिन्हें व्यय मे	नें से घटाकर
		समायोजित किया जाता है !					
		Note: The above estimates of additional requirem	nents do not ta	ke into account the reco	overies shown be	low, which	are
		adjusted in reduction of expenditure.					
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
2245-प्राकृतिक	आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities			(-)5.00		(-)5.00
<b>2408-</b> खाय भंडा		2408-Food Storage and Warehousing			(-)46.50		(-)46.50
गोदाम		ů ů			( )		( )
जोड़ (राजस्व भ	ाग)	Total (Revenue Section)		•••	(-)51.50		(-)51.50
यह पूरक अन्दा	ने  निम्नलिखित हेतु	अपेक्षित है:	The suppler	mentary Grants are requ	uired for:		
(क)		बेलों (0.01 करोड़ रुपये) और यात्रा भत्ता बिलों (0.02 करोड़	(a)	meeting additional		clearing pe	nding medical bills
	रुपये) के भ्गतान व	के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।		(₹ 0.01 crore) and TA	A bills (₹ 0.02 cro	ore).	
		ाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक		Taking into account	the savings ava	ailable in th	ne same section of
	पूरक की मांग की उ			the Grant, a token su	applementary is s	sought.	
(ख)		या बिलों (1.87 करोड़ रुपये) के भुगतान के लिए वेतन	(b)	meeting additional	expenditure for	grants-in-a	aid salary to clear
	सहायता अनुदान	के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।		pending salary arrea	rs bills (₹ 1.87 cr	ore).	
	अनुदान के इसी भ	ाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक		Taking into account	the savings ava	ailable in th	ne same section of
	पूरक की मांग की उ	नाती है।		the Grant, a token su	upplementary is s	sought.	
(ग)	आपदा प्रतिक्रिया (	निधि के तहत आरक्षित निधि और जमा का अंतरण (5.00	(c)	transfer of reserve	funds and depo	sit under	Disaster Response
	करोड़ रुपए) ।			Fund (₹ 5.00 crore).			
	अनुदान के इसी भ	ाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक		Taking into account	the savings ava	ailable in th	ne same section of
	पूरक की मांग की उ	नाती है।		the Grant, a token su	upplementary is s	sought.	
(ঘ)		नीन तेल (46.50 करोड़ रुपए)।	(d)	Food Grains and Ke	rosene Oil (₹ 46.	50 crore).	
		ाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक		Taking into account	the savings ava	ailable in th	ne same section of
	पूरक की मांग की उ	जाती है।		the Grant, a token su	upplementary is s	sought.	

#### मांग संख्या DEMAND NO 56

## लक्षद्वीप LAKSHADWEEP

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 71 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये ) (See page 71 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़ ) (In ₹ crores)

			, , ,		-,
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	1199.60	1199.60	
पूंजी	Capital	•••	221.90	221.90	
जोड़	Total		1421.50	1421.50	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital	***	0.01	0.01	
जोड़	Total		0.01	0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	l:			
राजस्व	Revenue	•••	35.95	35.95	
पूंजी	Capital	•••	***		
जोड़	Total		35.95	35.95	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1457.46	1457.46	
राजस्व	Revenue		1235.55	1235.55	
पूंजी	Capital		221.91	221.91	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	नंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for ur		d:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 2801-विद्युत	2801-Power		35.95	35.95	
•					

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बिजली उत्पादन के लिए उच्च गति डीजल की खरीद के लिए अतिरिक्त मांग को प्रा करना (35.95 करोड़ रुपये)।

अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा; The supplementary Grant is required for:

meeting the additional requirement for purchase of High Speed Diesel for power generation ( $\ref{thm:prop}$  35.95 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

### मांग संख्या DEMAND NO 57

## दिल्ली को अंतरण TRANSFERS TO DELHI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

			(₹ करें	ीड़ ) (In ₹ croi
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
!. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
ाजस्व ।जस्व	Revenue		1168.00	1168.00
ज़ी	Capital			
गेड़	Total		1168.00	1168.00
एक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
जस्व	Revenue			
ज़ी	Capital			
ोड़	Total			
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
जस्व	Revenue	***		
ज़ी	Capital		0.01	0.01
ोड़	Total		0.01	0.01
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1168.01	1168.01
जस्व	Revenue		1168.00	1168.00
जी	Capital		0.01	0.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखा	या जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the fo		ad:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
ज़ी भाग	CAPITAL SECTION			
, ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
'602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	7602-Loans and Advances to Union Territory Governments		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता' के तहत 0.01 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने की आवश्यकता है। अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा; The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 0.01 crore towards Additional Central Assistance for Externally Aided Projects.

Taking into account savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

### मांग संख्या DEMAND NO 58

# जम्मू और कश्मीर को अंतरण TRANSFERS TO JAMMU AND KASHMIR

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये ) (See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड ) (In ₹ crores)

			(1 9	RIS ) (III ( CIUIES)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		35581.44	35581.44
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		35581.44	35581.44
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		8956.69	8956.69
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		8956.69	8956.69
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		158.00	158.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		158.00	158.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		44696.13	44696.13
राजस्व	Revenue		44696.13	44696.13
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	ा दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under		r Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
उ 3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		158.00	158.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grant is required for:

झेलम तावी बाढ़ राहत परियोजना के व्यय को पूरा करने हेत् (158 करोड़ रुपये)।

meeting the expenditure on account of Jhelum Tavi Flood Recovery

Project (₹ 158 crore)

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The above expenditure will entail a cash outgo.

#### मांग संख्या DEMAND NO 60

# आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये ) (See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 59 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

PLEMENTARY GRANT:  ue  PLEMENTARY GRANT:  ue  omentary Estimate of the amount now required:  ue  Original plus Supplementary)  ue  I  पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंद Supplementary Grants will be accounted for un	भारित Charged 108.70 38.02 146.72 8.66 1.91 10.57   157.29 117.36 39.93	स्वीकृत Voted 49268.75 27303.00 <b>76571.75</b> 2283.95 0.03 <b>2283.98</b> 0.04 0.03 <b>0.07</b> 78855.80 51552.74		रोड़ ) (In ₹ cro जोड़ Total 49377.45 27341.02 76718.47 2292.61 1.94 2294.55
ue PLEMENTARY GRANT: ue I mentary Estimate of the amount now required: ue I Original plus Supplementary) ue I	108.70 38.02 146.72 8.66 1.91 10.57	Voted  49268.75 27303.00 76571.75  2283.95 0.03 2283.98  0.04 0.03 0.07 78855.80		49377.45 27341.02 <b>76718.47</b> 2292.61 1.94 <b>2294.55</b>
ue PLEMENTARY GRANT: ue I mentary Estimate of the amount now required: ue I Original plus Supplementary) ue I	38.02 146.72 8.66 1.91 10.57    157.29 117.36	27303.00 <b>76571.75</b> 2283.95 0.03 <b>2283.98</b> 0.04 0.03 <b>0.07</b> <b>78855.80</b>		27341.02 76718.47 2292.61 1.94 2294.55
PLEMENTARY GRANT:  ue  mentary Estimate of the amount now required:  ue  Original plus Supplementary)  ue  I  गुरुक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंद	38.02 146.72 8.66 1.91 10.57    157.29 117.36	27303.00 <b>76571.75</b> 2283.95 0.03 <b>2283.98</b> 0.04 0.03 <b>0.07</b> <b>78855.80</b>		27341.02 76718.47 2292.61 1.94 2294.55
PLEMENTARY GRANT:  ue  mentary Estimate of the amount now required:  ue  Original plus Supplementary)  ue  I  गुरुक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	146.72 8.66 1.91 10.57   157.29 117.36	76571.75  2283.95  0.03  2283.98  0.04  0.03  0.07  78855.80		76718.47 2292.61 1.94 2294.55
ue ementary Estimate of the amount now required: ue Original plus Supplementary) ue I पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	8.66 1.91 <b>10.57</b>    157.29 117.36	2283.95 0.03 2283.98 0.04 0.03 0.07 78855.80		2292.61 1.94 <b>2294.55</b> 0.04 0.03
ue ementary Estimate of the amount now required: ue Original plus Supplementary) ue I पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	1.91 10.57   157.29 117.36	0.03 2283.98 0.04 0.03 0.07 78855.80		1.94 <b>2294.55</b> 0.04 0.03
ementary Estimate of the amount now required: ue Original plus Supplementary) ue I पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	1.91 10.57   157.29 117.36	0.03 2283.98 0.04 0.03 0.07 78855.80		1.94 <b>2294.55</b> 0.04 0.03
ementary Estimate of the amount now required: ue Original plus Supplementary) ue I पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	10.57   157.29 117.36	0.04 0.03 0.07 78855.80		0.04 0.03
ementary Estimate of the amount now required: ue Original plus Supplementary) ue I पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	  157.29 117.36	0.04 0.03 <b>0.07</b> <b>78855.80</b>		0.04 0.03
ue Original plus Supplementary) ue I पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	 157.29 117.36	0.03 <b>0.07</b> <b>78855.80</b>		0.03
ue Original plus Supplementary) ue I पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	 157.29 117.36	0.03 <b>0.07</b> <b>78855.80</b>		0.03
Original plus Supplementary) ue l पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	 157.29 117.36	0.03 <b>0.07</b> <b>78855.80</b>		0.03
Original plus Supplementary) ue l पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	 157.29 117.36	0.07 78855.80		
ue      रूक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	157.29 117.36	78855.80		0.07
ue      रूक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	117.36			
ue      रूक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत		51552.74		79013.09
पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	39.93			51670.10
पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत		27303.06		27342.99
	र्गत टिखाया जायेगाः			
cappionian, crano im 20 accounted for an		d		
	भारित	स्वीकृत		जॊड़
	Charged	Voted		Total
ENUE SECTION	<b>-</b>			
		0.01	(कa)	0.01
	•••			0.01
			, ,	0.01
•				0.01
			( - /	0.04
-				
		0.01	(중e)	0.01
Japital Cullay of Fubile Works		0.01	(30)	0.01
Capital Outlay on Housing		0.01	( <b>च</b> f)	0.01
rapital Sallay Stringasting		0.0.	(,	0.0.
Capital Outlay on Urban Development		0.01	(छg)	0.01
			(- 5)	
Capital Section)		0.03		0.03
•				0.07
	R HEAD Secretariat-General Services Public Works Urban Development North Eastern Areas Revenue Section) TAL SECTION R HEAD Capital Outlay on Public Works Capital Outlay on Housing Capital Outlay on Urban Development Capital Section) Supplementary)	Secretariat-General Services  Public Works  Urban Development  North Eastern Areas  Revenue Section)  TAL SECTION  R HEAD  Capital Outlay on Public Works  Capital Outlay on Housing  Capital Section)   Capital Section)	Secretariat-General Services	Secretariat-General Services 0.01 (年a) Public Works 0.01 (理b) Urban Development 0.01 (可c) North Eastern Areas 0.01 (可d) Revenue Section) 0.04  TAL SECTION R HEAD Capital Outlay on Public Works 0.01 (可e) Capital Outlay on Housing 0.01 (可e) Capital Outlay on Urban Development 0.01 (可e) Capital Section) 0.01 (可e)

यह पूरक अनुदाने	ं निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The
(क)	कार्यालय व्यय (सूचना प्रौद्योगिकी) के तहत कंप्यूटरों के प्रतिस्थापन के व्यय को	(a)
	पूरा करने लिए (रु. 3.50 करोड़)।	
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	
	सामान्य सहायता अनुदान (जीआईए)- के तहत राजघाट समाधि समिति (1.20 करोड़ रुपये)।	(b)
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	

The supplementary Grants are required for:

(₹ 1.20 crore).

meeting expenditure for replacement of computers under Office Expenses(Information Technology) (₹ 3.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought.

Rajghat Samadhi Committee under Grants-in-Aid(GiA)-General

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ग)	सामान्य सहायता अनुदान (जीआईए) के तहत स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (एसबीएम) (यू) (1.30 करोड़ रुपये) अनुदान के उसी में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक	(c)	Swachh Bharat Mission(Urban) (SBM)(U) under GiA-General (₹ 1.30 crore).  Taking into account the savings available in the same section of
(ঘ)	की मांग की जाती है। प्ंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के लिए निम्नलिखित व्यय को पूरा करना: (i) पूर्वीत्तर (एनई) राज्य सरकारों को आवास अन्य अनुदान-सहायता (18.04 करोड़ रुपये) और (ii) अनुसूचित जनजाति (एसटी) घटक (157.62 करोड़ रुपये)।	(d)	the Grant, a token supplementary is sought.  meeting expenditure for Pradhan Mantri Awas Yojna-Urban (PMAY-U) under Grants for Creation of Capital Assets as below: (i) Housing other Grants-Assistance to North East (NE) State Government (₹ 18.04 crore) and (ii) Schedule Tribes(ST) components (₹ 157.62 crore).
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ঙ্গ)	लघु निर्माण कार्यों के तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) (51.00 करोड़ रुपये)।	(e)	Central Public Works Department (CPWD) under Minor Works ( $₹$ 51.00 crore).
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	लघु निर्माण कार्य के तहत सीपीडब्ल्यूडी (50.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(f)	CPWD under Minor Works (₹ 50.00 crore).  Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ন্ড)	अंतर लेखा अंतरण के तहत मेट्रो परियोजना योजनाओं के सॉवरेन ग्रीन फंड में अंतरण (3202.56 करोड़ रुपये)।	(g)	transferring funds to Sovereign Green Fund to meet requirement of Metro Projects Schemes under Inter Accounts Transfer (₹ 3202.56 crore).
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available for surrender in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 61

## सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये ) (See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड ) (In ₹ crores)

			(\ 4)	(15) (111 ( CI OI E3)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	3955.12	3955.12
पूंजी	Capital	***	25.65	25.65
जोड़	Total		3980.77	3980.77
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		201.23	201.23
पूंजी	Capital	***		
जोड़	Total		201.23	201.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	<b>!:</b>		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4182.01	4182.01
राजस्व	Revenue		4156.36	4156.36
पूंजी	Capital		25.65	25.65
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	नंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for ur		d:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) सहायता अनुदान (जीआईए) सामान्य के तहत फिल्म संबंधी विषय वस्तु के विकास, संचार, एवं प्रसार (डी.सी.डी.एफ.सी.) योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनई) में फिल्मों से संबंधित गतिविधियों को बढ़ाने के लिए व्यय को पूरा करना (₹2.88 करोड़) और (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के तहत प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क, विकास (बीआईएनडी) योजना में जी-20 आयोजनों से संबंधित व्यय को पूरा करना (₹9.31 करोड़)।

अनुदान समान खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

(i) meeting expenditure for enhancement of activities related to filmic content in North East (NE) Area in the scheme Development Communication & Dissemination of Filmic Content (DCDFC) under Grants-in-Aid(GiA)-General(₹ 2.88 crore) and (ii) meeting expenditure related to G-20 Events in the scheme Broadcasting Infrastructure & Network Development (BIND) under Grants for Creation of Capital Assets(₹ 9.31 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### मांग संख्या DEMAND NO 62

## जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग

### DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये ) (See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

	•	,				(₹ करोंड़ ) (In ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत	ज <u>ो</u> ड़ ▼-4-1
/ 11-11 21-121	<del></del>	LODICINAL CRANT		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदार	<del>1</del> ;	I. ORIGINAL GRANT:			10000 17	10000 17
राजस्व		Revenue			18608.17	18608.17
ਧ੍ਰਂजੀ <b>जोड</b>		Capital			438.83	438.83
•		Total			19047.00	19047.00
पूरक अनुदान	:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व		Revenue			0.04	0.04
पूंजी <del>केट</del>		Capital				
जोड़	· ·	Total	4		0.04	0.04
<b>इस समय आवः</b> राजस्व	थक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amou	ant now require	ea:	0.01	0.01
		Revenue		***	0.01	
पूंजी <b>जोड</b>		Capital <b>Total</b>			0.01 <b>0.02</b>	0.01 <b>0.02</b>
•	<del></del>				19047.06	19047.06
जोड़ (मूल और ' राजस्व	1(41)	Total (Original plus Supplementary) Revenue			18608.22	18608.22
पूंजी		Capital			438.84	438.84
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि				
		II. This Supplementary Grants will be	accounted to			
				भारित	स्वीकृत	ज <u>ो</u> ड़
				Charged	Voted	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	. 6: (	MAJOR HEAD				
	र मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation			0.01	(कa) 0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
	ाई पर पूंजीगत परिव्यय	4702-Capital Outlay on Minor Irrigation	on		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		***	0.02	0.02
	10001					
	ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	*		mentary Grants are required		D
(क)		गौर कार्यक्रम घटक (120 करोड़ रुपये) के लिए	(a)	Grants-in-aid General	under Atal	Bhujal Yojana for EAP
	अटल भुजल योजना के तहत साम	॥न्य अनुदान।		Component (₹ 350 (₹ 120 crore).	crore) and	Programme Component
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध	बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the	savings availa	able in the same section of
	की मांग की जाती है।	,		the Grant, a token supple	ementary is so	ught.
(ख)		ति राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं	(b)	Rajiv Gandhi National	Ground Wat	er Training and Research
	अनुसंधान संस्थान (0.11 करोड़	रुपये)।		Institute under 'Machine	ry & Equipmer	ıt' (₹ 0.11 crore).
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध	बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the	savings availa	able in the same section of
	की मांग की जाती है।	-		the Grant, a token supple	ementary is so	ught.

### मांग संख्या DEMAND NO 64

# श्रम और रोजगार मंत्रालय MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

			(\ 4)\(\frac{1}{2}\) / (111\\ C1			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	***	16846.37	16846.37		
पूंजी	Capital		47.31	47.31		
जोड़	Total		16893.68	16893.68		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.01	0.01		
पूंजी	Capital					
जोड़	Total		0.01	0.01		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		16893.69	16893.69		
राजस्व	Revenue		16846.38	16846.38		
पूंजी	Capital		47.31	47.31		
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	न दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under		ad:			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development		0.01	0.01		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

"राष्ट्रीय श्रम संस्थान" स्कीम के तहत सहायता अनुदान वेतन (0.51 करोड़ ऊपए)।

अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-aid Salaries (₹ 0.51 crore) under the scheme "National Labour Institute".

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 65

## विधि और न्याय LAW AND JUSTICE

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये ) (See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 64 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

				(₹ करोंड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत	जॏड़		
		Charged	Voted	Total		
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	-				
राजस्व	Revenue		1978.48	1978.48		
पूंजी	Capital		1615.00	1615.00		
जोड़	Total		3593.48	3593.48		
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue		29.65	29.65		
पूंजी	Capital					
जोड़	Total		29.65	29.65		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:				
राजस्व	Revenue	***	3166.09	3166.09		
पूंजी	Capital					
जोड़	Total		3166.09	3166.09		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6789.22	6789.22		
राजस्व	Revenue		5174.22	5174.22		
पूंजी	Capital		1615.00	1615.00		
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
		भारित	स्वीकृत	जॏड़		
		Charged	Voted	Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice		0.01	(कa) 0.01		
2015-चुनाव	2015-Elections		3166.08	(खb) 3166.08		
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		3166.09	3166.09		

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: (क) (i) उच्चतम न्यायालय, उच्च

(i) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि में उनकी उपस्थिति के लिए विधि अधिकारियों और सरकारी वकीलों के लंबित बिलों के निपटान हेतु (15.94 करोड़ रुपये)। भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित ₹6.35 करोड़ की अग्रिम की प्रतिपूर्ति की जाएगी; और (ii) भारतीय विधि संस्थान को अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित ₹3.00 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के लिए चुनाव संबंधी व्यय की लंबित देयता का निपटान करने के लिए। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा। The supplementary Grants are required for:

(i) clearing the pending bills of Law Officers and Government counsels for their appearance in Supreme court, High Court, etc. (₹ 15.94 crore). An advance of ₹ 6.35 crore withdrawn from Contingency Fund of India will be recouped; and (ii) recouping an advance of ₹3.00 crore withdrawn from the Contingency Fund of India to provide additional Grant-in-aid Salaries to Indian Law Institute.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

to clear the pending liability of election related expenditure towards the States/UT Governments.

The above expenditure will entail a cash outgo.

### मांग संख्या DEMAND NO 66

# निर्वाचन आयोग

### **ELECTION COMMISSION**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये ) (See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 65 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़ ) (In ₹ crores)

			[1 3/1	\$ / (III ( CIOICS)		
		भारित	स्वीकृत	ऒड़		
		Charged	Voted	Total		
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		253.00	253.00		
पूंजी	Capital	***	7.00	7.00		
जोड़	Total		260.00	260.00		
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue	***	67.24	67.24		
पूंजी	Capital					
जोड़	Total		67.24	67.24		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue					
पूंजी	Capital	***	0.01	0.01		
जोड़	Total	•••	0.01	0.01		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		327.25	327.25		
राजस्व	Revenue	***	320.24	320.24		
पूंजी	Capital		7.01	7.01		
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		भारित	स्वीकृत	जॏड़		
		Charged	Voted	Total		
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	0.01		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आईआईआईडीईएम परिसर के निर्माण पर व्यय को पूरा करना (7 करोड़ रुपये)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure on the construction of IIIDEM campus (₹ 7 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 68

## सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये ) (See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 67 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

				(₹ करोंड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		20916.00	20916.00
पूंजी	Capital		506.00	506.00
जोड़	Total		21422.00	21422.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital		***	
जोड़	Total		0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		2306.21	2306.21
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		2306.21	2306.21
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		23728.23	23728.23
राजस्व	Revenue		23222.23	23222.23
पूंजी	Capital		506.00	506.00
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		Head	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	•••	250.60	( <b>क</b> a) 250.60
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries		2055.61	(खb) 2055.61
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		2306.21	2306.21

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(ख)

(i) "प्रधान मंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)" योजना के तहत सब्सिडी (40 करोड़ रुपये) और (ii) "ऋण सहायता कार्यक्रम" योजना के तहत योगदान (770.00 करोड़ रुपये)।

अनुदान के पूंजी खंड (0.60 करोड़ रुपये) में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी खंड (559.40 करोड़ रुपये) के तहत बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में नकद व्यय (250.00 करोड़ रुपये) होगा।

(i) "प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)" योजना के तहत सब्सिडी (360.00 करोड़ रुपये), (ii) "ऋण सहायता कार्यक्रम" योजना के तहत योगदान (7230.00 करोड़ रुपये) और (iii) "कॉयर विकास परियोजना" योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (7.14 करोड़ रुपये)।

अनुदान के पूंजी खंड (98.90 करोड़ रुपये) में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी खंड (5541.53 करोड़ रुपये) के तहत बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में नकद व्यय (1956.71 करोड़ रुपये) होगा।

The supplementary Grants are required for:

(i) Subsidies (₹ 40 crore) under the scheme "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)" and (ii) Contribution (₹ 770.00 crore) under the scheme "Credit Support Programme".

(i) Subsidies (₹ 360.00 crore) under the scheme "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)", (ii) Contribution (₹ 7230.00 crore) under the scheme "Credit Support Programme" and (iii) Grants-in-aid General (₹ 7.14 crore) under the scheme "Coir Vikas Yoiana".

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant ( $\mathfrak{T}$  98.90 crore), and after utilising the savings within the same section of the Grant ( $\mathfrak{T}$  5541.53 crore), the above expenditure will entail a cash outgo ( $\mathfrak{T}$  1956.71 crore).

#### मांग संख्या DEMAND NO 69

#### खान मंत्रालय

### MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़ ) (In ₹ crores)

(-)60.00

		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	1546.79	1546.79
पूंजी	Capital	***	61.21	61.21
जोड़	Total	•••	1608.00	1608.00
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required:			
पूरक अनुमान:				
राजस्व	Revenue		151.95	151.95
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		151.95	151.95
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1759.95	1759.95
राजस्व	Revenue		1698.74	1698.74
पूंजी	Capital	•••	61.21	61.21
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया	जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the follow			
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries		151.95	151.95

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

ग्रज्ञम्त भाग REVENUE SECTION

2853-अलौह खनन और धात्कर्म

यह पुरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries

The supplementary Grant is required for:

(i) "राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण कोष में अंतरण" योजना के तहत सामान्य सहायता अन्दान (60.00 रुपये), (ii) " भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण", योजना के तहत वेतन (38.73 करोड़ रुपये) और अन्य प्रशासनिक व्यय (0.24 करोड़ रुपये) (iii) "स्वायत निकायों को सहायता" योजना के तहत सहायता अन्दान सामान्य (रु.2.98), (iv) "भारत" गोल्ड माइन्स लिमिटेड योजना के तहत सहायता अन्दान सामान्य (रु 3.00 करोड़)। ", (v) "राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि क्रियाकलाप" योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (12.57 करोड़ रुपये) और (vi) सहायता अनदान सामान्य (60.00 करोड़ रुपये) योजना "कार्यक्रम घटक" जिसमें भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति (91.95 करोड़ रुपये) शामिल है।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि (60.00 करोड़ रुपये) से प्राप्त व्यय को ध्यान में रखते हए और अनदान के उसी खंड के भीतर उपलब्ध बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में निवल नकद व्यय (91.95 करोड़ रुपये) होगा।

(i) Grants-in-aid General (₹ 60.00 crore) under the scheme "Transfer to National Mineral Exploration Fund", (ii) Salaries (₹ 38.73 crore) and Other Administrative Expenses (₹ 0.24 crore) under the scheme "Geological Survey of India", (iii) Grants-in-aid General (₹ 2.98 crore) under the scheme "Support to Autonomous Bodies", (iv) Grants-in-aid General (₹ 3.00 crore) under the scheme "Bharat Gold Mines Ltd.", (v) Grants-in-aid General (₹ 12.57 crore) under the scheme "National Mineral Exploration Trust Fund Activities" and (vi) Grants-in-aid General (₹ 60.00 crore) under the scheme "Programme Component" including recoupment (₹ 91.95 crore) of an advance drawn from the Contingency Fund of India.

(-)60.00

Taking into account the expenditure met from National Mineral Exploration Fund (₹ 60.00 crore) and after utilising the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo (₹ 91.95 crore).

#### मांग संख्या DEMAND NO 71

## नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिये ) (See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 68 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

Demands for Grants for	the year 2022-2023)			
			(₹	करोड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	···	6888.94	6888.94
पूंजी	Capital		11.74	11.74
जोड़	Total		6900.68	6900.68
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	···	132.33	132.33
पूंजी	Capital		2.00	2.00
जोड़	Total		134.33	134.33
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required:			
पूरक अनुमान:				
राजस्व	Revenue	•••	5536.00	5536.00
पूंजी	Capital	•••		
जोड़	Total	•••	5536.00	5536.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		12571.01	12571.01
राजस्व	Revenue		12557.27	12557.27
पूंजी	Capital	•••	13.74	13.74
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un	der the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जৗड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy		5536.00	5536.00

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है!

**Note:** The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग REVENUE SECTION

**2810-नवीन और नवीकरणीय** 2810-

यह पुरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

व्यय नहीं होगा।

2810-New and Renewable Energy

(1.) 'सॉवरेन ग्रीन फंड' को 'अंतर खाता अंतरण' के रूप में 5,538.01 करोड़ रुपये प्रदान करना [सौर ऊर्जा (ग्रिड) के लिए 2,800 करोड़ रुपये, पवन ऊर्जा (ग्रिड) के लिए 1,413 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 लाख रुपये और किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (केयूएसयूएम)] के लिए 1,325 करोड़ रुपये। 5538.01 करोड़ रुपये की वसूली को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध अवशिष्ट बचत, उपरोक्त व्यय में नकद

The supplementary Grant is required for:

(1.) Providing ₹ 5,538.01 crore as 'Inter Account Transfer' to 'Sovereign Green Fund' [ ₹ 2,800 crore for Solar Power (Grid), ₹ 1,413 crore for Wind Power (Grid), ₹ 1 lakh for National Green Hydrogen Mission and ₹ 1,325 crore for Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (KUSUM)]. Taking into account recoveries of ₹ 5538.01 crore and residual savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo.

(-)5538.01

(-)5538.01

### मांग संख्या DEMAND NO 76

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

( कंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 73 देखिये ) (See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 73 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

Demands for Grants for the year 2				(₹ करों	इ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॏड़
_		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		8339.86		8339.86
पूंजी	Capital		600.00		600.00
जोड़	Total		8939.86		8939.86
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		25503.68		25503.68
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		25503.68		25503.68
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amou	ınt now required:			
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		34443.56		34443.56
राजस्व	Revenue		33843.56		33843.56
पूंजी	Capital		600.00		600.00
•	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखि	त मख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		accounted for under the following Ma	aior Head		
		<i>भारित</i> स्वीकृत जोड़			
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	· ·			
मृख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum		0.01	(कa)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	()	0.02
, ,					
यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are requ	ired for:		
(क) पूर्वीतर क्षेत्र में घरेलू प्राकृतिक गै	स के लिए देय अन्य सब्सिडी के भ्गतान के	(a) providing additional		re toward	s payment of other
	क धनराशि प्रदान करना। अनुदान के उसी भाग				
में उपलब्ध बचत को ध्यान में रख	ाते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of			
	3 "	the Grant, a token su	•		
			-		

subsidy of ₹ 215.62 crore towards promotion of flagging of

Merchant Ships for India. Taking into account the savings available

in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

भारत के लिए व्यापारिक जहाजों को खाना करने के संवर्धन के लिए 215.62

करोड़ रुपये की सब्सिडी। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में

रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख)

#### मांग संख्या DEMAND NO 77

#### योजना मंत्रालय

### MINISTRY OF PLANNING

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये ) (See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 74 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़ ) (In ₹ crores)

			[1 7/1	19 / (111 ( 610165
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	310.67	310.67
पूंजी	Capital		10.75	10.75
जोड़	Total		321.42	321.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		612.44	612.44
पूंजी	Capital	***	10.00	10.00
जोड़	Total		622.44	622.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	<b>l:</b>		
राजस्व	Revenue		16.44	16.44
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	***	16.44	16.44
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		960.30	960.30
राजस्व	Revenue		939.55	939.55
पूंजी	Capital		20.75	20.75
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	नंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for ur		:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		16.44	16.44

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) राष्ट्रीय श्रम अर्थेशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान के तहत -वेतन सहायता अनुदान (1.44 करोड़ रुपये )।
- (ii) देश भर में इनोवेशन इकोसिस्टम विकास कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए (15.00 करोड़ रुपए)।

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक की मांग की जाती है। उपरोक्त व्यय के लिए ₹1.44 करोड़ का नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

- (i) Grants-in-aid Salaries under National Institute of Labour Economics Research and Development (₹1.44 crore),
- (ii) meeting the additional requirement of funds on account of Innovation Ecosystem Development Activities across the country (₹15.00 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will entail a cash outgo of ₹1.44 crore.

#### मांग संख्या DEMAND NO 78

## पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 75 देखिये ) (See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 75 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड ) (In ₹ crores)

					) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॉड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		1495.19		1495.19
पूंजी	Capital		749.31		749.31
जोड़	Total	•••	2244.50		2244.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	•••	13.09		13.09
पूंजी	Capital		70.80		70.80
जोड़	Total		83.89		83.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी	Capital		23.86		23.86
जोड़	Total		23.87		23.87
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2352.26		2352.26
राजस्व	Revenue		1508.29		1508.29
पूंजी	Capital		843.97		843.97
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unde		ijor Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses		0.01	( <b>क</b> a)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
ू मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5 5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses		23.86	(खb)	23.86
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		23.87	. ,	23.87

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) सागरमाला के तहत पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹7.70 करोड़) (ii) लाइटहाउस और लाइटिशप महानिदेशालय के तहत 'रिजर्व' के अंतर्गत सामान्य रिजर्व फंड (₹23.18 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) निवेश (₹53.43 करोड़) के तहत सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा इक्विटी के भुगतान के लिए।

अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध अभ्यार्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

(i) Grants for creation of Capital Assets under Sagarmala (₹7.70 crore)(ii) General Reserve Fund under 'Reserve' under Directorate General of Lighthouses and Lightships (₹23.18 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

for payment of equity by Sagarmala Development Company Limited under Investment (\$53.43 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

#### मांग संख्या DEMAND NO 79

## विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 76 देखिये ) (See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 76 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़ ) (In ₹ crores)

			(\ 9	rkiş / (ili \ Ci bi es	( CIUIES)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	18421.11	18421.11	
पूंजी	Capital	***	13.11	13.11	
जोड़	Total	•••	18434.22	18434.22	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.02	0.02	
पूंजी	Capital		10.00	10.00	
जोड़	Total		10.02	10.02	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		18444.25	18444.25	
राजस्व	Revenue		18421.14	18421.14	
पूंजी	Capital	•••	23.11	23.11	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		ad:		
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2801-वियुत	2801-Power		0.01	0.01	
<del>-</del>					

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अतिरिक्त धनराशि प्रदान करनाः (i) केंद्रीय वियुत नियामक प्राधिकरण के लिए पूंजीगत आस्ति के सृजन केंद्र अनुदान के लिए 5 करोड़ रुपए; (ii) दिल्ली के अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त एसईआरसी की स्थापना के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में 1.15 करोड़ रुपए और (iii) लोहारी नागपाला परियोजना हेतु 53 करोड़ रुपए की सामान्य सहायता अनुदान। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती

The supplementary Grant is required for:

providing additional funds amounting to: (i) ₹ 5 crore towards grants for creation of capital assets for Central Electricity Regulatory Authority; (ii) ₹ 1.15 crore for setting up of Joint SERC for Union Territories except Delhi, as grants in aid general and (iii) ₹ 53 crore for Lohari Nagpala project towards grants in aid general. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## संख्या NO. 84 (विनियोग)(APPROPRIATION)

### संघ लोक सेवा आयोग

### UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 102 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 80 देखिये ) (See page 102 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 80 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़ ) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत	जॏड़
00.1		Charged	Voted	Total
l.विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	330.58		330.58
प्ंजी <b>जोड़</b>	Capital			
	Total	<i>330.58</i>		330.58
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::			
राजस्व	Revenue	20.67		20.67
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	20.67		20.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	18.75		18.75
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	<i>18.75</i>		18.75
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	370.00		370.00
राजस्व	Revenue	<i>370.00</i>		370.00
पूंजी	Capital	***		
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted	I for under the following Majo	or Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2051-लोक सेवा आयोग	2051-Public Service Commission	18.75		18.75

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

परीक्षाओं और चयनों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹18.75 करोड़)

उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure on Examinations and Selections (₹18.75 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

#### मांग संख्या DEMAND NO 85

#### रेल मंत्रालय

#### MINISTRY OF RAILWAYS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103-104 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 81-82 देखिये )

(See page 103-104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 81-82 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

					(, ,,,	14 / (111 ( 6101)	<i>CD</i> /
		भारित		स्वीकृत		जॊड़	
		Charged		Voted		Total	
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Revenue	488.00		303064.14		303552.14	
पूंजी	Capital	98.00		329089.70		329187.70	
जोड़ जोड़	Total	<i>586.00</i>		632153.84		632739.84	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:						
राजस्व	Revenue						
पूंजी <b>जोड़</b>	Capital			12000.00		12000.00	
जोड़ जोड़	Total			12000.00		12000.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now						
" 3	required:						
राजस्व	Revenue	68.80		1340.94		1409.74	
पूंजी <b>जोड़</b>	Capital	882.00		0.01		882.01	
	Total	950.80		1340.95		2291.75	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1536.80		645494.79		647031.59	
राजस्व	Revenue	<i>556.80</i>		304405.08		304961.88	
पूंजी	Capital	980.00		341089.71		342069.71	
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के						
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be	accounted for un	der the f	ollowing Major	r Heads:		
		भारित		स्वीकृत		जॊड़	
		Charged		Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
3002-भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइन-कार्य	3002-Indian Railways - Commercial Lines -	68.80	(कa)	1340.94	(खb)	1409.74	
संचालन व्यय	Working Expenses						
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
5002-भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइन पर	5002-Capital Outlay on Indian Railways -	882.00	(गc)	0.01	(घd)	882.01	
पूंजीगत परिव्यय	Commercial Lines						
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	950.80		1340.95		2291.75	

(b)

(c)

यह पुरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(ग)

 अदालती आदेशों से उत्पन्न होने वाले व्यय के लिए 68.80 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

> अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 68.80 करोड़ की शेष राशि के लिए पूरक की मांग की गई है। अनुदान के पूजी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) ईंधन (डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन) के तहत उच्च आवश्यकता को पूरा करने और उच्च मरम्मत और रखरखाव गतिविधियों के लिए 1340.94 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के एक इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, 1340.94 करोड़ रुपये की शेष राशि की पूरक मांग की गई है। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

न्यायालय के आदेशों से होने वाले व्यय के लिए 882 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पुरा करना।

> अनुदान के पूंजीगत स्वीकृत खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(घ) आमान परिवर्तन (153.93 करोड़ रुपये), रोलिंग स्टॉक (5829.82 करोड़ रुपये), ट्रैक नवीनीकरण (1892.54 करोड़ रुपये), उत्पादन इकाइयों सिहत कार्यशाला (636.96 करोड़ रुपये) और मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स (1486.75 करोड़ रुपये) और सॉवरेन ग्रीन फंड में (10,239 करोड़ रुपये) का अंतरण [ऊर्जा कुशल तीन चरण इलेक्ट्रिक लोको का उत्पादन (8541 करोड़ रुपये), दमदम हवाई अइडा न्यू गरिया राजेरहाट के माध्यम से मेट्रो रेलवे का निर्माण न्यू गरिया (किव सुभाष) बिमान बंदर (904 करोड़ रुपये) और जोका बिनॉय बादल दिनेश बाग वाया माझेरहाट मेट्रो रेलवे का निर्माण (794 करोड़ रुपये)] के अतिरिक्त व्यय को पुरा करना।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए पूरक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

) meeting additional expenditure ₹ 68.80 crore for expenditure arising out of court decrees.

Taking into account the savings available in the same section of grant, supplementary for balance amount of 68.80 crore is sought. This will not entail cashoutgo considering the saving available in Capital Section of the Grant.

meeting additional expenditure of ₹ 1340.94 crore towards meeting higher requirement under fuel (Diesel & Electric tractions) and higher repairs and maintenance activities.

Taking into account the savings available in the same section of Grant, supplementary of balance amount of ₹ 1340.94 crore is sought. This will not entail cash outgo considering the savings available in Capital Section of the grant.

meeting additional expenditure of ₹ 882 crore towards expenditure arising out of court decrees.

Taking into account savings available in the capital voted section of the Grant, this will not entail cash outgo.

meeting additional expenditure towards additional expenditure on Gauge Conversion (₹ 153.93 crore), Rolling stock (₹ 5829.82 crore), track Renewals (₹ 1892.54 crore), Workshop including Production Units (₹ 636.96 crore), Metropolitan Transport Projects (₹ 1486.75 crore), and transfers to Sovereign Green Fund (₹ 10,239 crore) [Production of energy efficient three phase electric locos (₹ 8541 crore), Dum Dum Airport New Garia via Rajerhat construction of Metro railway New Garia (Kavi Subhas) Biman Bandar (₹ 904 crore) and Joka Binoy Badal Dinesh Bagh via Maierhat construction of Metro Railway (₹ 794 crore)].

Taking into account savings available in the same section of the Grant, token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 86

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 83 देखिये ) (See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 83 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

Domando for Granto for th	10 your 2022 2020)			(₹ करोंड़ ) (In ₹ c
		भारित	स्वीकृत	, , , t जৌड
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	J		
<b>र ३</b> ं राजस्व	Revenue		22584.19	22584.19
<del>ग</del> ूंजी	Capital	5.00	369171.14	369176.14
्र जोड़	Total	5.00	391755.33	391760.33
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
<b>१</b> राजस्व	Revenue		10.00	10.00
<del>ग</del> ूंजी	Capital		37117.64	37117.64
 जोड़	Total	***	37127.64	37127.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भनुमान:				
ज <b>स्</b> व	Revenue		0.01	0.01
<u></u> ूंजी	Capital	***	3693.10	3693.10
नोड़	Total		3693.11	3693.11
नोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5.00	432576.08	432581.08
ाजस्व	Revenue		22594.20	22594.20
<del>jंजी</del>	Capital	5.00	409981.88	409986.88
•	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	त दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		lead	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
<b>ग्</b> ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3 602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(कa) 0.01
ने सहायता अनुदान	•			,
पूंजी भाग [ँ]	CAPITAL SECTION			
^ गुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
• 1552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01
गरिव्यय	,			( 1,
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		3693.09	(गc) 3693.09
।रिव्यय				,
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		3693.10	3693.10
नोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		3693.11	3693.11
	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* ~ _ * ~
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नी घटाकर समायोजित किया जाता है!	चि दशाई गया वसूलिया क	ग शामिल नहां किया व	ाया ह ।जन्ह व्यय म स
	Note: The above estimates of additional requirements do	not take into account	the recoveries show	wn helow which are
	adjusted in reduction of expenditure.	tako into dooddiit		20.011, Willow Gro
· a	CAPITAL SECTION			
पजा भाग				
<i>पूंजी भाग</i> 5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		(-)3860.09	(-)3860.09

यह पूरक अनुदान	ि निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:	The
(क)	(i) जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य की सड़कों के विकास के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेत् अन्दान (230 करोड़ रुपए)।	(a)
	(ii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष में अंतर खाता अंतरण का विस्तार किया जाना है (230 करोड़ रुपए)।	
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	
(ख)	कंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष द्वारा वित्तपोषित पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए सड़क विंग के तहत सड़क विकास कार्यों हेतु मुख्य कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय (2805 करोड़ रुपए)।	(b)
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	
(ग)	(i) हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कोरिडोर परियोजना के लिए विदेशी सहायता योजना - विश्व बैंक के तहत मुख्य कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय (136 करोड़ रुपए)।	(c)

The supplementary Grants are required for:

- (i) Grants for creation of Capital Assets under development of State Roads for UT of J&K (₹ 230 crore).
  - (ii) Inter Account Transfer to Central Road and Infrastructure Fund is to be enhanced (₹ 230 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of
  - the Grant, a token supplementary is sought.

    Additional expenditure on Major Works for Road Development
  - Works under Road Wing for North Eastern Areas Financed from Central Road and Infrastructure Fund (₹ 2805 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - (i) additional expenditure on Major Works under the Externally Aided Scheme – World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹ 136 crore).

- (ii) सीआरआईएफ द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग मूल सामान्य कार्यों के तहत मुख्य कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय (3860.09 करोड़ रुपए)।
- (iii) हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कोरिडोर परियोजना के लिए विदेशी सहायता योजना के लिए - विश्व बैंक के लिए प्रतिपक्षी कोष के तहत मुख्य कार्यों में अतिरिक्त व्यय (159 करोड़ रुपए)।
- (iv) लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट प्रभावी क्षेत्रों में सड़क संयोजकता (राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सड़के) के विशेष कार्यक्रम विकास के लिए आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के तहत केंद्रीय सड़क और अवंसरचना निधि से वित्तपोषण के लिए मुख्य कार्यों में अतिरिक्त व्यय (59 करोड़ रुपए)।
- (v) उत्तर पूर्वी क्षेत्र, एनएचओडब्ल्यू और जीएनएचसीपी योजनाओं के लिए केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) में अंतर खाता अंतरण (6692.09 करोड रुपए)।
- अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध 885.82 करोड़ रुपए के अभ्यर्पण की बचतों को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के उपयोग के बाद उपरोक्त व्यय में 2807.27 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

- (ii) additional expenditure on Major Works under National Highways Original Works-General financed from CRIF (₹ 3860.09 crore).
- (iii) additional expenditure on Major Works under the Counterpart fund for Externally Aided Scheme World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹ 159 crore).
- (iv) additional expenditure on Major Works for Financed from Central Road and Infrastructure Fund under Tribal Area Sub Plan for Special Programme Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas (₹59 crore).
- (v) Inter Account Transfer to Central Road Infrastructure Fund (CRIF) meant for North East Region, NHOW and GNHCP Schemes (₹6692.09 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 885.82 crore available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings of within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 2807.27 crore.

#### मांग संख्या DEMAND NO 88

# भूमि संसाधन विभाग DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 87 देखिये ) (See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 87 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड ) (In ₹ crores)

			(1 971		ures)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	2259.34	2259.34	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		2259.34	2259.34	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	10.25	0.02	10.27	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	<i>10.25</i>	0.02	10.27	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	<b>i</b> :			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>10.25</i>	2259.37	2269.62	
राजस्व	Revenue	<i>10.25</i>	2259.37	2269.62	
पूंजी	Capital	•••			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	मंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for ur		d:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2506-भूमि सुधार	2506-Land Reforms		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'डिजिटल इंडिया पहल - भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम' के लिए 10.04 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 10.04 crore towards 'Digital India Initiative - Land records Modernisation Programme'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 89

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 88 देखिये ) (See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 88 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

Demands for Grants for the year 2	2022-2023)			
				(₹ करॉड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	5919.48	5919.50
पूंजी	Capital		82.70	82.70
जोड़	Total	0.02	6002.18	6002.20
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital		***	***
जोड़	Total		0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	6002.21	6002.23
राजस्व	Revenue	0.02	5919.51	5919.53
पूंजी	Capital	***	82.70	82.70
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und		lead	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3 451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(कa) 0.01
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	***	0.02	0.02

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

क) भारत की जी-20 अध्यक्षता 2022 (विज्ञान) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (0.50 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु वेतन सहायता अनुदान और राष्ट्रीय अनुसंधान परिसंघ के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रुपये) (ii) स्वायत निकायों को सहायता के अंतर्गत श्री चित्र तिरुनल चिकित्सा विज्ञान और प्रौयोगिकी संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (15 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (20 करोड़ रुपये) और (iii) भारत के आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की पुनर्प्राप्ति के लिए अंतः विषय साइबर भौतिक प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय मिशन योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (60 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

 meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 0.50 crore) under G-20 India Presidency 2022 (Science).

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salaries, Grants for creation of Capital Assets and Grants-in-aid General under National Research Foundation (₹ 0.01 crore) (ii) Grants -in-aid General (₹ 15 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 20 crore) for Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology under Assistance to Autonomous Bodies and (iii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 60 crore) under the Scheme 'National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems' for recoupment of an advance drawn from the Contingency fund of India.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 90

## जैव प्रौद्योगिकी विभाग DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 109 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

				(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	2581.00	2581.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		2581.00	2581.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2581.02	2581.02
राजस्व	Revenue		2581.02	2581.02
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	न दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		Head	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(কa) 0.01
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	0.02

यह प्रक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) औद्योगिक और उद्यमिता विकास के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना (12 करोड़ रुपए)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए:- 1. सामान्य सहायता अनुदान हेतु
(i) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक) (5 करोड़
रुपये)। ii) स्वायत अनुसंधान एवं विकास संस्थान को सहायता (20 करोड़
रुपये) और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास को सहायता (284.45 करोड़
रुपये) 2. स्वायत अनुसंधान एवं विकास संस्थान को सहायता हेतु वेतन
सहायता अनुदान (52.56 करोड़ रुपये) 3. उद्योग और उद्यमशीलता विकास के
अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (46 करोड़ रुपये); और 4. जैव
प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के अंतर्गत आयोजित होने वाली जी20 बैठक
की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (4 करोड़ रुपये)।
इसमें भारत के आकस्मिकता निधि से संस्वीकृत 200 करोड़ रुपये की अग्रिम
पुनर्प्राप्ति शामिल है।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

 (a) meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General for Industrial and Entrepreneurship Development (₹ 12 crore)

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards 1. Grants-in-Aid General for (i) Biotechnology Industry Research Assitance Council (BIRAC) (₹ 5 crore); (ii) Support to Autonomous R&D Institutions (₹ 20 crore); and Biotechnology Research & Development (₹ 284.45 crore); 2. Grants-in-Aid Salaries for Support to Autonomous R&D Institutions (₹ 52.56 crore); 3.Grants for creation of Capital Assets under Industrial and Entrepreneurship Development(₹ 46 crore); and 4. Other Administrative Expenses to meet the commitments of meetings to be held under G20 under Biotechnology Research and Development (₹ 4 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 200 crore sanctioned from Contingency Fund of India.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 91

# वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 89 देखिये ) (See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 89 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड ) (In ₹ crores)

			(\ 4)	RIŞ / (III \ CI OI ES	١)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	5623.96	5623.96	
पूंजी	Capital	***	12.50	12.50	
जोड़	Total		5636.46	5636.46	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		313.65	313.65	
पूंजी	Capital	***	0.01	0.01	
जोड़	Total		313.66	313.66	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	<b>!</b> :			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5950.13	5950.13	
राजस्व	Revenue		5937.62	5937.62	
पूंजी	Capital		12.51	12.51	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	भंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un		d:		
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	•••	0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय प्रयोगशाओं (10 करोड़ रुपये) के तहत अनुदान सहायता वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के उसी आग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid Salaries under National Laboratories ( $\ref{total}$  10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 92

# कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 देखिये) (See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड ) (In ₹ crores)

			(\ 4)	KIŞ / (III \ CI OI ES	) C3/
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		2847.54	2847.54	
पूंजी	Capital		151.46	151.46	
जोड़	Total		2999.00	2999.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2999.01	2999.01	
राजस्व	Revenue		2847.55	2847.55	
पूंजी	Capital		151.46	151.46	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under		:		
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना" योजना के तहत सहायता अनुदान सामान्य

अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते ह्ए, सांकेतिक पूरक

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-aid General (₹ 175.00 crore) under the scheme "National Apprenticeship Promotion Scheme".

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 93

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 90 देखिये ) (See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 90 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड ) (In ₹ crores)

			(\ 4)	(1) (111 ( CI OI ES)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		11687.51	11687.51
पूंजी	Capital		235.00	235.00
जोड़	Total		11922.51	11922.51
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	1100.00	1100.00
पूंजी	Capital	***	•••	***
जोड़	Total	***	1100.00	1100.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	•••		•••
पूंजी	Capital		8.17	8.17
जोड़	Total		8.17	8.17
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		13030.68	13030.68
राजस्व	Revenue		12787.51	12787.51
पूंजी	Capital		243.17	243.17
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un		Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
य 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services		8.17	8.17

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

महिला इमदाद समिति को भूमि आवंटन हेतु भुगतान अवमुक्त करने हेतु (8.17 करोड़ रु.)

अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं करना होगा। The supplementary Grant is required for:

For release of payment  $\,$  for allotment of land to Mahila Imdad Committee (₹ 8.17 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

### मांग संख्या DEMAND NO 94

### दिव्गयांजन सशक्तीकरण विभाग

### DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोंड ) (In ₹ crores)

			(1 47	₹ <i>IŞ ) (III ₹ CI OI E.</i>	5/
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		1212.41	1212.41	
पूंजी	Capital	***	0.01	0.01	
जोड़	Total		1212.42	1212.42	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital				
जोड़	Total				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	<b>i</b> :			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1212.43	1212.43	
राजस्व	Revenue		1212.42	1212.42	
पूंजी	Capital		0.01	0.01	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	भंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		d:		
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	0.01	

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

सहायक उपकरण और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता के तहत सामान्य अनुदान (13.54 करोड़ रुपये) (जिसमें सामान्य के लिए 9.29 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 1.89 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 2.36 करोड़ रुपये शामिल हैं)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

Grant-in-Aid-General under Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances (₹ 13.54 crore) ( which includes ₹ 9.29 crore for General, ₹ 1.89 crore for SCs and ₹ 2.36 crore for STs).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 95

## अंतरिक्ष विभाग **DEPARTMENT OF SPACE**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 114 और वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 91 देखिये ) (See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 91 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

				(₹ करोड़	₹ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.60	6233.80		6234.40
पूंजी	Capital	0.40	7465.20		7465.60
जोड़	Total	1.00	13699.00		13700.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.60	0.01		0.61
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total	0.60	0.02		0.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	:			
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.60	13699.04		13700.64
राजस्व	Revenue	1.20	6233.82		6235.02
पूंजी	Capital	0.40	7465.22		7465.62
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के 3	भंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u	inder the following Majo			
		भारित	स्वीकृत		जॉड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research		0.01	( <b>क</b> a)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
् म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5 402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	***	0.02		0.02
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(ख)

(i) एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र का सामान्य सहायता अन्दान (2.00 करोड़ रुपये); और (ii) इन्सैट/जीसैट ट्रांसपोंडरों को पट्टे पर देने के लिए सेवा शुल्क की अन्य संविदात्मक सेवाएं (212.00 करोड़ रुपये) संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।

> अन्दान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

1. योजनाओं के तहत मशीनरी और उपकरण (i) ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च वाहन -निरंतरता परियोजना (4 करोड़ रुपये) (ii) मास्टर कट्टोल सुविधा (13.50 करोड़ रुपये); (iii) आदित्य (2.76 करोड़ रुपये); और (iv) जीसैंट 20 उपग्रह (8.82 करोड़ रुपये) के व्यय को प्रा करने के लिए। योजनाओं के तहत प्रमुख कार्य (i) मानवयुक्त मिशन पहल/मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान) (22.54 करोड़ रुपय); (ii) सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकास (0.10 करोड़ रुपये); (iii) नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस (6.99 करोड़ रुपये); (iv) चंद्रयानव-III (0.10 करोड़ रुपये); (v) इसरो केंद्रों पर सामान्य सिविल कार्य (50 करोड़ रुपये); (vi) ठोस प्रणोदक अंतरिक्ष बुस्टर संयंत्र (2 करोड़ रुपये) 3. योजनाओं के तहत सूचना प्रौद्योगिकी एम एंड ई (i) ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च वाहन- निरंतरता परियोजना (0.05 करोड़ रुपये); (ii) इसरो प्रणोदन परिसर (1.03 करोड़ रुपये); (iii) अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (3.16 करोड़ रुपये); और (iv) जलवायु और वायुमंडलीय कार्यक्रम (0.08 करोड़ रुपये) और 4. मास्टर कंट्रोल स्विधा के लिए अन्य पूंजीगत व्यय (4.10 करोड़ रुपये)।

अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure towards (i) Grants- in-Aid General of Centre for Space Science & Technology Education in Asia and the Pacific (₹ 2 crore); and (ii) Other Contractual Services of Services Charges for Leasing of INSAT/GSAT Transponders (₹ 212 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards 1. Machinery and Equipment under the schemes (i) Polar Satellite Launch Vehicle - Continuation Project (₹ 4 crore) (ii) Master Control Facility (₹ 13.50 crore); (iii) ADITYA (₹ 2.76 crore); (iv) GSAT 20 Satellites (₹ 8.82 crore); Major Works under the schemes (i) Manned Mission initiatives/Human Space Flight Programme (Gaganyaan) (₹ 22.54 crore); (ii) Semi Cryogenic Engine Development (₹ 0.10 crore); (iii) Network for Space Object Tracking and Analysis (₹ 6.99 crore); (iv) Chandravaanv-III (₹ 0.10 crore): (v) General Civil Works at ISRO Centres (₹ 50 crore) ; (vi) Solid Propellant Space Booster Plant (₹ 2 crore); 3. Information Technology M&E under the schemes (i) Polar Satellite Launch Vehicle- Continuation Project (₹ 0.05 crore); (ii) ISRO Propulsion Complex (₹ 1.03 crore); (iii) Space Application Centre (₹ 3.16 crore); (iv) Climate & Atmospheric Programme (₹ 0.08 crore) and 4. Other Capital Expenditure for Master Control facility (₹ 4.10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 98

### वस्त्र मंत्रालय

### MINISTRY OF TEXTILES

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 117 और वर्ष 2022-2023 की अन्दानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 94 देखिये ) (See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 94 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

			भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोंड़	इ ) (In ₹ crores _. जोड़ Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue			12357.11		12357.11
पूंजी	Capital			25.03		25.03
जोड़	Total			12382.14		12382.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue			0.03		0.03
पूंजी	Capital			6.50		6.50
जोड़ जोड़	Total			6.53		6.53
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	unt now requi	red:			
राजस्व	Revenue		***	0.02		0.02
पूंजी	Capital					
जोड़	Total		***	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			12388.69		12388.69
राजस्व	Revenue		***	12357.16	12357.16 31.53	
पूंजी	Capital			31.53		
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिरि II. This Supplementary Grants will be			Head स्वीकृत		जॊड़
			Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
<b>3</b> 2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries			0.01	( <b>क</b> a)	0.01
ु 2852-उद्योग	2852-Industries			0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)			0.02	` ′	0.02
यह पूरक अनुदाने  निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supple	mentary Grants are required	d for:		
(क) (i) "कच्चे माल की आपूर्ति योज			(a) (i) Grants-in-aid General (₹ 10.00 crore) under the scheme "Ra			
(10.00 करोड़ रुपये) और (ii) "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)" योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (2.59 करोड़ रुपये) "। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Material Supply Scheme" and (ii) Grants-in-aid General (₹ 2.5 crore) under the scheme "National Handicrafts Developmen				
						•
			Programme (NHDP)".  Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.  Subsidies (₹ 72.05 crore) under the scheme "Amended Technology			
				(A TI IEO)		

अन्दान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक

की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of

Up-gradation Fund Scheme (ATUFS)".

the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 100

# जनजातीय कार्य मंत्रालय

### MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 96 देखिये ) (See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 96 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड़ ) (In ₹ crores)

			(1 4)	15 / (111 \ C101)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4620.35	3781.57	8401.92
पूंजी	Capital		50.00	50.00
जोड़	Total	4620.35	3831.57	8451.92
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		9.00	9.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		9.00	9.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***	0.96	0.96
पूंजी	Capital	•••		
जोड़	Total	***	0.96	0.96
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4620.35	3841.53	8461.88
राजस्व	Revenue	4620.35	3791.53	8411.88
पूंजी	Capital		50.00	50.00
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the		ead:	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अन्सूचित जाति, अन्सूचित जनजाति, अन्य	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,		0.96	0.96
पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Other Backward Classes and Minorities			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की गैर-योजना के तहत 'वेतन' (0.26 करोड़ रुपये), 'कार्यालय व्यय' (0.50 करोड़ रुपये) और 'घरेलू यात्रा व्यय' (0.20 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।

अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं करना होगा। The supplementary Grant is required for:

Meeting the additional requirement for expenditure towards Salaries (₹ 0.26 crore), Office Expenses (₹ 0.50 crore) and Domestic Travel Expenses (₹ 0.20 crore) under the Non- scheme National Commission for Scheduled Tribes (NCST)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

### मांग संख्या DEMAND NO 102

# युवा मामले और खेल मंत्रालय MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 98 देखिये ) (See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 98 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोंड ) (In ₹ crores)

			(\ 4)	(\ 47\(\frac{15}{2}\) (\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				
		भारित	स्वीकृत	ऒड़				
		Charged	Voted	Total				
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:							
राजस्व	Revenue	***	3057.28	3057.28				
पूंजी	Capital		5.32	5.32				
जोड़	Total		3062.60	3062.60				
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:							
राजस्व	Revenue		0.02	0.02				
पूंजी	Capital							
जोड़	Total		0.02	0.02				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d:						
राजस्व	Revenue		0.01	0.01				
पूंजी	Capital							
जोड़	Total		0.01	0.01				
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3062.63	3062.63				
राजस्व	Revenue		3057.31	3057.31				
पूंजी	Capital		5.32	5.32				
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	भंतर्गत दिखाया जायेगा:						
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:							
		भारित	स्वीकृत	जॊड़				
		Charged	Voted	Total				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD							
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services		0.01	0.01				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) नेश्नल एंटी-डोपिंग एजेंसी के लिए सहायता अनुदान सामान्य (2.50 करोड़ रुपए)

अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

(i) Grant-in-aid General for the National Anti-Doping Agency (₹ 2.50 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.